केवल सरकारी प्रयोगार्थ

विकेन्द्रित-नियोजन

वार्षिक जिला योजना

1987-88

जनपद-फतेहपुर

-54222
309.26
UTT-H

...य संख्याधिकारी, फतेहपुर

राज्य नियोजन संस्थान

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

उत्तर-प्रदेश

54222
309.26
477-H

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3797
Date 4/6/87

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश शासन में स्थानीय आवश्यकताओं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं उपलब्ध संसाधनों, सम्भाव्य क्षमता, योग्यता स्थानीय पहल शक्ति एवं भौगोलिक विशिष्टताओं के अनुरूप अधिकतम उपयोग कर जनपदों के सन्तुलित विकास को दृष्टिगत रखकर योजनाओं की संरचना करनें के लिये नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया है। विकेन्द्रित नियोजन की इकाई जनपद है। योजना की संरचना में जन समूह की आकांक्षाओं, आवश्यकताओ, उपलब्ध संसाधनो तथा पहल शक्ति को समाविष्ट किया जा रहा है। इससे अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरजनपदीय तथा अन्तर विकास खण्डीय विषमताओं को कम करने में बहुत अधिक बल मिल रहा है। अर्जित अवस्थापना सुविधाओं, संसाधनो एवं क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर जनपद का सन्तुलित विकास किया जा रहा है।

जनपद की वार्षिक योजना 1987-88 विकेन्द्रित योजना श्रृंखला की षष्टम् तथा सप्तम पंचवर्षीय योजना की तृतीय कड़ी है। जनपद की चालू योजनाओं का सम्यक मूल्यांकन कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं, जनआकांक्षाओं, अन्तर विकास खण्डीय विषमताओं तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उनके परिसीमन, परिवर्धन तथा सम्वर्धन का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानक को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय संसाधनो के अनुरूप योजनायें प्रस्तावित की गई है।

यद्यपि फतेहपुर जनपद के लिये आवंटित धनराशि 62310 हजार रु0 जनपद के पिछड़ेपन तथा चालू योजनाओं के वचनबद्ध परिव्यय को दृष्टिगत रखते हुये अत्यन्त न्यून होने के कारण जनआकांक्षाओं के अनुरूप नई योजनाओं को समाविष्ट नहीं किया जा सकता है। सीमित साधनों तथा क्षमता का अधिकतम सन्तुलन स्थापित कर जनपद के सन्तुलित विकास के आधार को गतिशील बनानें का प्रयास किया गया है।

आशा है वर्ष 1987-88 की यह योजना जनपद के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगी।

=========000========

पाण्डेय-

(पी0 उमाशंकर)
जिलाधिकारी/ अध्यक्ष,
जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समि0
फतेहपुर।

-: अनुक्रमणिका :-

विकेन्द्रित नियोजन वार्षिक जिला योजना वर्ष 1987-88

जनपद- फतेहपुर ।

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	2	3
	भाग - 1	
1- जिला योजना के अध्याय		
अध्याय - 1	भूमिका	1-5
अध्याय - 2	अवस्थापना	6-8
अध्याय - 3	प्रशासनिक एवं संस्थागत ढांचा	9-11
अध्याय - 4	आर्थिक कार्य कलाप	12-14
अध्याय - 5	सेवायोजन सम्बन्धी समस्यायें	15-20
अध्याय - 6	पिछड़े समुदाय की समस्यायें	21-26
अध्याय - 7	जिला योजना का समालोचनात्मक मूल्यांकन	
7-01 :	कृषि	27-28
7-02 :	उद्यान एवं फल संरक्षण	29-30
7-03 :	गन्ना	31-32
7-04 :	कृषि विपणन	33
7-05 :	भूमि सुधार	34
7-06 :	निजी लघु सिंचाई	35-37
7-07 :	राजकीय लघु सिंचाई	38-39
7-08 :	भूमि एवं जल संरक्षण	40-41
7-09 :	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	42
7-10 :	पशु पालन	43-46
7-11 :	मत्स्य	47-48
7-12 :	वन	49-50
7-13 :	पंचायत राज	51-52
7-14 :	प्रादेशिक विकास दल	53-55
7-15 :	ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास)	56
7-16 :	सहकारिता	57-59
7-17 :	विद्युत	60
7-18 :	उद्योग	61-63
7-19 :	सड़क एवं पुल	64
7-20 :	पर्यटन	65
7-21 :	सामान्य शिक्षा	66-70
7-22 :	खेलकूद	71

1	2	3
7-23	: प्राविधिक शिक्षा	72
7-24	: चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	73-76
7-25	: जल सम्पूर्ति (जल निगम)	77-78
7-26	: ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास)	79
7-27	: ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)	80
7-28	: सूचना	81
7-29	: श्रम कल्याण	82
7-30	: शिल्पकार प्रशिक्षण	83-84
7-30	: सेवा योजन	85
7-32	: अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति कल्याण	86-87
7-33	: समाज कल्याण	88
7-34	: पुष्टाहार (समाज कल्याण)	89
अध्याय - 8	स्थानीय संसाधन	90-95
अध्याय - 9	दीर्घकालीन विकास	96-100
अध्याय -10	जिला योजना की पूर्णता	101-104
अध्याय -11	राष्ट्रीय आवश्यकता कार्यक्रम	105-112
अध्याय -12	पिछड़े समुदाय के लिए कार्यक्रम	113-122
अध्याय -13		
13-0-0	: जिले के विकास कार्यक्रम	
13-12-01	: वन	123
अध्याय -14	योजनाओं का वित्त पोषण	124-129

भाग - 2

2-	जी0 एन0 -1	1-2
3-	जी0 एन0 -2 एवं जी0 एन0 -3	

विभाग	जी0एन0-2	जी0एन0-3
1- कृषि	1	1
2- उद्यान एवं वन संरक्षण	2	2-3
3- गन्ना	3	4
4- कृषि विपणन	कोई योजना नहीं है	
5- भूमि सुधार	4	5
6- निजी लघु सिंचाई	5	6
7- राजकीय लघु सिंचाई	6	7
8- भूमि एवं जल संरक्षण	8	8
9- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	8	9
10- पशु पालन	9-11	10

1	2	3	4
11- रा			
11- मत्स्य	12	11	
12- वन	13	12	
13- पंचायत राज	14	13	
14- प्रादेशिक विकास दल	15	14	
15- ग्राम्य विकास ग्राम्य वि0	16	15	
16- सहकारिता	17-18	15 16	
17- विद्युत	19	16 17	
18- उद्योग	20	17 18	
19- सड़क एवं पुल	21-24	19-22	
20- पर्यटन	कोई योजना नहीं है ।		
21- सामान्य शिक्षा	25-28	23-25	
22- खेलकूद	29	26	
23- प्राविधिक शिक्षा	30	27	
24- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	31-32	28-29	
25- जल सम्पूर्ति (जल निगम)	33	30	
26- ग्रामीण पेय जल ग्राम्य विकास	34	31	
27- ग्रामीण आवास ग्राम्य वि0	35	32	
28- सूचना	कोई योजना नहीं है ।		
29- श्रम कल्याण	,, ,, ,, ,,		
30- शिल्पकार प्रशिक्षण	36	33	
31- सेवायोजन	कोई योजना नहीं है ।		
32- अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति कल्याण	37-39	34-35	
33- समाज कल्याण	40	36	
34- पुष्टाहार (समाज कल्याण)	41	37	
4- जी0 एन0 - 4		1	

भाग = 3

5- आधार भूत आंकड़े 1-35

अध्याय-1

भूमिका

======00=====

1-01 जनपद फतेहपुर स्वर्ग सोपान जाह्नवी तथा कालिंदी के दुकूलों के मध्य स्थिति, आध्यात्मिक उत्कर्ष, वैभव, संस्कृति शालीनता, विद्वता तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के अमर शहीदों की गाथाओं के स्वर्णिम संस्करणों एवं उत्कर्षों को सजोनें वाली द्वावा भूमि इलाहावाद मण्डल का एक जनपद है। वैदिक वैभव, वैष्णव, जैन तथा इस्लाम धर्मों के विकास अभ्युदय विभव परायव के साथ साथ सभी धर्मों को आत्मसात करनें वाला जनपद फतेहपुर कृषि अस्वस्थामा तथा भृगु मुनि की तपस्थली एवम सम्राट वेणु अश्विनी कुमार कीर्तिकेय हंसध्वज तथा मोरध्वज का कीर्ति क्षेत्र रहा है। तेन्दुली तथा वहुआ के मन्दिर, हथगॉव असनी के भगनावशेष तथा गुप्त कालीन भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राचीन वैभव संस्कृति कला तथा उत्कर्ष के प्रतीक हैं राष्ट्र नेता अमर शहीद खडगसिंह ठाकुर दरियाव सिंह खागा, जोधासिंह अहिरवॉ, वावा गयादीन दुवे कोराई, ठाकुर शिव दयाल सिंह जमरावॉ इत्यादि द्वारा मुगलकाल से लेकर स्वतंत्रता समर तक राष्ट्र के लिये की गई प्राणाहुति प्रेरणा स्त्रोत हैं।

स्थिति

=====000====

1-02 जनपद फतेहपुर उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ के दक्षिण पूर्व में 122कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यह इलाहावाद मण्डल के 6 जनपदों में सवसे पिछडा हुआ जनपद है। यह 25-26 एवं 26-27 उत्तरी अक्षांस तथा 14-81 से 81-20 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। उत्तर में उन्नाव रायवरैली तथा प्रतापगढ जनपद तथा गगा नदी, दक्षिण में हमीरपुर वॉदा जनपद एवं जमुना नदी से सीमांकित है। पूरव में तीर्थराज प्रयाग तथा पश्चिम में औद्योगिक नगर कानपुर स्थित है। इस प्रकार यह जनपद पूर्व से पश्चिम 88 कि0मी0तथा उत्तर से दक्षिण 55कि0मी0है। इस प्रकार यह जनपद चतुर्भुजाकार स्थित है।

1-03 जनपद के मध्य मे रेलवे की उत्तरी लाइन प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर इलाहावाद तथा कानपुर को जोडती है। इसी लाइन के समानान्तर देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी §जी0टी0रोड§मार्ग इस जनपद में 88 कि0मी0में फैली हुई है। इस उत्तरी रेलवे लाइन पर इस जनपद के 12रेलवे स्टेशन कटोघन, खागा, सतनरैनी, रसूलावाद, रमवा, फैजुल्लापुर, फतेहपुर, कुरुस्ती कलॉ कंसपुर, मलवॉ, विन्दकी रोड तथा औंग स्थित है। जनपद मे राजकीय वसें रायवैरैली, प्रतापगढ लखनऊ, इलाहावाद, ओवरा, कानपुर, इटावा, फर्रुखावाद,

वाँदा तथा हमीरपुर, आदि मुख्य जनपदों को जाती हैं। इस जनपद में ग्रामीण बस स्टेशन 88 हैं।

जलवायु तापमान एवं वर्षा

1-04 इस जनपद की जलवायु पड़ोसी जनपद इलाहाबाद एवं कानपुर से मिलती जुलती है। जनपद का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग के सापेक्ष्य में अधिक ठंडा है। जनपद के दक्षिणी भाग की जलवायु वाँदा, हमीरपुर के लगभग समान है। अर्थात इस भाग में गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। इसी कारण जनपद के सभी कार्यालय ग्रीष्म काल में प्रात: कालीन हो जाते हैं।

इस जनपद का उच्चतम तापमान वर्ष 84-85 में 44-6 सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 4-0 से0ग्रेड है।

इस जनपद में राज्य के बहुत से जनपदों की अपेक्षा वर्षा कम होती है। सामान्यत: वर्षा 894-3 मी0मी0 होती है। कैलेण्डर वर्ष 1984 में 666 मी0मी0 वास्तविक तथा 862 मी0मी0 सामान्य वर्षा हुई है। इस जनपद में यमुना नदी के किनारे का भाग जो वाँदा, हमीरपुर के निकटवर्ती है, वहाँ पर पीनें के पानी की समस्या रहती है। इस क्षेत्र में पानी की सतह काफी गहराई पर है।

जल प्रवाह

1-05 जनपद मुख्यत: गंगा एवं यमुना नदियों से प्रभावित होता है। जनपद की समस्त छोटी बड़ी नदियों का जल प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है। गंगा नदी का जल प्रवाह भिटौरा तथा अश्विनी के मध्य दक्षिण से उत्तर की ओर है। धार्मिक दृष्टिकोण से इन स्थानों का महत्व अधिक है। तथा इस जल प्रवाह को उत्तरायन की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार भिटौरा, अश्विनी धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल माने जाते हैं।

गंगा की मुख्य सहायक नदी पाण्डु है, जिसका जल प्रवाह उत्तर पूरब की ओर है। यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ नोन, रिन्द, ससुर खादेरी नम्बर-1 एवं 2 छोटी नदी एवं बड़ी नदी हैं। इनका जल प्रवाह दक्षिण पूरब की ओर है। वर्णित नदियों के अन्तर्गत आनें वाला क्षेत्र का ढाल उत्तर पूरब तथा दक्षिण पूरब की ओर है। गंगा, यमुना के किनारे भूमि ऊँची नीची है। तथा भूमि संरक्षण की एक जटिल समस्या है जो कि यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र में मुख्य रूप से है। यह क्षेत्र यमुना के समानान्तर 3-4 कि0मी0 की चौड़ाई में लम्बी पट्टी के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर सिंचाई साधन वृहद रूप से कम हैं। तथा उत्पादन भी जनपद के शेष भागों की अपेक्षा बहुत ही न्यून है।

वनस्पति एवं जीवजन्तु
=वर्ग = =000=======

1-06 यमुना नदी की 3-4 कि0मी0 की चौड़ी पट्टी में जहाँ पर सिंचाई की जटिल समस्या है। वहाँ पर काँटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जिसमें बबूल, करौंदा तथा पतावर मुख्य रूप से पौधे पाये जाते हैं। शेष भाग में आम, अमरूद, बेर, जामुन, के फलदार पेड़ तथा महुआ नीम बबूल आदि ईंधनवाले पेड पाये जाते हैं।

इस जनपद में कोई खूखार एवं प्राणघातक जंगली जानवर नहीं पाये जाते हैं। नील गाय हिरन श्रृगाल एवं लोमड़ी पाई जाती हैं। पालतू जानवरों में गाय, भैंस, बकरी, भेड तथा सुअर आदि मुख्य हैं। नदियों में मछली मुख्य रूप से रोहू एवं पढ़िन पाई जाती हैं।

जनपद में मत्स्य पालन सम्बन्धी व्यवसाय बढ़ानें की बहुत अधिक सम्भावना है।

ग्राम एवं नगर
=======000=====

1-07 जनपद में कुल 1531 ग्राम एवं 6 नगर §फतेहपुर, बिन्दकी, जहानाबाद, बहुआ, खागा, एवं किशुनपुर § हैं, जिसमें 1349 ग्राम आबाद तथा 182 ग्राम गैर आबाद हैं। जनपद में 91-01 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में तथा शेष 8-99 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

जनसंख्या
=====00====

1-08 वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार फतेहपुर जनपद की जनसंख्या 1278254 थी जो कि 1961 की जनसंख्या से 19-7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1572421 है जो कि 1971 की जनगणना से 22-7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1971 में पुरुषों की कुल संख्या 672491 तथा स्त्रियों की कुल संख्या 605763 थी। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या 11-1 प्रतिशत अधिक थी। 94-5 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में तथा 5-5 प्रतिशत नगरीय अंचलों में निवास करती है। 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0 306 तथा वर्ष 1981 की जनगणनानुसार 379 है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 301895 है जिनमें 155795 पुरुष तथा 146100 स्त्रियाँ हैं। वर्ष 1981 की जनगणनानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या 373086 है, जिनमें 194486 पुरुष तथा 178800 स्त्रियाँ हैं।

1-09 राजस्व प्रशासन की दृष्टि से जनपद फतेहपुर खागा, तथा विन्दकी तीन तहसीलों में विभाक्त है। विन्दकी तहसील में अमोली, खजुहा, देवमई, व मलवाँ, फतेहपुर तहसील में तेलयानी, वहुआ, भिटौरा, हस्वा, असोथर तथा खागा तहसील में हथगाँव, ऐराया, विजईपुर, धाता विकास खण्ड आते हैं। इस प्रकार जनपद में कुल 13 विकास खण्ड हैं। जनपद के तहसील विन्दकी में कुल 424 ग्राम हैं जिसमें 394 आवाद ग्राम, 30 गैर आवाद ग्राम, तहसील फतेहपुर में कुल 538 ग्राम हैं। जिनमें 474 आवाद ग्राम, 64 गैर आवाद ग्राम हैं। तहसील खागा में 481 आवाद ग्राम, 88 गैर आवाद ग्राम, कुल 569 ग्राम हैं। इसी प्रकार तहसील विन्दकी में 2 नगर §विन्दकी, जहानावाद§ तहसील फतेहपुर में 2 नगर §फतेहपुर, वहुआ§ तथा तहसील खागा में 2 नगर §खागा तथा किशुनपुर है।

व्यवसाय

1-10 जनपद की समस्त जनसंख्या के 33-6 प्रतिशत व्यक्ति ही विभिन्न कार्य/व्यवसायों में लगे हैं। शेष 66-4 प्रतिशत व्यक्ति श्रम शक्ति से वाहर हैं।

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण 1971 की जनगणना के अनुसार निम्नवत है।:-

क्रमसंख्या	मद/पेशा	संख्या	प्रतिशत
1-	2	3	4
1-	कृषक	253661	60-0
2-	कृषक मजदूर	116178	27-0
3-	पशुपालन/जंगल लगाना वृक्षारोपण	1857	0-4
4-	पारिवारिक उद्योग	12511	3-0
5-	खान खोदना	119	..
6-	गैर पारिवारिक उद्योग	6472	1-5
7-	निर्माण कार्य	1649	0-4
8-	व्यापार एवं वाणिज्य	10747	2-4
9-	यातायात	1628	0-4
10-	अन्य	23684	4-9
	योग	428506	100-0

1-11 इस प्रकार उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जनपद के 87 प्रतिशत कर्मकर कृषि कार्य में लगे हैं। शेष 13 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के कार्य में लगे हैं। यह जनपद औद्योगिक महानगर कानपुर तथा इलाहावाद के मध्य होने के कारण यहाँ कोई वड़ा उद्योग नहीं है। इस जनपद की तहसील विन्दकी में कुछ उद्योग खोले गये हैं। वड़े उद्योगों के खोलने

यहाँ पर बड़ी आवश्यकता है । कृषि विकास में भी यह जनपद पिछड़ा हुआ है। कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग जैसे चावल मिल तथा दालमिल ही इस जनपद में फतेहपुर, खागा तथा बिन्दकी में स्थित हैं ।

1-12 जनपद का आर्थिक वर्गीकरण 1981 की जनगणना के अनुसार निम्नवत है।

क्रमसं0	मद/पेशा	संख्या	प्रतिशत
1-	कृषक	292268	55-98
2-	कृषक मजदूर	106507	20-40
3-	पारिवारिक उद्योग	11416	2-19
4-	अन्य	65789	12-60
5-	सीमान्त कर्मकर	46104	8-83
	कुल	522084	100-00

उपरोक्त तालिका से दृष्टिगत है कि जनपद के 76-38 प्रतिशत कर्मकर कृषि कार्य में लगे हैं । शेष 23-62 प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न प्रकार के कार्य में लगे हैं ।

अध्याय-2

अवस्थापना

किसी भी जनपद के विकास में अवस्थापना सुविधा की उपलब्धता प्राकृतिक संसाधन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है । अवस्थापना सुविधा की उपलब्धता जनपद के विकास का मापदण्ड होनें के साथ साथ सामाजिक , आर्थिक एवं औधोगिक विकास का आधार उपलब्ध करती है तथा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में गति प्रदान करती है ।

संचार प्रणाली

2-01 आर्थिक विकास के संचार प्रणाली का बहुत महत्व है। जनपद में 225 पोस्ट आफिस कार्यरत हैं जिनमें से 14 पोस्ट आफिस नगरों में कार्यरत हैं। तारघर 8 तथा 510 टेलीफोन जनपद में कार्यरत हैं। टेलीफोन सुविधा मुख्यत: नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध है ।

2-02 संचार प्रणाली में रेल का अपना महत्व है । जनपद का मुख्यालय उत्तरी रेलवे के मुख्य मार्ग हावड़ा-दिल्ली पर स्थित है । इस लाइन की जनपद में लम्बाई 88 कि0मी0 है । 12 रेलवे स्टेशन स्थित हैं ।

2-03 जनपद में वर्ष 1983-84 के अनुसार 763 कि0मी0 लम्बी सड़के हैं , जिसमें से रा0नि0वि0के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग 90 कि0मी0 तथा 60 कि0मी0 प्रदेशिक राजमार्ग , 135 कि0मी0 मुख्य जिला सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त अन्यजिला एवं ग्रामीण सड़क 447 कि0मी0 है । इस प्रकार प्रति हजार वर्ग कि0मी0 पर पक्की सडकों की लम्बाई 184 कि0मी0 है , तथा प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सडकों की लम्बाई 49 कि0मी0 है । मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार 278 ग्राम पक्की सड़कों से सम्बद्ध हैं । 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से सम्बद्ध करनें का कार्यक्रम बड़ी तेजी से वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ किया गया है ।

क्रय विक्रय

2-04 इस जनपद में फतेहपुर तथा बिन्दकी दो "ए" श्रेणी की कृषि मण्डी समितियाँ है, खागा किशुनपुर तथा जहानाबाद में बी श्रेणी की तीन मण्डी समितियाँ हैं। यह सभी मण्डी समितियाँ यातायात के साधनों से परिपूर्ण हैं तथा इनमें लगभग 1-5 लाख मे0टन खाद्यान का क्रय विक्रय होता है ।

उक्त के अतिरिक्त 31 मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार 4 क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ हैं, जो कृषक को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करनें में सहयोग प्रदान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1985 में 3 पशु-बाजार तथा 71 बाजार हाट की सुविधा उपलब्ध है।

भण्डारण एवं विधायन

2-05 जनपद में भारतीय खाद्य निगम के 4 भण्डार 30,900 मी0 क्षमता के तथा एक भण्डार बेयर हाउसिंग का 10,780 मी0टन क्षमता का उपलब्ध है। इस प्रकार इन पाँचों भण्डारों में 41680 मी0टन खाद्यान रखानें की सुविधा उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1984-85 में ग्रामीण गोदाम 91 है जिनमें 9100 मी0टन सामाग्री रखानें की क्षमता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान की सुरक्षित रखानें के लिये स्टील चादर की बखारियाँ अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में 3 सहकारी विधायन समितियाँ हैं। जिनमें भण्डारण के निजीसाधान उपलब्ध हैं। जनपद में खागा, विन्दकी तथा फतेहपुर में चावल तथा दाल के मिल कृषि उत्पादन विधायन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करते हैं।

सिंचाई

2-06 जनपद में 4 पम्प नहरें हैं जिनकी लम्बाई 25-4 कि0मी0 है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अर्न्तगत द्वितीय मण्डल सिंचाई कानपुर एवं रामगंगा निर्माण मण्डल फतेहपुर के अधीनस्थ निचली गंगा से मुख्यत: सिंचाई कार्य किया जाता है। इसकी कुल लम्बाई 1453 कि0मी0 है। सिचाई साधनों की जनपद में विशेष कमी है। 31 मार्च 1986 की स्थिति के आधार पर इस जनपद में 391 राजकीय नलकूप, पक्के कुयें 15,550, रहट 158 पम्पसेट 7748 तथा निजी नलकूप 14223 हैं।

यमुना की तलहटी वाले क्षेत्रों में पानी बहुत गहराई पर है तथा सिंचाई साधन शून्य के समान है। सिंचाई श्रोत्रों को बढानें की परम आवश्यकता है।

अध्याय-3

प्रशासनिक एवं संस्थागत ढाचा

===============000============

3-01 जनपद का मुख्यालय फतेहपुर में स्थित है। इस जनपद में फतेहपुर, विन्दकी तथा खागा तीन तहसीलें हैं। जनपद प्रशासनिक दृष्टि से 3 परगनों में विभाजित है।

3-02 जनपद में फतेहपुर एवं विन्दकी दो नगर पालिकायें है तथा जहानावाद, खागा किशुनपुर और वहुआ 4 नगर क्षेत्र समितियाँ कार्यरत हैं।

3-03 जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा विकास खण्ड स्तर पर 13 क्षेत्र समितियाँ कार्यरत है। जनपद में 1531 ग्राम है जिनमें 1349 ग्राम आवाद है 13 विकास खण्ड, 132 न्याय पंचायतें तथा 1035 ग्राम सभाये में विभक्त हैं। अपराध रोकनें तथा शान्ति व्यवस्था स्थापित करनें के लिये 18 पुलिस स्टेशन स्थित हैं जिनमें से 13 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 5 नगरीय क्षेत्र में है। तहसील एवं विकास खण्डवार निम्नावत है

विकास खण्ड	मुख्यालय से दूरी कि0मी0	क्षेत्रवर्ग कि0मी0	राजस्व ग्राम		न्याय पंचायतें	ग्राम सभायें	पुलिस स्टेशन	डाकघर
			कुल	आवाद				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-तेलियानी	0	257-00	118	101	9	68	-	11
2-वहुआ	26	277-62	101	87	11	74	1	12
3-भिटौरा	13	338-50	162	147	14	100	1	14
4-हसवा	13	328-00	100	83	12	69	1	20
5-असोथार	34	398-38	57	56	9	52	2	20
तहसील फतेहपुर		1599-50	538	474	55	363	5	77
6-अमौली	82	357-00	105	99	8	88	1	18
7-खजुहा	51	341-00	107	101	9	85	1	15
8-देवमई	64	236-00	96	86	8	71	-	12
9-मलवाँ	15	338-50	116	108	9	85	2	13
तहसील विन्दकी		1272-50	424	394	34	329	4	58
10-हथगाँव	53	274-00	237	100	13	102	1	24
11-ऐरायाँ	34	321-00	121	108	11	73	1	16
12-विजईपुर	44	340-00	99	84	10	78	1	17
13-धाता	74	276-62	112	109	9	90	1	19
तहसील खागा		1211-62	569	481	43	343	4	76
समस्त ग्रामीण		4081-62	1531	1349	132	1035	13	211
नगरीय योग		70-38	-	-	-	-	5	14
जनपद का योग		4152-00	1531	1349	132	1035	18	225

3-04 जनपद के विकास कार्यों का सम्पादन/समन्वय करनें का मुख्य दायित्व जिला विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी॥विकास॥ का होता है ।सहयोगी रूप में पंचायतीराज , सहकारिता, यूवा कल्याण,प्रा0विकास दल, अल्प सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, कृषि, पशुपालन तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग आदि के जिलास्तरीय अधिकारी कार्यरत रहते हैं । जो विभागीय कार्य के रूप में विकास कार्यक्रमों मे योगदान देते हैं ।

इसके अतिरिक्त रा0नि0वि0, जल निगम, जिला उद्योग केन्द्र चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य , शिक्षा, बेसिक शिक्षा, मत्स्य, वन॥सामाजिक वानिकी॥, नहर,नलकूप, विद्युत , कृषि रक्षा, उद्यान एवं फलउपयोग , दुग्धविकास आदि अपनें विभाग के कार्यों का संचालन जनपद के उत्थान एवं विकास के लिये करते हैं ।

विकास कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन समन्वय एवं कार्यान्वियन समिति करती है , जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी, सचिव/जिला विकास अधिकारी तथा सदस्य लगभग सभी जिलास्तरीय अधिकारी है ।संयुक्त सचिव के रूप में जिला अर्थ अधिकारी कार्य करते हैं ।

इसी प्रकर विकास खण्ड स्तर पर विकास कार्यों के सम्पादन का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी पर होता है ।उनके सहयोग के लिये लगभग प्रत्येक विभाग के सहायक विकास अधिकारी कार्यरत रहते हैं ।ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का संचालन ग्राम्य विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचा-यत अधिकारी करते हैं ।

3-05 विकास कार्यक्रमों की समीक्षा , समन्वय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओ के अनुरूप कार्यक्रमों के नियोजन के लिये तथा जनसहयोग प्राप्त करनें के लिये प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र समिति गठित रहती है ।जिसके अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख, सचिव खण्ड विकास अधिकारी तथा समस्त ग्राम प्रधान एवं कुछ मनोनीत सदस्य, सदस्य के रूप में कार्य करते हैं ।क्षेत्र समिति की बैठक जो समय 2पर आयोजित होती है , में जिलास्तरीय अधिकारी भी भाग लेते हैं और उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण करते हैं ।

3-06 नगर पालिका /नगर क्षेत्र समितियाँ /टाउन ऐरिया का संचालन चयनित अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।यह अपनें कार्यक्षेत्र के लिये विकास की योजनायें बनाते हैं , तथा उसका संचालन करते हैं ।यह समितियाँ स्वायत्त शासन बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है ।इनके कार्यों को बढ़ावा देनें के लिये शासन से अनुदान भी प्राप्त होता है ।

3-07 जिला स्तर पर जिला परिषाद का गठन है इसका अध्यक्ष चयनित होता है। जिला परिषाद की आय शून्य जैसी हो गई है। इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इनसे, अपनें प्रशासनिक व्यय वहन करनें की क्षमता नहीं रह गई है। लगभग समस्त प्रदेश के जिला परिषदों की यही स्थिति है। प्रदेश स्तर से भी इस ओर ठोस कदम उठानें होगें, तभी इनकी स्थिति में कुछ सुधार होना सम्भव है।

3-08 जनपद में इस समय दो नगरपालिकायें फतेहपुर तथा बिन्दकी कार्यरत है, जो अपनें कार्यक्षेत्र की विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त चार नगर क्षेत्र समितियाँ जहानाबाद, बहुआ, किशुनपुर तथा खागा कार्यरत है।

3-09 जनपद में 27 सहकारी बैंक, 3 जिला भूमि विकास बैंक, एवं 4 क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ कार्यरत है, 112 कृषि ऋण सहकारी समितियों के अर्न्तगत सभी आवाद ग्राम आच्छादित है। इन सहकारी समितियों के सदस्य 220421 है। इनकी अंशपूँजी 11067 हजार रु0, कार्यशील पूँजी 52745 हजार रु0 तथा जमाधन 4362 हजार रु0 है।

3-10 सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों को कृषि, कुटीर उद्योग लघुसिंचाई, आदि के लिये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण दियाजाता है। वर्ष 1985-86 में 31259 हजार रु0 अल्पकालीन तथा 7720हजार रु0 मध्यकालीन ऋण वितरण किया गया है।

उपभोक्ता भण्डारो के माध्यम से जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण उचित एवं निर्धारित मूल्यों में किया जाता है। चीनी, मिटटीकातेल तथा नियंत्रित कपड़ों का वितरण सहकारी नीति के अनुसार उन्ही के माध्यम से किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों को खाद, बीज उपलब्ध कराया जाता है। समय से सहकारी बैंकों की वसूली न हो सकने के कारण यह सहकारी बैंक कभी 2 संकट से ग्रस्त हो जाती है।

अध्याय-4

आर्थिक कार्य कलाप

==========000=========

4-01 प्रदेश के कानपुर तथा इलाहाबाद दो औद्योगिक नगरों के मध्य जनपद फतेहपुर पड़ने के कारण यह जनपद औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से राज्य के पिछड़े जनपदों में से एक है । कानपुर औद्योगिक नगर समीप होनें के फलस्वरूपयहाँ पर कोई महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं । इस जनपद के निवासियों का मुख्य अवलम्बन कृषि है । मुख्यत: गेहूँ तथा धान यहाँ की पैदावार है । दाल एवं चावल मिल के उद्योग छुटपुट रूप में बिन्दकी फतेहपुर धारियाँव तथा खागा में स्थापित है ।

4-02 औद्योगिक दृष्टि से यह जनपद अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । इस पिछड़े पन का मुख्य कारण इसका दो विकसित महानगरों के मध्य स्थित होने के साथ साथ जनपद में औद्योगिक कार्यकलापों हेतु वाँछित कच्चे माल का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होना तथा कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है । फिर भी अब विभिन्न राजकीय एवं केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वियन के फलस्वरूप जनपद औद्योगीकरण की दिशा में अग्रसर होनें का प्रयास कर रहा है ।

वर्तमान समय में कारखाना औद्योगिक अधिनियम 1948 के अनुसार पंजीकृत कारखानें जनपद में 56 है जिनमें औसत दैनिक कार्यरत व्यक्ति 1123 है । इन कारखानों से वर्ष 1985-86 में 182500 हजार रू0 का उत्पादन किया गया है ।

4-03 जिला उद्योग केन्द्र फतेहपुर के सूचना के अनुसार 31-3-86 तक जनपद में लघु उद्योग इकाईयों की संख्या 666 है जिनमें 4597 व्यक्ति कार्यरत है ।

4-04 वर्तमान समय में जनपद की औद्योगिक इकाईयाँ विशेषकर फतेहपुर शहर, बिन्दकी चौडगरा, खागा, धारियाँव, जहानाबाद, बहुआ आदि क्षेत्रों में केन्द्रित है । जिसका विवरण निम्नवत है ।

1 वृहद स्तरीय उद्योग
================वर्तमान समय में जनपद में कोई भी इस श्रेणी की इकाई कार्यरत नहीं है । परन्तु निम्न दो इकाईयाँ अभी निर्माणाधीन है, जिनकेनिकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ होनें की सम्भावना है ।

अ-उ0प्र0 सहकारी कताई बुनाई मिल चित्तौरा ॥फतेहपुर॥
==

यह इकाई सहकारी क्षेत्र में उ0प्र0 सहकारी कताई बुनाई मिल फैडरेशन द्वारा जी0टी0रोड पर शहर से 8 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम चित्तौरा में स्थापित हो रही है । भवन निर्माण तथा मशीनों की स्थापना का

कार्य तीव्र गति से हो रहा है। इसकी क्षमता 25000 तकुओं की होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूती धागों के साथ साथ सेन्थाटिक यार्न का भी उत्पादन प्रस्तावित है। लगभग सात करोड़ रु० का पूँजी विनियोजन से 7-8 सौ व्यक्तियों को रोजगार सुलभ होनें की सम्भावना है। 10500 कि०ग्रा० धागे का उत्पादन प्रस्तावित है।

ब-मेसर्स इण्डिया इन्सुलेटर्स प्रा०लि०बरौरा
===============================

यह इकाई जनपद के ग्राम बरौरा में ॥जी०टी०रोड॥ में स्थापित की जा रही है। जो विद्युत के गलास इन्सुलेटर्स का उत्पादन करेगी - 5करोड़ का पूँजी के विनियोजन से लगभग 100 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ होनें की सम्भावना है। इसका उत्पादन क्षमता 10,000 मे०टन वार्षिक होगी।

2-मध्यम स्तरीय उद्योग-
==================

इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्तमान समय दो औद्योगिक इकाईयाँ जनपद में कार्यरत है। यह दोनों इकाईयाँ बिन्दकी क्षेत्र में स्थापित है। इनमें से एक इकाई मेसर्स क्वालिटी स्टील टयूब प्रा०लि० बिन्दकी रोड चौडगरा में है जो वर्ष 1973 में स्थापित हुई थी। यह विभिन्न प्रकार के जी०आई०पाइपों का उत्पादन करती है। इसमें लगभग 1-80 करोड़ रु० का पूँजी विनियोजन है। इसमें 225 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ है। इसकी उत्पादन क्षमता 10,000 में टनवार्षिक है।

इसके मे०शालिमार एण्ड कम्पनी चौडगरा में दिसम्बर 1983 में स्थापित हुई थी। इसमें डिटरजेन्ट केक साबुन का उत्पादन होता है। इस इकाई में 1-18 करोड़ रु० का पूँजी विनियोजन से 90 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हो रहा है।

4-05 जनपद मुख्यालय पर लेदर काम्पलेक्स निर्माणाधीन है। स्वास्तिक गियर्स औद्योगिक अस्थान चौडगरा में सितम्बर 1985 में स्थापित हुई है, जिसमें गियर्स उत्पादन किया जाता है।

4-06 विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जनपद में वर्ष 1983-84 में एक पालिटेक्निक की स्थापना की गई है। जिसका कार्य वर्ष 84-85 से प्रारम्भ हो गया है। जिसके तहद सिविल तथा ऐलेक्ट्रानिक ट्रेडों में डिप्लोमा कोर्स कराया जा रहा है। जनपद में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग तथा जनपदवासियों को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर को सुधारनें में उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि क्षेत्र में हरित क्रान्ति लानें में भी उद्योगों नें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक विकास, विद्युत खानिज तथा

में कच्चे माल कीउपलब्धता पर निर्भर करता है।उद्योग की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करानें के लिये वर्ष 1977 तथा 1980 में आर्थिक गणना सर्वेक्षण किया गया है।जनपद में वर्ष 1980 की आर्थिक गणना के आँकड़े निम्नतालिका में दर्शाये गये है।

क्रमसं0	मद	संख्या
1-	कुल उद्यम	28281
2-	उद्यमों में सामान्यत: कार्यरत व्यक्ति	52783
3-	स्वकार्य उद्यम	24217
4-	संस्थान एक याएक से अधिक भाड़े पर कर्मी सहित	4004
5-	भाड़े पर सामान्यत: कार्यरतव्यक्ति	17490

4-07 जनपद में एक औद्योगिक अस्थान विन्दकी रोड में स्थापित है जिसके अन्तर्गत 10शेड तथा 50 प्लान्ट है।इनमें से 3 शेड तथा 47 प्लान्ट का आवंटन किया जा चुका है। 31-3-86 तक 156 व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया है।जिनमें 10900 हजार रु0 का उत्पादन हुआ है।

4-08 किसी भी क्षेत्र/स्थान के औद्योगिक प्रगति के लिये उस स्थान पर क्रय विक्रय की सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक है।जनपद में केवल 3 थोक मंडिया है तथा छोटे वड़े वाजार 71 है।इस ओर विशेष ध्यान देनें की आवश्यकता है।

4-09 जनपद में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें 364 सीटें है।इस प्रकार प्रत्येक वर्ष लगभग 364 व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडो में तकनीकी प्रशिक्षण देकर प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है।

4-10 आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में वित्त पोषण की व्यवस्था हेतु जनपद में 36 राष्ट्रीयकृत वैंक 48ग्रामीण वैंक, 3 भूमि विकास वैंक तथा 27 सहकारी वैंक कार्यरत है। ग्रामीण वैंकों के प्रसार का कार्य एक सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है।ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को वित्त पोषण सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

4-11 जहाँ एक ओर उपरोक्त सभी समस्याओं के निदान की आवश्यकता है वहाँविशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पादित वस्तुओं की खपत हेतु वाजार का भी होना परमावश्यक है।जनपद में कच्चा माल वाहरी जनपदों जैसे-कानपुर आदिसेआता है।कच्चा माल सुलभ तरीके से औद्योगिक क्षेत्रों में प्राप्त हानें पर उत्पादन क्षमता पर प्रभावडालता है।उत्पादित की गई वस्तुओं को विक्री का क्षेत्र भी निकट होना चाहिये जो इस जनपद में नहीं है।

अध्याय-5

सेवायोजन सम्बन्धी समस्यायें

= = = = = = 000= = = = = ==

5-01 जनपद फतेहपुर की वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1072940 थी जो वर्ष 1971 की जनगणना में 19-94 प्रतिशत बढकर 1278254 हो गई । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1971 की जनसंख्या में 23-04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा जनपद की जनसंख्या 1572421 हो गई है, जिसमें 829389 पुरुष तथा 743032 स्त्रियाँ हैं । प्रति वर्ग कि0मी0 जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 1961, 1971, तथा 1981 में क्रमशः 249, 306 तथा 379 है ।

5-02 जनसंख्या का आकार एवं संरचना

==========000==========

5-02 जनसंख्या के आयुवर्ग के ढ़ाचे का अवलोकन करनें से स्पष्ट है कि 1971 की जनगणना में 15-59 आयु वर्ग का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1961 की अपेक्षा घटा है । वर्ष 1981 में 0-14 आयु वर्ग का प्रतिशत 40-98 था जो 1971 में बढकर 42-98 हो गया, 10-14 आयु की तथा 60 एवं अधिक आयु वर्ग में प्रतिशत बढा है । 60 एवं अधिक आयु वर्ग का प्रतिशत 1961 में 5-72 था जो बढ़कर 1971 में 6-26 हो गया । 15-59 आयु वर्ग का प्रतिशत वर्ष 1961 की जनगणना में 53-30 था जो घटकर 50-76 रह गया ।

5-03 राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण की कुल 32वीं आवृत्ति की (केन्द्रीय प्रतीक) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 15-59 आयु वर्ग की जनसंख्या का केवल 58 प्रतिशत भाग ही श्रम शक्ति की रचना करता है । इस आयुवर्ग की जनसंख्या 1980 में कुल जनसंख्या का 54-05 प्रतिशत अनुमानित है । यद्यपि श्रम शक्ति के अन्तर्गत 15-59 आयु वर्ग के लोग ही मानें जाते हैं । परन्तु व्यवहारिक रूप में ग्रामीण अंचल में विशेषकर तथा शहरों में भी किसी सीमा तक 0-14 आयु वर्ग के लोग कार्य के तलाश में रहते हैं । वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 0-14 आयु वर्ग में 549401 व्यक्ति हैं जिसमें कुछ प्रतिशत कार्य की तलाश में रहते हैं। 15-59 आयु वर्ग के 648876 व्यक्ति है जो श्रम शक्ति के श्रेणी में माने जाते है।

5-04 श्रम शक्ति में कर्मकर तथा बेरोजगार दोनों श्रेणियों के लोग शामिल हैं । कर्मकर में अर्द्ध बेरोजगार भी शामिल है । राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अनुसार 2-77 प्रतिशत बेरोजगार तथा 5-43 प्रतिशत अर्द्ध बेरोजगार लोग हैं ।

5-05 जनपद में रोजगार के साधान परमागत विद्यमान है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिकार करना , खान एवं खादान में कार्यकरना, पारिवारिक उद्योग जो विनिर्माण विधायन, व मरम्मत , निर्माण व्यापार वाणिज्य परिवहन भंडार व संचार तथा अन्य सेवायें जिसमें प्रशासन शिक्षा स्वास्थ्य धारेलू सेवायें वैकिंग इत्यादि आती हैं ।

5-06 यद्यपि विभिन्न जनगणनाओं में कर्मकरों का विभाजन उपलब्धा है किन्तु इन जनगणनाओं में प्रयुक्त परिभाषाओं एवं मानदण्डों में एकरूपता न होनें के कारण विभिन्न जनगणनाओं की सूचना तुलनीय नहीं है , तथापि विभिन्न जनगणनाओं से उपलब्धा आँकड़े यह अवश्य संकेत करते हैं कि गत वर्षों के नियोजित प्रयासों के बावजूद कृषि की निरन्तर भूमिका रही है । वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 87-4 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आधारित है । जिसमें कृषक तथा कृषक मजदूर सम्मिलित हैं शेष 12-6 प्रतिशत में पशुपालन0-4 पारिवारिक उद्योग 3-0, गैर पारिवारिक उद्योग 1-5, निर्माण कार्य 0-4 व्यापार एवं वाणिज्य 2-4, यातायात 0-4तथा अन्य सेवाओं में 4-9 प्रतिशत कर्मकर लगे हुये हैं ।

वर्ष 1981 की जनगणना के उपलब्धा आँकड़ों के अनुसार 76-38 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आधारित है । जिसमें कृषक मजदूर भी सम्मिलित हैं । शेष 23-62 प्रतिशत में परिवारिक उद्योगों के अर्न्तगत 2-19 प्रतिशत अन्य कार्य में 12-60 तथा सीमान्त कर्मकर 8-83 प्रतिशत कार्यरत पाये गये ।

5-07 लगभग सभी देशों में कृषि में श्रम शक्ति के भार में कमी को आर्थिक विकास का द्योतक माना गया है । इस जनपद में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में श्रम शक्ति को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके हैं , अन्य अकृषीय कार्य कलाप अभी तक जनपद में पनपनें की स्थिति में नहीं आ सके हैं । कृषि पर ही श्रम शक्ति का निर्भर होना जनपद के पिछड़े पनका द्योतक है ।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रवृत्तियाँ

==========000==========000==========

5-08 जनपद के कुल कर्मकरों में स्वत: रोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है । नियमित वेतन तथा मजदूरी पानें वालों का प्रतिशत नगण्य है । स्वत: रोजगार/व्यवसाय करनें वाले व्यक्ति अधिकांशतया:ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर केन्द्रित हैं। कदाचित ग्रामीण अंचलों में अर्द्ध बेरोजगारी का आकार अधिक होने का कारण भी यही तथ्य है, क्योंकि जनपद की कुल जोत2746 30

का 96-8 प्रतिशत जोतें 5 हेक्टेयर तक की है । परन्तु इनके पास मात्र 77-3प्रति० क्षेत्र है । दो हेक्टेयर तक की जोतों की संख्या 84-0 प्रतिशत है जबकि उनके पास मात्र 46-5 प्रतिशत क्षेत्र है । एक हेक्टेयर तक की जोते 66-5 प्रतिशत है , परन्तु उनके पास मात्र 25-0 प्रतिशत क्षेत्र है । इससे स्पष्ट है कि कृषकों में से अधिकांश कृषक छोटी जोतों के हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अर्द्ध बेरोजगारी को अधिक वृद्धि करती है ।

5-9 कृषक मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन बड़ी दयनीय होती जा रही है । ज्यो 2 जोतों के आकार जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार विभाजन के कारण छोटे होते जा रहे हैं । कृषक मजदूरों के रोजगार के द्वारबन्द होते जा रहे हैं । यही नहीं कृषि का यंत्रीकरण भी कृषक मजदूरों का बेरोजगारी पर कुप्रभाव पड़ा है । बड़े कृषक जो मजदूरी का अवसर सुलभ करते हैं । ट्रेक्टर का प्रयोग करनें पर तथा थ्रेसर इत्यादि के प्रयोग के कारण श्रमशक्ति के आयोजन के अवसर क्षीण होते जा रहे हैं । वर्ष में अधिकाश समय में मजदूरी के द्वार बन्द होते जा रहे हैं । इससे बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की गहनता तीव्र होती जा रही है ।

5-10 ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्पकार, कुटीर उद्योग तथा घरेलू सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । हथकरघा इत्यादि से उत्पादित मोटे कपड़ो की माँग एवं खपत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है । क्योंकि ग्रामीण अचलों में भी मिल उत्पादित कपड़ों की खपत निरन्तर बढती जा रही है । ठीक यही स्थिति ग्रामीण चर्म उद्योग की है ग्रामीण चर्म उत्पादन की खपत निरन्तर घटती जा रही है । क्योकि अच्छे किस्म के जूतों तथा प्लाटिक के चप्पलों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है । कृषि यंत्रीकरण के कारण ग्रामीण अंचलों का बढ़ई व लोहार का उद्योग भी निरन्तर गिरता जा रहा है। इस प्रकार ग्रामीण अंचलों में भी बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी का अवसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । वे व्यक्ति जो जीवन निर्वाह स्तर के नीचे है, किसी भी प्रकार का कार्य करनें के लिये बाध्य हैं, चाहे उस कार्य से उन्हें नाम मात्र का लाभ मिलता हो। यह स्थिति तब और गम्भीर हो जाती है । जब एक वृहद परिवार को पालन पोषण करना पड़ता है। क्योंकि जनपद का आश्रित अनुपात 1-9 है ।

5-12 शहरी क्षेत्रों में सेवाओं तथा स्वत: रोजगार का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कम नहीं है क्योकि अधिकांश अंश सेवाओं के अन्तर्गत

है । फिर वाणिज्य एवं व्यापार वस्तु निर्माण का क्रम आता है ।शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगार तथा अर्द्ध बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति विद्यमान है। आश्रित अनुपात शहरी क्षेत्र का भी लगभग ग्रामीण क्षेत्र के समान।-9 है ।स्वत. [illegible] व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की स्थिति तो सन्तोषजनक कही जा सकती है । किन्तु कुटीर उद्योग तथा मजदूरी करनें वालों की स्थिति ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में दयनीय एवं सोचनीय है ।

5-13 जनपद फतेहपुर में 6नगर हैं ।बड़े एवं मध्यम आकार के उद्योगों का अभाव सा ही है ।जनपद फतेहपुर में उपयोग की सभी सामाग्री दूसरे शहरों से आती है । जनपद में बहुत छोटे 2 उद्यम यदाकदा कार्यरत है ।

5-14 कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिये ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हैं ।आर्थिक क्रिया कलाप में गति शीलता न होनें के कारण इन्हें खपाने के लिये द्वारावरुद्ध है ।

महिला रोजगार

=========000=======

5-15 परिवार के संचालन में महिला श्रम शक्ति को प्रारम्भ से ही गौण माना जा रहा है ।कृषि के यंत्रीकरण के बढ़ाव से महिला श्रम शक्ति भी प्रतिदिन बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार की ओर अग्रसर होती जा रही है । इस प्रकार रोजगार की अवसरों की अंश पूँजी तथा सामाजिक प्रतिवन्ध महिलाओं को हमेशा पीछे रखते रहे हैं ।ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें स्वत: रोजगार के अर्न्तगत घरेलू सेवाओं में भी कार्यरत हैं ।इनके लिये सम्मानजनक तथा सुरक्षित रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है ।

5-16 जनपद में 1981 की जनगणनानुसार 70045 महिला कर्मकर थी इनमें से 29156 काश्तकारी में तथा 36827 खेतिहर मजदूर के रूप में कुल 65983 महिलायें कृषि पर आधारित थी ।इसके बाद अन्य सेवाओं में 1939तथा पारिवारिक उद्योग में 1156 एवं व्यापार एवं वाणिज्य में 404 महिलायें कर्मकर के रूप में थी ।ग्रामीण अंचल में महिलायें कृषि में मात्र सहयोग के रूप में भूमिका निभाती है ।मजदूरी के अर्न्तगत निराई, गुडाई , एवं कटाई में कार्य करती है । जो सामयिक है ।गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनें वाले परिवार इस सामयिक कार्यों में अधिक से अधिक लाभ लेकर खाद्य सामाग्री की व्यवस्था करनें के उद्देश्य से मजदूरी में लीन हो जाते हैं , अन्यथा इन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं ।ग्रामीण क्षेत्र में स्वत: रोजगार के लिये अन्य कोई विकल्प इनके लिये नहीं है ।

5-17 नगरीय क्षेत्र में महिलायें स्वत: रोजगार के अन्तर्गत घरेलू सेवाओं के अन्तर्गत है, क्योंकि कुल महिला नागरीय कर्मकर 1034 है। जिनमें से 475 अन्य सेवाओं के अन्तर्गत है, तथा 433 कृषि में कार्यरत है जिनमें से अधिकांशत: 365 [illegible] के रूप में कार्यरत है। [illegible] में इनके लिये सम्मानजनक तथा सुरक्षित रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है।

5-18 शिक्षित बेरोजगार की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। यह प्रवृत्ति ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र दोनों की है। हाईस्कूल, इन्टरमीडियट, तथा स्नातक स्तर के शिक्षित व्यक्तियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। रोजगार के पर्याप्त अवसर के अभाव में स्वत: रोजगार में अपनें को स्थापित नहीं कर पाते हैं। केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुसार शिक्षित स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत 25 हजार तक व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर स्वत: रोजगार में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है इसी में 25 प्रतिशत अनुदान भी है। नगरीय क्षेत्रों में भी दुर्बल वर्ग के लिये योजना है। जिसमें उनके स्तर के अनुसार ऋण अनुदान तथा मार्जिनमनी की व्यवस्था है।

5-19 वर्ष 1985-86 के अन्त तक 32579 व्यक्ति सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है। (जिनमें वर्ष 85-86 में कुल 15496 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है) जिसमें प्राविधिक एवं अप्राविधिक सम्मिलित है। इसमें गैर प्राविधिक अधिकांश है। यह पंजीकरण की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जारही है। वर्ष 1985-86 में केवल 85 व्यक्तियों को ही रोजगार सुलभ कराया गया है जबकि वर्ष में पंजीकृत की संख्या 15496 है अर्थात वर्ष में पंजीकृत लोगों में से केवल 0-55 प्रतिशत लोगों को रोजगार सुलभ कराया जा सका है।

उपलब्ध सुविधायें

5-20 भूमिहीन श्रमिक, शिल्पकार तथा बेकार युवकों के लिये ट्राइसम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना एवं स्वत: रोजगार की सुविधायें उपलब्ध है. ट्राइसम के अन्तर्गत युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें प्रशिक्षण अवधि में भत्ता भी दिया जाता है। इसके बाद उन्हे उद्यम चलानें हेतु ऋण की व्यवस्था की जातीहै तथा अनुदान भी दिया जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत नये तथा पुरानें लाभार्थियों को जो अभी गरीबी रेखा को पार नहीं कर पाये हैं, चयनित किया जाता है। वर्ष 86-87 में 2250 नये तथा 6381 पुरानें लाभार्थियों को लाभान्वित करने का प्राविधान है।

इन्हे इनकी रूचि के अनुसार उधम एवं व्यवसाय चलानें हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की जाती है ।उद्योग केन्द्र के माध्यम से भी शिल्प कारों तथा युवकों को उधम चलानें हेतु ऋण उपलब्ध कराकर प्राविधिकजानकारी दी जाती है । उन्हे ऋण नगद न देकर सामाग्री के रूप में दिया जाता है।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को यह अनुदान 50प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में दिलाकर दी जाती है ।

5-21 ग्रामीण अंचलों में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।इन कार्य क्रम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सीधे लाभ पहुँचानें की दृष्टि से निर्माण कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नगद तथा खादयान के रूप में किया जाता है ।

5-22 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100दिन तक के रोजगार की गारन्टी सुलभ करानें हेतु ग्रामीण भूमिहीनों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध करानें का प्राविधान किया गया हैं ।

5-23 जिन परिवारों की आय ग्रामीण अंचल में 2000 तथा शहरी अंचल में 3000 रू0 वार्षिक है ।उन्हे व्यवसायिक बैकों के माध्यम से 4 प्रतिशत व्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वत: रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाता है ।इस प्रकार जनपद में नये भी रोजगार के उपलब्धकराये जानें की दिशा में प्रयास किया जा रहा है , वह पूर्णतया:अपर्याप्त है। बेरोजगार के आकार एवं महत्व को ध्यान में रखते हुये जो सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है ।वह स्वाति नक्षत्र के बूँद समान है ।

प्राविधिक एवं औधोगिक प्रशिक्षण की सुविधायें पूर्ण तया: अपर्याप्त है जनपद में दो औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्र है। जिनकी क्षमता पात्र 380 है ।इस जनपद में नियोजन प्रणाली के अर्न्तगत एक पालीटेक्निक की स्थापना की गई है ।जिसमें वर्ष 84-85 से प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है। इसमें सिविल तथा इलेक्ट्रानिक विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

ट्राइसम योजना के अर्न्तगत जो प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त है , वह सीमित, अपर्याप्त तथा अल्प अवधि की है। इतनी कम अवधि में प्रशिक्षित व्यक्ति स्वत: रोजगार चलानें में अपनें को पूर्णत:असमर्थ पाता है ।इस प्रकार बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार के आकार एवंविविधता एवं संख्या को देखते हुये जो सुविधायें उपलब्ध हो रही है।वहनगण्य हैइसके लिये समुचित समन्वित एवं एकीकृत नियोजन की आवश्यकता है ।

अध्याय-6

पिछड़े समुदायों की समस्यायें

6-01 भारतीय समाज विभिन्न जातियों, वर्गों एवं धर्मों के सामन्जस्य से बना है। जातियाँ पेशों के आधार पर विभाक्त है। पिछड़े वर्ग के समुदाय से तात्पर्य उस वर्ग के समुदाय से है जो आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुये हैं। इस वर्ग के लोग अपने प्रयत्नों से निजी उपभोग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में पूर्णतया: असमर्थ है। इस वर्ग के लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास का प्रेरणा स्रोत शुष्क है। यदि इस वर्ग के कुछ भाग में उत्थान की प्रेरणा विकसित समाज को देख कर जागृत भी होती है, तो उनके पास सम्बल जुटाने के साधन उपलब्ध न होने के कारण स्वपन्न को साकार रूप देने में असमर्थ होते हैं।

6-02 समाज के सन्तुलित सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुये समाज के इस वर्ग के उत्थान के लिये विकास के कार्यक्रमों को इस वर्ग तक पहुँचाना ही होगा। इस वर्ग के जीवन स्तर को उठाने तथा सामान्य स्तर तक लाना एक सामाजिक राष्ट्रीय न्याय ही होगा। इस वर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु कृषक तथा सीमान्त कृषक भूमिहीन श्रमिक वर्ग परम्परागत कारीगर बन्धुआ श्रमिक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग आते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में विकास होने तथा लोकतांत्रित प्रशासन प्रणाली लागू होने से इस वर्ग में दिन प्रतिदिन असन्तोष एवं आक्रोश उमड़ रहा है। यद्यपि इस वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने एवं आर्थिक विकास के अवसर सुलभ कराने के लिये शासन की ओर से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना से इस दिशा में विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। तथा उसी के अनुरूप रणनीति अपनाई जा रही है। सातवी एवं पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष बल दिया जा रहा है।

6-03 जनपद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 1981 एवं 1981 की जनगणनानुसार क्रमश: 301895 एवं 373088 है जो सन्दर्भित वर्षों की कुल जनसंख्या का 23-62 एवं 23-73 प्रतिशत है। बन्धुआ मजदूरों की संख्या इस जनपद में नगण्य सी है। किन्तु लघु एवं सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन मजदूर एवं ग्रामीण दस्तकार कुल श्रमिक वर्ग का लगभग 88 प्रतिशत है।

6-04 वर्ष 1981 की कृषि गणना के अनुसार जनपद में जोतों तथा उसके क्षेत्रफल की स्थिति निम्नवत है ।

जोत का आकार	संख्या	प्रतिशत	क्षेत्रफल हे0	प्रतिशत
1-0हे0से कम	182458	66-5	79517	25-0
1-0से2-0हे0	48094	17-5	88485	21-5
2-0से 3-0हे0	19710	7-2	46627	14-6
3-0से 5-0हे0	15500	5-6	57805	18-2
5-0से अधिक	8868	3-2	66303	20-7
योग	274630	100-0	318737	100-0

6-05 तालिका गत आँकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या बहुत ही अधिक है । जनपद की 91 प्रतिशत जोत 3 हे0से कम है तथा 3-5 हे0के मध्य केवल 6 प्रतिशत जोत है । 5-0 से अधिक का प्रतिशत बहुत ही न्यून 3 प्रतिशत है तथा 91 प्रतिशत जोत 3हे0के नीचे वाली है किन्तु कुल भूमि का केवल 61 प्रतिशत क्षेत्र इस श्रेणी के अन्तर्गत आताहै इससे स्वतः स्पष्ट है कि अधिकांशतः जोते अनार्थिक जोते है । मात्र खेतो पर आश्रित रहकर जीवनयापन करना इस वर्ग के लिये पूर्णतः अभाव है । सिंचाई के साधन इस वर्ग के पास स्वयं के नहीं है ।

6-06 समुदाय की समस्यायें

===-=====-000===========

इस समुदाय के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है। अस्पृश्यता, भेदभाव, अशिक्षा आवास गन्दगी पेयजल अर्द्ध बेरोजगारी तथा ऋण ग्रस्तता पुर्नवासन आदि सामाजिक कुरीतियाँ साधन हीनता समस्यायें इस वर्ग की है ।

6-07 उपर्युक्त वर्णित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में तथा इस वर्ग के उत्थान के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही शासनद्वारा आवश्यक ठोस कदम उठाये गये हैं । किन्तु इन प्रयासों का फल इस वर्ग को [illegible] की ओर अब भी निरन्तर ठोस कदम उठा रहा है । समूह के उत्थान के स्थान पर अब परिवार विशेष के उत्थान की योजनायें बनाई जा रही है । योजना का विकेन्द्रीकरण इसका एक प्रतिफल है । इस वर्ग के उत्थान के लिये शासन द्वारा उठाये गये कुछ मुख्य ठोस कदम निम्नवत हैं ।

अस्पृश्यता अधिनियम

1- इस अधिनियम के अन्तर्गत छुआ छूत मानने वाला कानूनी तौर पर अपराधी है। तथा दण्डसंहिता के अधीन दण्डनीय है। सामाजिक स्तर पर अस्पृश्यता की कुरीतियों, दुष्परिणामों के प्रति समाज के अन्य वर्गों को अवगत कराकर समान आदर एवं व्यवहारिकता के लिये प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षा के विकास के साथ साथ दिन प्रतिदिन इसका निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। सामाजिक कुरीतियों तथा दुर्व्यसन के प्रति इस समुदाय के लोगों को सजग किया जा रहा है। धीरे धीरे समाज के अन्य समुदाय के आत्मीय सम्बन्ध होते जा रहे हैं। हरिजन समुदाय को अपनें वर्ग के अन्दर व्याप्त छुआछूत तथा गन्दगी दूर करनें के प्रति भी सजग करना अत्यन्त आवश्यक है।

पेयजल सुविधाओं का उपलब्ध कराना

2- इस वर्ग की इस समस्या के निराकरण के लिये शासन के निर्देशानुसार ग्राम्य विकास विभाग एवं जल निगम विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुलभ कराये जानें के उद्देश्य से हरिजन पेयजल योजना चालू की गई है। योजना के अधीन कूप, हैण्डपम्प का निर्माण कार्य पूरा कराकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उनके निवास के समीप की जाती है। यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। अब इण्डिया मार्क 2 हैण्डपाइप सभी हरिजन बस्तियों में लगा या जा रहा है।

आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना

3- ग्रामीण अंचलों में स्थाई रूप से निवास करने वाले निर्बल वर्ग के परिवारों जिनके पास आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है, उन्हे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण निर्बल वर्ग आवासीय योजना वर्ष 1979-80से ग्राम्य विकास के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना के लाभार्थी वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास 0-404 हे0 सिंचित या 1 हे0 असिंचित भूमि से अधिक न हो साथ ही परिवार के किसी सदस्य को कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई नियमित आय न हो। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को लाभार्थी चयन में प्राथमिकता दी जाती है। लाभार्थी का चयन गाँव सभा द्वारा किया जाता है। लाभार्थी को आवास निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत अथवा 2000 रु0 प्रति आवास निर्माण सामाग्री के रूप में अनुदान खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 100 रु0 स्थल विकास और 50 रु0 आकास्मिक व्यय शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाताहै।

सप्तम् पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 तक 882 आवास निर्मित कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिक गारन्टी योजना के अन्तर्गत 8 हजार की लागत से पक्के मकान खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से चयन कराकर उपलब्ध कराये जा रहे है। इसमें 3 हजार प्रति मकान स्थल विकास तथा अवस्थापना सुविधाओं के लिये भी दिया जा रहा है। वर्ष 1985-86 जनपद में 260 मकान बनाने का प्राविधान था।

शिक्षा सुविधा

=======000======

4- सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से समाज के निर्बल वर्गो के बच्चे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते है। इन कठिनाईयों पर काबू पाने तथा छात्र संख्या को सुधार रखने की दृष्टि कोण से निशुल्क पाठ्य पुस्तकों पठन सामाग्री तथा निशुल्क शिक्षा, छात्र वृत्ति, आदि सुविधायें शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। किन्तु इन सुविधाओं का समुचित लाभ इस वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकिवह अपने जीवन उपार्जन की समस्या में ही ग्रसित है तथा उच्च शिक्षा तक समय दे पाना इस वर्ग के परिवार के लिये सम्भव नहीं हो रहा है। निर्धनता के कारण बच्चों से मजदूरी कराने के लिये अभिभावक बाध्य हो जाते हैं।

कुपोषाण सुविधा

==========000========

5- इस वर्ग के बच्चे तथा धात्री मातायें एवं गर्भवती स्त्रियाँ कुपोषाण के कारण शारीरिक रूप से कमजोर है उनको पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत पोषित आहार उपलब्ध कराने का प्रयास कराया जा रहा है। जनपद के 5 विकास खण्डोंमें समन्वित बाल विकास परियोजना चल रही है, तथा विकास खण्डों में पुष्टाहार योजना चल रही है। इनके माध्यम से गर्भवती महिलाओं धात्रियों को पौष्टिक आहार वितरित किया जाता है।

6- सबसे गम्भीर समस्या अर्द्ध बेरोजगारी तथा बेरोजगारी की है। अधिकांश व्यक्ति खेतिहर मजदूर मजदूरी दस्तकार या छोटे 2 कृषक के रूप में कार्यरत है। इनके जीवन यापन की गम्भीर समस्या है। वर्ष में बहुत कम समय के लिये काम मिल पाता है। परिश्रम का उपयुर्क्त पारिश्रमिक भी नही मिल पाता है। इसमें गतिशीलता तथा कौशल भावना क्षमता नहीं रहती है। जिनके पास खेती या दस्तकारी का भी काम होता है उनके पास उसमें आवश्यक निवेशों की आपूर्त्ति के लिये आवश्यक साधान जुटा पाने की क्षमता भी नहीं होती है। जिसके कारण गुणात्मक तथा अधिक उत्पादन सुधार कर सकने में

समर्थ नहीं हो पाते हैं । शासन इस विकराल समस्या के समाधान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है तथा प्रति फल के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को राजकीय सेवाओं में लानें के लिये 18 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया है । विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वतः रोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । सामान्य को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लोगों को 50प्रतिशत अनुदान की भी व्यवस्था है । उद्योग लगानें के लिये भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के माध्यम से वित्तीय सहायता एवं मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ऋण ग्रस्तता
======000===

7– समाज के इस समुदाय के लोगों में ग्रामीण साहूकारों का बहुत अधिक ऋण अधिक ब्याज दर पर लगा है । इतनी अधिक ऋण ग्रस्तता है कि जीवन पर्यन्त तक मुक्ति पाना कठिन हो जाता है । तथा विकास के कोई भी प्रतिफल इन तक नहीं पहुँच पाते हैं । शासन नें इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिये अधिनियम द्वारा सभी ऋणों को समाप्त कर दिया है । इनके जीवन को सम्बल देनें के लिये व्यवसायिक बैंकों से प्रतिशत ब्याज दर पर उत्पादन कार्यों के लिये ऋण उपलब्ध करानें की व्यवस्था की गई है । जिससे कि आत्म निर्भर होनें की दिशा मे अग्रसर हो सकें । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से भी उत्पादक कार्यों के लिये कम ब्याज दर पर ऋण मार्जिन मनी तथा अनुदान की सुविधा उपलब्ध है ।

बन्धुआ मजदूर की समस्या
= = = = = =000===========

8– बन्धुआ प्रथा को शासन के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है । किन्तु समाज में कहीं कहीं पर अब भी विद्यमान है। इसके लिये केन्द्र द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है । जिसके द्वारा बन्धक श्रमिक को अवमुक्त कराया जा रहा है । तथा उनके पुर्नवास की व्यवस्था की जा रही है। शासन की ओर से प्रति परिवार 4000 रू0 का अनुदान देकर उन्हे स्वतः रोजगार की सुविधा देकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करनें का अवसर प्रदान किया जा रहा है । जनपद में इस समय कोई अभिज्ञापित बन्धुआ श्रमिक पुर्नवासित होनें को शेष नहीं है ।

6–08 उक्त योजनाओं के अतिरिक्त शासन नें समस्त विभागों को निर्देश दिये हैं कि वह विभागीय परिव्यय का 20प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के उत्थान के कार्यक्रमों में व्यय किया जावे जिससे स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अर्न्तगत रखा गया है ।

6-88

नगरीय दुर्बल वर्ग योजना

========000=========

नगरीय क्षेत्र के दुर्बल वर्ग योजना के अन्तर्गत, जो वर्ष 1984-85 से लागू हुई थी, के जनपद का 700 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध टास्क फोर्स समिति द्वारा 900 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकृत करके विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये थे । बैंकों द्वारा 249 आवेदन पत्रों पर 5-13 लाख रु० का ऋण वितरण किया गया । वित्तीय वर्ष समाप्त हो जानें के कारण बैंकों द्वारा आगे की कार्यवाही रोक दी गई, लेकिन इस सम्बन्ध में शासन से पुनः निर्देश प्राप्त हो गये हैं कि यह योजना पूर्व की भाँति अगले वर्षों में चलती रहेगी ।

------00------

अध्याय -7

7-0-0 : जनपद के विकास की रूपरेखा पर विचार करते हुए सर्वप्रथम जनपद में चल रही विभिन्न विभागों की भौतिक उपलब्धियों तथा अनुमानित प्रस्तावित विस्तार की समालोचनात्मक समीक्षा किया जाना अति आवश्यक है । चालू योजनाओं की परिलब्धियों, अवस्थापना सुविधाओं के विकास को दृष्टिगत रखते हुए चालू योजनाओं की निरन्तरता पर विचार किया जाना परमा-वश्यक है एवं तदनुसार ही नई योजनाओं की संरचना का आधार परिकल्पित किया जाना सम्भव है। अतः विभागवार चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जा रहा है ।

1- कृषि विभाग

1- उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों के संवर्द्धन एवं संग्रहण की योजना :-

7-01-1 : आधारी उन्नतिशील प्रजाति के बीजों के संवर्द्धन के पश्चात विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थित कृषि साधन पूर्ति भण्डारों पर कृषकों की माँग के अनुसार उन्नतिशील प्रजाति के खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी बीजों को खरीफ रबी एवं जायद की फसलों के लिए बीज उपलब्ध कराने तथा उर्वरक की आपूर्ति की माँग के अनुसार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा उत्पादन बढ़ाने के हित में इस योजना के अंतर्गत साधन पूर्ति भण्डारों की नितांत आवश्यकता है । जनपद के पूर्ति भण्डार भवन विहीन होने के कारण कृषि निवेशों की व्यवस्था में कठिनाई होती है । वर्ष 87-88 में 4 कृषि बीज गोदाम विकास खण्ड हथगाँव, अमौली देवमई एवं धाता में 131 हजार रू0 प्रति गोदाम की दर से 524 हजार रू0 निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा । यदि वर्ष 86-87 में प्रस्तावित 3 गोदाम स्वीकृत हो जाते है तो उक्त विकास खण्ड के स्थान पर तेलियानी, बहुआ तथा बिजईपुर में निर्माण कार्य कराया जायेगा । माल सम्पूर्ति तथा मजदूरी आदि हेतु 186 हजार रू0 व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार इस योजना हेतु वर्ष 87-88 के लिए 710 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । माल सम्पूर्ति की व्यवस्था जनपद के तीन कृषि प्रक्षेत्र थरियाँव, मलवाँ तथा औंग के लिए की जानी है जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 32 हे0, 22 हे0 एवं 19 हे0 है ।

2- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसल के उत्पादन की योजना :-

7-01-2 : इस योजना का मुख्य उद्देश्य दलहनी फसलों की सघन पद्धतियाँ अपना कर प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना है । दलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन का आयोजन विशेष अनुदान द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त इन फसलों के मिनीकिट्स का वितरण भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जायेगा । जिसमें कृषकों को प्रमाणित बीज निःशुल्क दिया जायेगा । लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीज के साथ-साथ उर्वरक भी निःशुल्क दिया जाना है । वर्ष 87-88 में इस योजना के अंतर्गत अरहर तथा चना के ब्लाक प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे । प्रत्येक प्रदर्शन 100 हे0 का होगा

क्रमशः-------28 पर

इसके साथ इस योजना के अंतर्गत नियुक्त दलहन निरीक्षक के वेतन एवं मंहगाई भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए वर्ष 87-88 में 237 हजार रू० का परिव्यय राज्यांश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह योजना केन्द्र पोषित है इसलिए 237 हजार की धनराशि केन्द्र सरकार से भी प्राप्त होगी। इस प्रकार कुल व्यय 474 हजार होगा। यह राष्ट्रीय दलहन विकास योजना इस वर्ष से प्रारम्भ होगी इसके अपेक्षित परिणामों की समीक्षा अगले वर्षों में की जायेगी।

4- गेहूँ की फसल पर गेहुँआ एवं खरपतवार नियंत्रण की केन्द्रपोषित योजना
= =

7-01-3 : गेहुँआ खरपतवार के पौधे गेहूँ के पौधों के अनुरूप होते है, जिन्हे केवल रासायनिक विधि द्वारा समाप्त किया जा सकता है। गेहूँ के उत्पादन पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है। यह एक राष्ट्रव्यापी समास्या है। वर्ष 86-87 में 122 हे० क्षेत्र को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 87-88 में 125 हे० क्षेत्र को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस योजना को चालू रखने के लिए 3-00 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है। यह केन्द्रपोषित योजना है। इतनी ही धनराशि केन्द्र से भी उपलब्ध होगी।

5- प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना:-
= =

7-01-4 : विभिन्न फसलों को कीट, खरपतवार एवं रोगों से बचाने तथा उपज की वृद्धि के लिए कीटनाशक दवाओं का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भण्डार गृहों के अभाव में इनके लिए निजी क्षेत्र में मकान उपलब्ध होते हैं बहुत कठिनाई होती है। जहरीली दवाओं एवं रसायनों के कारण नहीं देते हैं। इसलिये राजकीय भवनों की नितांत आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से अमौली तथा धाता में दो भवन प्रस्तावित है। 1987-88-280 हजार

6- केन्द्र पोषित सघन तिलहन विकास कार्यक्रम की योजना :-
= =

7-01-5 : शाकाहारी भोजन में तिलहन ही मुख्य चर्बी का श्रोत है। जिसकी पूर्ति तिलहनी फसलों के द्वारा ही होती है। अतः इसके विकास के लिए कृषकों के खेतों पर तिलहनी प्रदर्शन का आयोजन विशेष अनुदान द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन फसलों के मिनीकिट्स का वितरण भी किया जाता है जिसमें कृषकों को प्रमाणित बीज निःशुल्क दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 30 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिससे 50 हे० क्षेत्र में सघन तिलहन विकास का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

क्रमशः----29 पर

2- उद्यान एवं फल संरक्षण

1- प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन एवं बीज विधायन इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण :

7-02-1 : इस योजना के अंतर्गत तीन राजकीय औद्यानिक पौधशालाये हैं। बबई जिसका क्षेत्रफल 17·10 हे0 है। राजकीय औद्यानिक पौधशाला गौरी जिसका क्षेत्रफल 3·20 हे0 है। बुदवन राजकीय औद्यानिक पौधशाला का क्षेत्रफल 6·80 हे0 है। जिसमें क्रमश: 1·1 हे0 पौधशाला, 2 हे0 में भवन, सड़क, नाली तथा 2 हे0 में आदर्श उद्यान एवं मात्र पौधे लगे हैं। 9·6 हे0 में आलूबील, 2·4 हे0 में सब्जी बीज बोया जायेगा। गौरी पौधशाला में 0·8 हे0 में सब्जी बीज एवं धान उत्पादन तथा 0·8 हे0 में मातृ पौधे, 0·5 हे0 में नर्सरी, 0·5 हे0 में तालाब तथा 0·6 हे0 में सड़क भवन आदि है। बुदवन प्रक्षेत्र पर 2·0 हे0 में पौधशाला में मातृपौधे उगाना है। 4·0 हे0में आलू एवं सब्जी बीज उत्पादन होगा तथा 0·8 हे0 में भवन रेखांकस होगा। इन तीनों प्रक्षेत्रों में लाखों फलदार, ईंधन एवं शोभादर पौधे तैयार किये जाते हैं। इन सब के रखरखाव के लिए स्थापना मद में वर्ष 87-88 में 500 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्न प्रकार धन प्रस्तावित किया गया है।

1- 137=00 वेतन, 2- महंगाई भत्ता 123=00, 3-यात्रा भत्ता 30=00, कार्यालय व्यय 10=00, अन्य व्यय 50=00 तथा माल सम्पूर्ति एवं मजदूरी 150=00 पौधों एवे बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने हेतु वर्ष 87-88 में एक डिलेवरी वान की व्यवस्था हेतु 100 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 के लिए 600 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

2- प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना :

7-02-25 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड हस्वा, बहुआ, तथा विजईपुर के हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ग-3 के तीन सहायक उद्यान निरीक्षक तथा तीन माली के पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं। जिन पर स्थापना

क्रमश:-------30 पर

एवं वचनबद्ध व्यय अनिवार्य है । इसके अंतर्गत सब्जी बीज का वितरण अनुदान के रूप में लघु एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को कराया जाता है एवं उद्यान सम्बन्धी तकनीकी जानकारी कृषकों को प्रदान किया जाता है एवं सब्जी के बीजों को क्रय करके अनुदान के रूप में बीज वितरण किया जाता है। जिससे लघु सीमान्त एवं अनुसूचित जाति के कृषक लाभान्वित होते हैं। इस कार्यक्रम के स्वीकृत पदों के अनुरूप औद्यानिक विकास के लिए 100 हजार रू० का परिव्यय वर्ष 87-88 के लिए प्रस्तावित किया गया है । जिसमें वेतन पर 25 हजार,महंगाई भत्ते में 23 हजार,यात्रा भत्ता 7 हजार,अन्य भत्ता 5 हजार कार्यालय व्यय पर 2 हजार, मजदूरी व्यय 18 हजार तथा माल सम्पूर्ति पर 20 हजार रूपया प्राविधानित है ।

3- सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना :-

7-02-3 : जनपद फतेहपुर में इस समय जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत दो फल संरक्षण केन्द्र कार्यरत है। वर्ष 1983-84 में बिन्दकी इकाई का विस्तार कर स्थापित की गई थी। इकाई में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक इकाई खागा में वर्ष 85-86 में विस्तार किया गया है। इन सभी इकाइयों के कार्य सम्पादन के लिए जनपद स्तर पर एक फल संरक्षण अधिकारी कार्यालय की स्थापना वर्ष 86-87 में प्रस्तावित है। जिसमें एक फल संरक्षण अधिकारी राजपत्रित श्रेणीद्वितीय,प्रभारी वर्ग-1 का दो,सहायक प्रभारी वर्ग-2 का दो, सुपरवाइजर वर्ग-3 का चार, ज्येष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक/कैशियर एक,कनिष्ठ लिपिक/टंकक एक, चौकीदार/चपरासी 3, कामदार 4 के वेतनमान पर व्यय धनराशि सम्मिलित है जो कि जनपद पर फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण आदि के समन्वय का कार्य करेगी। फतेहपुर,बिन्दकी तथा खागा केन्द्रों पर कार्य होगा । उपर्युक्त कार्यरत बिन्दकी तथा खागा की इकाई तथा चालू जिला स्तरीय कार्यालय के सफल संचालन के लिए मशीनरी,माल सम्पूर्ति तथा स्टाफ के वेतन महंगाई भत्ता,यात्रा भत्ता,अन्य भत्ता, एवं कार्यालय व्यय पर खागा तथा बिन्दकी केन्द्र के लिए वर्ष 87-88 में 70-70 हजार रूपया तथा जिला स्तर पर फल संरक्षण अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु 60 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

क्रमशः--------31 पर

3- गन्ना विभाग

गन्ना विकास का मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यरत एवं वर्तमान में लगने वाली चीनी मिलों के क्षमतानुसार गन्ना मिल सके । इसके लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में गन्ना की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए गन्ने की विकसित नई उपज देने वाली जातियों का प्रसार किया जायेगा । घाटमपुर जनपद कानपुर में स्थापित गन्ना मिल के अंतर्गत फतेहपुर के तहसील खिन्दकी के विकास खण्ड अमौली, खजुहा, हैक-ई तथा मलवां वैज्ञानिक आधार पर भली प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारियों की देखरेख में गन्ने की विकसित जाति रोगरहित बीजों का उत्पादन के ध्येय से यह योजना बनाई गई है। इसकार्य हेतु बीज पौधशाला कार्यक्रम अपनाया जायेगा ।

7-03-1 : गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यंत्र उपलब्ध कराने की योजना

इस योजना के अंतर्गत छोटे/अनुसूचित जाति के गन्ना कृषकों को मानव चालित गन्ना रक्षा यंत्र उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में छोटे कृषकों को 25 % एवं अनुसूचित जाति को 33⅓ प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान है। वर्ष 87-88 में 16 गन्ना रक्षा यंत्र वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके लिए 2 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-03-2 : गन्ना बीजों के यातायात पर अनुदान देने की योजना

इस योजना के अंतर्गत आधार पौधशाला हेतु गन्ना शोध केन्द्रो से जो उन्नतिशील बीज लाया जाता है, उसका शतप्रतिशत यातायात व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। 10 कि0मी0 की दूरी के ऊपर प्राथमिक एवं माध्यमिक पौधशाला की स्थापना हेतु पौधशालाओं से बीज लाने की स्थिति में अनुसूचित जाति के कृषकों को 2 रू0 प्रति कुंटल एवं लघु कृषकों को । रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान देने का प्राविधान है। कृषकों की मांग के अनुरूप ही पूर्ति कराई जाती है। इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 87-88 के लिए 7 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

क्रमशः----32 पर

3- आधार गन्ना बीज के उत्पादन की योजना

7-03-3 : इस कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पौधशाला आधार प्राथमिक एवं माध्यमिक की स्थापना के लिए वर्ष 87-88 हेतु विभाग के मानक के अनुसार आधार, प्राथमिक, माध्यमिक के अंतर्गत क्रमश: 1 हे0, 5हे0 तथा 30 हे0 लक्ष्य की पूर्ति के लिए 10 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

4- उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास की योजना

7-03-4 : इस योजना के अंतर्गत समुन्नत एवं वैज्ञानिक गन्ने की खेती की विधियों के प्रचार एवं प्रसार के लिए कृषकों के यहाँ गन्ना प्रदर्शन रखने की व्यवस्था है। प्रदर्शन धारक कृषकों को 1000रू0 प्रति हे0 की दर से अनुदान देय होता है। वर्ष 87-88 में 21 हे0 प्रदर्शन के लिए 21 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

क्रमश:---------33 पर

4- कृषि विपणन

7-04-0 :

कृषि विपणन योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में कोई धन का प्रावधान नहीं किया गया है ।

क्रमशः:--------34 पर

7-05-0 **5- भूमि सुधार ::**

सीलिंग भूमि के आवंटियों को केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अधीन आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना जिला सेक्टर में चलाई जाती है । जिसके अधीन । अप्रैल 1984 से 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है । पहले यह सहायता 400 रु0 प्रति एकड़ की दर से दी जाती थी । इन सम्बन्ध में होने वाले व्यय का आधा भाग राज्य सरकार द्वारा तथा आधा भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

7-05-01 7-5-1 **सीलिंग भूमि के आवंटियों को आर्थिक सहायता :-**

सीलिंग भूमि के आवंटियों को भूमि सुधार के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये वर्ष 86-87 में 200 आवंटियों को 200 हजार रु0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1985-86 तक 550 भूमि आवंटियों को लाभान्वित किया जा चुका है । वर्ष 87-88 में 100 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । इस प्रस्तावित परिव्यय से 300 आवंटियों को अनुदान सुलभ कराया जायेगा । इस सहायता को केवल 1-1-75 के पश्चात के भूमि आवंटियों को देने का प्राविधान किया गया है । यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है । केन्द्र सरकार से भी 100 हजार रु0 की धनराशि उपलब्ध होगी ।

6- निजी लघु सिंचाई

7-06-0 : कृषि उत्पादन बढ़ाने में लघु सिंचाई कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि हेतु सामयिक एवं पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने में निजी लघु सिंचाई साधनों का बहुत महत्व है। कृषकों द्वारा निजी लघु सिंचाई कार्यों {कूप, रहट, बोरिंग व पम्पसेट, नलकूप, गूल व हौज आदि} का निर्माण एवं उनका रखरखाव स्वयं किया जाता है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा निजी नलकूपों की बोरिंग बड़ी रिंग मशीन द्वारा, नलकूप की बोरिंग इनवैल रिंग द्वारा, कूप निर्माण एवं वर्तमान कूपों को गहरा करने में तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। निजी लघु सिंचाई कृषकों को निर्भर योग्य एवं सुनिश्चित सिंचाई का साधन उपलब्ध कराता है।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण, अनुदान आदि का समायोजन एवं लघु सिंचाई कार्यों का विकास कार्य विकास खण्ड स्तर पर अवर अभियंता {लघु सिं0} के तकनीकी पर्यवेक्षण एवं खण्ड विकास अधिकारी के नियंत्रण में कराया जाता है। एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को निजी लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण पर लघु कृषकों को 25 प्रतिशत एवं सीमान्त कृषकों को 33 1/3 प्रतिशत की दर से अनुदान जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सातवीं योजना के प्रारम्भ में निजी लघु सिंचाई साधनों से 106391 हे0 क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 1985-86 में भी 10270 हे0 के अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है। वर्ष 86-87 में 10500 हे0 क्षेत्र के सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। वर्ष 87-88 में 10500 हे0 के सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है तथा इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन की विकेन्द्रित नियोजन नीति के अंतर्गत वर्ष 1987-88 की जिला योजना में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तावित है।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. ...3791...
Date... 18/5/87...

:: अनुदान ::

7-06-01 : नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत बोरिंग की लागत एवं पम्पसेट/ नलकूप निर्माण हेतु नेवार्ड द्वारा निर्धारित यूनिट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं 33 1/3 प्रतिशत अनुदान की धनराशि का व्यय भार भारत सरकार से 3.50 लाख रू0 प्रति विकास खण्ड की दर से उपलब्ध धनराशि से वहन किया जाता है। जबकि इस योजना के अंतर्गत अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 33 1/3 एवं 50 प्रतिशत की दर से देय है। अतः अनुदान की बढ़ी दरों के फलस्वरूप प्रत्येक कार्य हेतु अन्तर की धनराशि § 8 1/3 प्रतिशत एवं 16 2/3 प्रतिशत§ का प्रस्ताव 750 बोरिंग हेतु 710 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

बोरिंग गोदाम

7-06-02: विकास खण्ड तेलियानी के लघु सिंचाई भण्डार में एक निशन शेड का निर्माण गत वर्ष हो चुका है तथा मशीनों के रखरखाव हेतु एक ट्यूबलर शेड कि [illegible] लिये वर्ष 86-87 में धन प्राप्त हो चुका है। निर्माण कार्य शीघ्र चालू हो जायेगा। निर्मित किये गये निशन शेड में टी0 एण्ड पी0 आदि हो रखी जा [illegible] रही है। स्टाक का पाइप आदि रखने हेतु उनमें पर्याप्त स्थान नहीं है* स्टाक का पाइप खुले मैदान में रखा जा रहा है जो असुरक्षित है। इसकी सुरक्षा हेतु वर्ष 87-88 में एक और निशन शेड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए 150 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

वर्ष 1984-85 में एक विकास खण्ड स्तरीय गोदाम का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। वर्ष 86-87 में दो विकास खण्डों में बोरिंग गोदाम निर्माण कराने का लक्ष्य है। वर्ष 1987-88 में 5 विकास खण्ड स्तरीय गोदाम क्रमशः विकास खण्ड भाता, विजईपुर, अमौली, असोथर एवं भिटौरा में निर्माण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इन विकास खण्डों में भूमि उपलब्ध है। इस पर 30 हजार रू0 प्रति बोरिंग की दर से 150 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

इस प्रकार उपरोक्त बोरिंग गोदाम निर्माण में 300 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

उपकरण एवं संयत्र

7-06-03- इस मद में छोटे 2 उपकरणो एवं संयत्रो (सैन्ड ,पम्प, पुली वायररोप, रिंच आदि) के क्रय तथा आवश्यक मरम्मत हेतु 100 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

==== == = ==== :

7-राजकीय लघु सिंचाई

7-07-0 खाद्यानो का उत्पादन बढ़ाने हेतु फसलो को सिंचाई अति आवश्यक है। सुनिश्चित एवं पर्याप्त सिंचाई सुविधा की व्यवस्था ही पूर्व योजनाओ का मौलिक उद्देश्य रहा है। नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान समय में राजकीय एवं निजी सिंचाई साधन जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने में अपर्याप्त है। इस लिये सिंचाई प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सप्तम पंचवर्षीय योजना में उक्त दोनो मदो को सुधारने पर बल दिया जा रहा है जनपद के कृषि क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकताओ को पूरा करने के सन्दर्भ में राजकीय नलकूप तथा लघु सिंचाई कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। राजकीय लघुसिंचाई योजनाये ऐसे क्षेत्रो में जहाँ पर नहर प्रणाली व्दारा सिंचाई सम्भाव नही है वहाँ पर त्वरित सिंचन सुविधा उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यह योजनाये लघु एवं सीमान्त कृषको को जो स्वयं सिंचाई के साधन नही जुटा सकते है, को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचितजाति एवं जनजाति वाले बाहुल्य क्षेत्र के कृषको की खुसहाली के लिये भी कार्य किये जा रहे है। यमुना तथा गंगा के किनारे के कुछ भागो में जलस्तर इतना अधिक नीचे है कि निजी क्षेत्र में बोरिंग सफल नही हो पाती है इतना अधिक व्यय वहन करना सम्भाव नही हो पाता है।

जनपद फतेहपुर में राजकीय नलकूपो व्दारा समाज के कमजोर वर्ग के कृषको को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। जनपद में सिंचाई के साधन मुख्यरूप से नहर, राजकीय नलकूप तथा व्यक्तिगत साधन है। 31 मार्च 1986 तक जनपद में 391 राजकीय नलकूप कार्यरत थे तथा 1-4-86 तक 425 नलकूपो का छिद्रण हो चुका है वर्ष 1986-87 में 3 नलकूपो का छिद्रण हो रहा है जिनके चालू होने पर 300 हे0 सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी। जनपद में इसके अतिरिक्त विश्वबैंक योजना से भी विगत वर्षों 50 राजकीय नलकूपो का छिद्रण किया जा चुका है। वर्ष 1987-88 में विभिन्न कार्यों हेतु धनराशि काप्राविधान निम्न प्रकार है।

राजकीय नलकूप (सामान्य कार्यक्रम)

7-07-01 वर्ष 1987-88 में 6 राजकीय नलकूपो का निर्माण प्रस्तावित है जिनके लिये 625 हजार रुपया प्रति नलकूप की दर से 3750 ·00 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है ।

अधूरे राजकीय नलकूपो का कार्य पूर्ण करना

7-07- 2 अधूरे कार्यो को पूर्ण करने के लिये 2785 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है जिसमें एक पम्पगृह /डिलेवरी टैंक हेतु 35 हजार एकपम्प की स्थापना के लिये 35 हजार एक पम्पसेट के उर्जीकरण हेतु 45 हजार, 36 कि0मी0 पक्की गूल एवं पाइप लाइन हेतु 2880 हजार तथा 5 नलकूपो के पुन: निर्माण के लिये 750हजार रु0 का प्राविधान किया गया है इस प्रकार राजकीय लघु सिचाई (नलकूप) हेतु वर्ष 87-88 के लिये 6535 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जो सर्वथा औचित्यपूर्ण है ।

8- भूमि एंव जल संरक्षण

7-08-0 जनपद फतेहपुर में गंगा एंव यमुना नदी के जल समेट तथा रिन्द, पाण्डु नदी एंव अनेक नालों के उप जल समेट के अन्तर्गत भूमि के अविवेक पूर्ण उपयोग से भू-कटाव एंव जल भराव आदि की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। जनपद में वर्तमान समय से सर्वेक्षित नियत्रित क्षेत्र4737 हे0 उपलब्ध है । सातवीं पंचवर्षीय योजना काल के वर्ष 87-88 हेतु जनपद में ऊसर , बीहड एंव कृषि योगय बेकार भूमि को सुधारने हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के चयनित जल समेट क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढाने हेतु, भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संचय एंव सरंचनाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है। ऊसर सुधार की एकीकृत केन्द्र पुरोनिधानित योजना जिसके अन्तर्गत ऊसर सुधार की सभी विधियों पर विशेष ध्यान देते हुए समन्वित रुप से कार्यान्वित किया जाना है।

प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एंव जल संरक्षण

7-08-1 भूमि संरक्षण इकाई जनपद फतेहपुर में लघु कृषक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 से कार्यरत है जिसका मुख्य जल समेट क्षेत्र गंगा व यमुना का तथा उप जल समेट रिन्द व पाण्डु नदिया एंव अनेकों नाले हैं । इकाई की 5 उप इकाइयां जहानाबाद, खजुहा, जोनिहा, गाजीपुर तथा असोथर हैं। इकाई का समस्त क्षेत्र तहसील बिन्दकी एंव फतेहपुर के विकास खण्ड देवमई खजुहा, अमौली, मलवां, बहुआ एंव असोथर के अधीन है। इकाई का वार्षिक सम्पादन लक्ष्य 1200 हे0 है। चालू वर्ष को सर्वेक्षण नियोजन को सम्मिलित करते हुए इकाई में सर्वेक्षित नियोजित क्षेत्र 4737 हे0 उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों की व्यक्तिगत भूमि पर सम्मतलीकरण ,समोच्चरेखी बोध जल भराव बन्धी आदि कार्य का निर्माण कराया जायेगा । जिसके लिये वर्ष 87-88 हेतु 200 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिससे 350 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया

जाना निर्धारित है।

2- भूमि आवंटियों की उसर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने की योजना।

7-08-2 इस योजना के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर में उपलब्ध भूमि आवंटियों की उसर भूमि को पायराइट जिम्सम व भूमि में मृदा कार्य करा कर सुधार किया जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र उपरोक्त दर्शित 5 विकास खण्डों के अन्तर्गत है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष87-88 के लिए 50-00 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।जिससे 105 हे0 क्षेत्र का उपचार किया जाना निर्धारित है।

3- उ0 प्र0 में खाड़ुड भूमि के पुर्नवासन की योजना

7-08-3 गंगा एंव यमुना नदी के जल समेट क्षेत्र में यह योजना चलाई जाये गी । नदियों के किनारे का वह क्षेत्र जो कटी फटी एंव जल खरोह के रूप मे विकसित हो चुका है, उसे सुधार कर मिटटी के कटाव को रोका जाये गा और खेती व वनीकरण के अन्तर्गत लाया जाये गा । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 के लिए 300-00 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिससे 800 हे0 क्षेत्र का उपचार किया जाना निर्धारित है।

4- उत्तर प्रदेश के क्षारीय एंव अल्कलाइन भूमि के सुधार की योजना ।

7-08-4 जनपद में चल रही उसर सुधार योजना के अन्तर्गत पायराइट एंव जिप्सम वितरण पर अनुदान देने के लिये 100 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है। इस धन से जो कृषक उसर सुधार हेतु पाइराइट डालेंगे उनको अनुदान दिया जाये गा।

9- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

7-09-0(यह योजना जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों में चलाई जा रही है । यह योजना केन्द्र पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड में 250 नये तथा 49 पुराने कुल 74। व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित है।

1- एकीकृत ग्राम्य विकास योजना

7-09-01 इस कार्यक्रम हेतु राज्य अंश के रूप में 7800 हजार रु0का परिव्यय वर्ष 87-88 में प्रस्तावित किया गया है जिससे 9636 व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार योजना देकर लाभान्वित किया जायेगा । जिसमें 3255 नये तथा 638। पुराने परिवार लाभान्वित होगें । योजना के कार्यान्वयन के लिये व्यवसायिक एवं सहकारी बैकों से ऋण दिलाये जाने और उपरोक्त धनराशि में नियमानुसार $33\frac{1}{3}$-एवं 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। जिसमें 4815 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। अनुसूचित जाति के परिवारों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2- लघु एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादकता बढ़ाने हेतु दी गई सहायता -

7-09-02 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ानें के दृष्टिकोण से मिनीकिट पैकेट (उन्नतिशील बीज), अल्पसिचाई (नि:शुल्क बोरिंग (तथा भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 87-88 के लिये 3250 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

10-पशुपालन

7-10-0 पशुधन विकास कार्यक्रम के मुख्यत: दो भाग हैं प्रथमत: पशुओं की नश्ल में सुधार लाना व पशुओं द्वारा उत्पादन के स्तर में वृध्दि के उपाय करना ।द्वितीय पशुओं को घातक महामारियों से रक्षा करना एवं बीमार पशुओं केा चिकित्सा उपलब्ध कराना । पशुपालन कार्यक्रमोंद्वारा उन्नत विधियां अपना कर पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर जनपद में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बड़ी संख्या के परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर भी सुधारा जाता है। तथा ग्रामीण युवा वर्ग को पूर्णकालिक व्यवसाय प्रदान किया जाता है ।समाज के निर्बल वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में पशुपालन के महत्व को ध्यान में रखते हुये एकीकृत ग्राम्य विकास योजना और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में पशुपालन कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया है।विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत उन्नतिशील नश्ल को जनपद के बाहर से लाकर उनकी संख्या में वृध्दि तथा स्थानीय पशुओं की नश्ल सुधार कर आर्थिक विकास करने का प्रयास किया गया है ।दुधारू पशुओं के नश्ल में सुधार करके जनपद श्वेत क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है।

जनपद में वर्ष 1982 की पशुगणना के अनुसार विभिन्न प्रकार के पशुओं की संख्या निम्नवत् है।

क्रमसंख्या	पशुओं की प्रजाति	पशुगणना
1-	गोवंशीय	367365
2-	महिषवंशीय	282085
3-	भेड़	79918
4-	बकरे-बकरी	169945
5-	घोड़े व टट्टू	7058
6-	सुअर	57580
7-	अन्य पशु	66096
8-	कुक्कुट	72513

जनपद में इस समय 28 पशुचिकित्सालय ,40 पशुसेवा केन्द्र के माध्यम से पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। साथ ही उक्त संस्थाओं के माध्यम से चारा विकास , पशु प्रजनन एवं अन्य पशुधन विकास से संबंधित कार्य कलापों का सम्पादन हो रहा है।

पशु चिकित्सा सेवायें एवं पशु स्वास्थ्य

7-10-01 जनपद में सचालित संस्थाओं की स्थिति एवं क्षेत्र के विस्तार की विषमता को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता के आधार पर एक नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना विकास खण्ड असोथर के ग्राम ललौली में स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 87-88 में किया गया है जिसके लिये निर्धारित मानक के अनुसार 55 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार वर्ष 84-85 के अन्तिम चरण में स्थापित एवं पशु सेवा केन्द्र संक्त§हंथगांव§तथा वर्ष 85-86 में स्थापित एक पशुसेवा केन्द्र बुढवा§अमौली§के संचालन हेतु अधिष्ठान आदि पर मात्र 205 हजार रुपये का परिव्यय वर्ष 87-88 के लिये प्रस्तावित किया गया है । इन भावन रहित दो पशुचिकित्सालय शाह§बहुआ§, सहबाजपुर §जोनिहा§ के चिकित्सालय भावन निर्माण हेतु 200 हजार रु0 का परिव्यय वर्ष 87-88 में प्रस्तावित है। इसी प्रकार विषमता के आधार पर क्रमशः विकास खण्ड तेलियानी व हंथगांव के ग्राम दमापुर व छिछलहा में स्थापितपशु सेवा केन्द्र को "ब" श्रेणी में उच्चीकरण हेतु 70 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय द्वारा चालित पशु चिकित्सालय क्रमशः जहानाबाद, बिन्दकी तथा खागा के प्रान्तीयकरण हो जाने के कारण उसकी निरन्तरता एवं अधिष्ठान हेतु 180 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ! पशुओं के आवश्यक उपचार हेतु खुरपका, मुंहपका रोग उन्मूलन हेतु 7.50 हजार रु0 की वैक्सीन क्रय हेतु परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 के लिये 715.50 हजार रु0का परिव्यय प्रस्तावितकिया गया है।

पशुधन विकास

7-10-02 दुधारू पशुओं में दुग्ध क्षमता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से पशुधन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तम नश्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम को सुदृढ बनाने हेतु संस्थानों का जुटाना आवश्यकहै। निर्माणाधीन वीर्य संग्रह केन्द्र विकास खण्ड तेलियानी के ग्रामसनगांव को पूर्ण करने हेतु वर्ष 87-88 के लिये 98 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।एक वर्षसिकर सांड जिसका मानक परिव्यय 4 हजार रु0 तथा दो देशी अभिजाति के सांडों का मानक 2 हजार रु0 प्रति सांड की दर से कुल 8 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के उद्देश्य को सफली भूत बनाने हेतु कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन कार्य दक्षिं के सुदृढीकरण के लिये रसायन औषधि पर व्यय हेतु 28 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

कुक्कुट विकास

7-10-03 संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से पौष्टिक आहारकी योजनान्तर्गत वर्तमान समय में संचालित दो विकास खण्ड बहुआ व भिटौरा हेतु 400 रु0 प्रति विकास खण्ड निर्धारित मानक के अनुसार कुक्कुट शाकों के भरण पोषण के लिये 8 हजार रु0 का परिव्यय वर्ष 87-88 हेतु प्रस्तावित किया गया है।

भेड़ तथा ऊन विकास एवं बकरी प्रजनन सुविधा

7-10-04 इस योजना के अन्तर्गत संचालित बकरी केन्द्र खागुहा में पले दो बकरों की भरण पोषण हेतु एक हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार जनपद में बकरी एवं भेड प्रजनन सुविधाओं के विस्तार एवं प्रसार हेतु 20 उन्नतिशील नश्ल के बकरो के 8 हजार रु0 का परिव्यय मानक के अनुसार प्रस्तावितकिया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद में 6 संचालित भेड तथा ऊन प्रसार केन्द्रों के अधिष्ठान हेतु 320 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।साथ ही साथ दो भेड़ केन्द्र क्रमशः रतनपुर विकास खण्ड हाता व जोनिहा विकास खण्ड खागुहा

6 जिनके लिये भूमि उपलब्ध है भवन निर्माण हेतु वर्ष 87-88 के लिये 120 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

सूकर पालन

7-10-05 समाज के निम्नतम लोगों के लिये आर्थिक विकास हेतु सूकर पालन कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। जनपद के निम्नतम व्यक्तियों के आर्थिक विकास हेतु यह कार्यक्रम विन्दकी तहसील के दो पशुचिकित्सालय क्रमश: गोपालगंज{ मलवां} एवं विन्दकी {खजुहा} पर विभागद्वारा सूकर प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है, जिसको सुदृढ बनाने हेतु मात्र दो उत्त अभिजाति के सूकर सांड क्रय हेतु एक हजार रू0का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

पशुधन विकास एवं प्रचार

7-10-06 विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के महत्ता के प्रसार एवं प्रचार हेतु वर्ष 87-88 हेतु 4.20 हजार रू0का परिव्यय प्रस्तावित है।

अति हिमीकृत वीर्य द्वारा पशु प्रजनन

7-10-07 यह कार्यक्रम जनपद में वर्ष 85-86 से विभागद्वारा चलाया जा रहा है। जो ... के ... संचालित है। ... निरन्तरता हेतु वर्ष 87-88 के लिये 140 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावितकिया गया है।

11- मत्स्य

7-11-0 : मत्स्य विभाग का प्रमुख उद्देश्य जनपद में उपलब्ध जलक्षेत्र का उपयोग मत्स्योत्पादन स्तर में वृद्धि लाना तथा विकास कार्यों के माध्यम से मत्स्य पालकों को विशेष कर मछुआ समुदाय एवं अन्य निर्बल वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है । इस परिप्रेक्ष्य में विकास कार्यों को बढ़ावा देने तथा प्रगति को नई दिशा देने के उद्देश्य से जनपद फतेहपुर में मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष 1983 में की गई है । अभिकरण का मुख्य कार्य ग्राम सभा के तालाबों, पोखरों आदि को जो अभी तक अनुपयुक्त पड़े हैं उनको मत्स्य पालकों को पट्टे पर दिलाना, तालाबों के सुधार एवं इनपुट्स हेतु वित्त संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराना है । इस ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था करना मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षण तथा अंगुलिकाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम व्यापक रूप से सातवीं योजनावधि (1987-88) में चलने का प्रस्ताव है । जिससे मत्स्य पालकों को मत्स्योत्पादन बढ़ाने में पूर्ण सहयोग मिल सके तथा रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें । सर्वेक्षण के आधार पर जनपद फतेहपुर में कुल 3044 तालाब हैं, जिनका क्षेत्रफल 2343-10 हे० है। इसमें से कुल 1986 तालाब जिनका क्षेत्रफल 1515-49 हे० है मत्स्य पालन हेतु साधारण सुधारोपरान्त उपयोग में लाये जा सकते हैं। राजस्व विभाग द्वारा 694 तालाब जिनका क्षेत्रफल 399-63 हे० है को शासन के निर्देशानुसार 10 वर्षों के पट्टों पर आवंटित किया गया है। उक्त पट्टाधारकों को तालाब सुधार तथा आवश्यक उपकरणों आदि के विश्व बैंक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है जिस पर अभिकरण द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान देय है ।

7-11-01 : मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1987-88 में 16 लाख अंगुलिकाओं का वितरण, 100 व्यक्तियों को मत्स्य पालन प्रशिक्षण 175 हे० तालाबों को सुधार एवं 175 हे० को इनपुट सुविधा देने हेतु वर्ष 1987-88 के लिए 250=00 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

मत्स्य पालकों को इस धनराशि से तालाब सुधार तथा अंगुलिकाओं के डालने, आवश्यक यंत्र उपलब्ध एवं उपकरण जाल इत्यादि पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता विश्व बैंक से उपलब्ध होगी तथा उस पर अनुदान इस अभिकरण के माध्यम से दिया जायेगा । इसी अनुदान के लिए उपरोक्त धनराशि का प्राविधान किया गया है ।

7-12-0 12- वन (सामाजिक वानिकी)

जनपद की अर्थव्यवस्था में वनों की विशेष भूमिका है । वन न केवल जनसाधारण को विविध दैनिक उपयोग की वस्तुये जैसे ईंधन इमारती लकड़ी घास चारा सस्ती फलफूल आदि को पूर्ति करते है बल्कि कई महत्वपूर्ण उद्योग धंधों जैसे तारपीन दियासलाई कागज प्लाई उड खेलकूद का सामान मैचिंग केस आदि के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराते है जिनसे लाखों लोगो को रोजगार सुलभ होता है । इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकने पारिस्थितीय संतुलन बनाये रखने भूमि कटाव बाढ एवं सूखे की विभिषिका कम करने में वनों का योगदान अनुपम है ।

सामाजिक वानिकी परियोजना का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है ।उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्य वन सेवा एवं वन उपज का उन समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इसकी नितान्त आवश्यकता है , उपलब्ध कराना है , इस योजना के अन्तर्गत ग्राम समाज ग्राम पंचायत एवं अन्य सामुदायिक भूमि जो रिक्त एवं कृषारोपण हेतु उपलब्ध होती है । पर वृक्षारोपण किया जाता है । द्वितीय चरण में प्रदात्र वानिकी पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया है । ताकि ग्रामीण गरीब जनता के लिये अतिरिक्त आय का स्रोत हो सके । सामाजिक वानिकी योजना विश्व बैंक से पोषित योजना है । इसका कार्य क्षेत्र समस्त जनपद फतेहपुर में है ।यह वृक्ष पर्यावरण एवं भूमि सुधार में भी सहायक होते है । प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिये 33% भू-भाग पर वनों का होना आवश्यक है । जनपद फतेहपुर में 1.7 प्रतिशत ही वन है ।

7-12-01 सामाजिक वानिकी योजना :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 3750 हजार रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है । जिनमें 1800 हजार रूपय वेतन मंहगाई भत्ता यात्रा भत्ता किसाया कार्यालय व्यय टेलीफोन आदि स्थापना मदों पर तथा 1950 हजार रूपये वनीकरण पर

क्रमशः------

व्यय किये जायेगें । जिसके विरूद्ध 22-50 हे० में वनीकरण का कार्य सम्पन्न करना प्रस्तावित है तथा अनुरक्षण कार्य किया जायेगा । शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना को शामिल है । शहरी क्षेत्र में 4000 पौधा लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित है । इस परिव्यय में वन निर्माण तथा जोम आदि का परिव्यय प्रस्तावित नहीं है ।

13- पंचायत राज

7-13-00 पंचायत राज जनतंत्रीय शासन प्रणाली की आधार इकाई है तथा विकास कार्यों की आधार शिला है। जनपद के 13 विकास खण्डो में 132 न्यायपंचायतें तथा 1035 ग्राम सभायें हैं। जिनकी व्यवस्था एवं विकास का सम्पूर्ण दायित्व इस विभाग पर है। पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं समृध्दि बनाने के लि उददेश्य से जनपद में 13 पंचायत उद्योग चलाये जा रहे हैं।

7-13-01 ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन हेतु अनुदान

जनपद की 3 ग्राम सभाओं को आय की दृष्टि से प्रथम, व्दितीय तथा तृतीय स्थान पर आने पर प्रथम पुरस्कार 3000, व्दितीय पुरस्कार 2000, तथा तृतीय पुरस्कार 1000 देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार व्यवस्था से जनपद की ग्राम सभायें अपनी आय बढ़ाने के लिये आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस उददेश्य की प्राप्ति के लिये ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन के लिये 6000 रूपये का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

7-13-02 ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये अनुदान

ग्रामों के पर्यावरण में स्वच्छता लाने, खडंजा तथा नालियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस धनराशि को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की धनराशि से सम्बध्द करके 53 ग्रामों में खडंजा निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके लिये वर्ष 1987-88 में 500 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

7-13-03 पंचायत भवनों का निर्माण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों की बैठकें आयोजित करने के उददेश्य से सामुदायिक मिलन केन्द्र तथा वाचनालयों की स्थापना हेतु शासन व्दारा पंचायत भवन निर्माण की योजना चलाई जा रही है। एक पंचायत भवन के निर्माण की लागत का आंकलन 40 हजार रू0 है। जिसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा का अंशदान रहेगा। जिला योजना

1987-88 में 250 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित करके वरीयता के आधार पर 10 ग्राम सभाओं में पंचायत भवन निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।

7-13-04 हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार

ग्रामों में लगने वाले हाट बाजार तथा मेलों के स्थलो में सुधार की अपरिहार्य आवश्यकता है। इनके समुचित विकास से ही ग्रामीणों को आवश्यक वस्तुयें आवश्यकतानुसार सुलभ हो सकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ग्राम सभा अधिकतम 7500 रूपया अनुदान देने की व्यवस्था शासन ने दी है। जिसके लिये ग्राम सभा का 25 प्रतिशत अंश नकद अथवा श्रमदान के रूप में देना अनिवार्य है। वर्ष 1986-87 की जिला योजना में 10 ग्राम सभाओं को एक हजार रूपया प्रति ग्रामसभा की दर से 10 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

7-13-05 शौचालय निर्माण

ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये इस योजना का विशेष महत्व है। एक स्वच्छ शौचालय में 770 रूपया व्यय का प्राविधान है जिसमें राज्य सरकार से 300 रूपया, यूनिसेफ योजना से 300 रूपये तथा 170 रूपया लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। वर्ष 1987-88 की जिला योजना में 140 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया हैं।

14- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल

7-14 -0 ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम में युवको का बहुमूल्य योगदान रहता है राष्ट का भविष्य युवको पर नि निर्भर करता है इस लिये युवाशक्ति के सदुपयोग का उत्तर-दायित्व शासन स्तर पर होता है और शासन का कर्तव्य हैएकि उनको सही मार्गदर्शन देकर उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्र हित मे करे ।

युवकमंगल दलो को प्रोत्साहन

7-14-1 युवकमंगल दलो का गठन जनपद में तीन स्तर पर किया जाता है ग्राम सभा स्तर पर युवक मंगल दल विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवा समिति तथा जिला स्तर पर जिला युवक समिति । गत वर्षो के अनुभव से स्पष्ट है कि जनपद में गठित युवक मंगल दलो ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में ग्रामो के ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमो को अपना विशेष योगदान दिया है युवको का मनोबल ऊँचा करने के लिये युवक मंगल दलो को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है । वर्ष 87-88 में 60 युवकमंगल दलो को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । प्रत्येक युवक / महिला मंगल दल को 1000 रूपये का साज सज्जा एवं खेलकूद का सामान देकर प्रोत्साहन देने का आयोजन किया गया है जिसके लिये जिला योजना 1987-88 में जनपद के 13 विकास खण्डो में 60 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

7-14-02 युवक मंगल दल सदस्यो का सेमिनार व वर्कशाप

सेमीनार /वर्कशाप की योजनाओ का अपना एक महत्व है इन विचार गोष्टियो में ज्वलन्त समस्याओ पर समाज के विभिन्न क्षेत्रो से उनके विचार सुनने का अवसर मिलता है जिससे युवको को मार्ग दर्शन तो प्राप्त होता ही है तथा समस्याओ को सुलझाने के लिये आत्मविश्वास भी दृढ़ होता है इसके साथ ही साथ युवको में नेतृत्व की प्रतिभा भी विकसित होती है वर्ष 87-88 में

में विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव है जनपद स्तर पर एक दिन की विचार गोष्टी का आयोजन होगा जिसमें 200 युवक भाग लेंगे । इन विचार गोष्टियों पर 9·00 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-14-03 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

ग्रामीण आँचल के युवकों के विकास के लिये खेलकूद का विशेष महत्व है इससे आपस में सद्भाव सहयोग मैत्री तथा एकता प्रभावी होती है । खेलकूद राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते है वर्ष 1987-88 में जनपद के 13 विकास खण्डो में एक एक प्रतियोगिता तथा जनपद स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित होगी । राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने काप्राविधान है 1000 रुपये शामिल करते हुये 22 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

7-14-04 स्वंय सेवकों का सुदृढ़ीकरण वर्दी एवं प्रशिक्षण पर व्यय

प्रादेशिक विकास दल स्वंय सेवकों का अनुशासित एवंप्रशिक्षित संगठन है समाज के ग्रामीण आंचलों में शान्ति एवं सुरक्षा की विषम स्थितियाँ विद्यमान है, उन्हें देखते हुये इस संगठन के स्वंय सेवकों के सुदृढ़ीकरण का महत्व और बढ़ जाता है इस योजना के अन्तर्गत स्वंय सेवकों, वर्दी ,प्रशिक्षण का प्राविधान है जिला योजना 1987-88 में स्वंय सेवकों के प्रशिक्षण एवं वर्दी पर 52हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है

7-14-05 ग्रामीण युवकोंको व्यवसायिक रोजगार

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को रोजगार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिसमें 5000 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

7-14-06 समाज सेवा कार्य

जनपद में आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं मेलों में शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिये स्वंय सेवकों की नियुक्ति पर 15·00 प्रतिदिन की दर से मानदेय देने की व्यवस्था है।

जिस पर जिला योजना 1987-88 में 2 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

==========

15- ग्राम्य विकास § सामुदायिक विकास §

7-15-0 :सामुदायिक विकास की परिकल्पना में ही निहित था कि विकास खण्ड परिसर में ही सभी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था हो जिससे के प्रत्येक समय एक टोली की भावना से काम हो तथा आपसे में निकट के सम्बन्ध हो जिससे कार्य सम्पादन अधिकतम हो सके । विकास खण्ड नियोजन तथा विकास की आधार शिला हैं । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सम्पादन के लिए जनपद को 13 विकास खण्डों में से 5 विकास खण्ड ऐरायां, धाता, अमौली, देवमई, एवं तेलियानी में आवासीय योजना सुविधा उपलब्ध नहीं हैं । जिसके फलस्वरूप इन विकास खण्डों में नियुक्त कर्मचारी व्यवस्थित रूप से वहां आवास बना कर नहीं रह पाते हैं। जिसका प्रत्यक्ष रूप से कुप्रभाव विकास की गति पर पड़ता है। विकास की गति में उत्पन्न अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से इन विकास खण्डों में आवासीय सुविधा का प्राविधान जिला योजना में करना अति आवश्यक हैं । 5 खण्ड विकास अधिकारी वर्ग तथा 10 चतुर्थ श्रेणी के भवनों का निर्माण वर्ष 1985-86 से निर्माणाधीन है।

विकास खण्डों में आवासीय भवनों का निर्माण एवं विद्युतीकरण की योजना ।

7-15-01: जनपद के पांच विकास खण्डों में 30 सहायक विकास अधिकारी वर्ग तथा 3 ग्राम विकास अधिकारी वर्ग तथा 3 चतुर्थ श्रेणी आवास निर्माण हेतु इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 के लिये 3543 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

16-सहकारिता

7-16-0 समाजवादी समाज की स्थापना के लिये केवल उत्पादन के ही क्षेत्र में ही बहुत बड़ी संख्या में विकेन्द्रित इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। बल्कि उत्पादन के साथ ही साथ वितरण एवं अन्य सामाजिक सेवाओं में भी विकेन्द्रीकरण उतना ही आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहकारिता ने राष्ट्र के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक विशेष भूमिका निभाई है। सहकारिता का शुभारम्भ वर्ष 1905 में जिला सहकारी बैंक की स्थापना के साथ किया गया था। वर्तमान समय में समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन सहकारी अधिनियम 1905 के अन्तर्गत कर रही है। सहकारिता विभाग के गठन का दृष्टिकोण न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करना है अपितु विभिन्न अँचलों में ग्रामीण तथा शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को सशक्त शाली बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभाग द्वारा क्रय विक्रय, विधापन, विपणन, उपभोक्ता भाण्डार सहकारी ऋण एवं अधिकोषण के अन्तर्गत सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजनायें चलाई जाती है। सहकारी कार्यक्रमों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कृषि, सिंचाई उपभोक्ता सेवा आदि क्षेत्रों में सहकारिता विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। वर्ष 1987-88 की योजनाओ में मुख्य रूप से चल रहे कार्यक्रमों को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। ताकि सहकारी आन्दोलन का सम्यक रूप से विकास हो सके।

1-जिला सहकारी बैंक फतेहपुर की शाखाओं को प्रबन्धकीय सहायता

7-16-1 जिला सहकारी बैंक फतेहपुर की इस समय 27 शाखायें सेवा रत है। वर्ष 1987-88 में चाँदपुर, अल्लीपुर शाखाओं को द्वितीय विश्व तथा हसवा एवं गाजीपुर को तृतीय विश्व प्रबन्धकीय सहायता की प्रस्तावित है। प्रत्येक शाखा को आठ हजार रूपये की दर से 4 शाखाओं के लिये 32 हजार रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

II-जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को आधुनिकीकरण हेतु ऋण

= = = = = = = = =000= = = = = = = 000= = = = = = == =

जिला सहकारी बैंक की 27 शाखायें कार्यरत है। वर्ष 87-88 में सहकारी बैंक की शाखाओं के नवीनीकरण हेतु 5 हजार प्रतिशाखा की दर से क्रमशः बहुआ किशुनपुर, खखरेरु, छिवलहा, जोनिहा एवं जाफरगंज के लिये 30 हजार रूपयों का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

III-निर्बल वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को अंशक्रय करनें हेतु ऋण एवं अनुदान

= = = = = = = = = =000= = = = = = = = =000= = = = = = =

अंशधान हेतु ब्याज रहित मध्य कालीन ऋण अनुसूचित जाति/जनजाति को प्राप्त कराना अति आवश्यक है। क्योंकि अंशधान के अभाव में सहकारी संस्थाओं से प्राप्त होने वाला लाभ इन्हे नहीं मिल पाता है। अस्तु निर्बल वर्ग के लिये अंशधान की व्यवस्था अति आवश्यक है। वर्ष 1987-88 में 100 रु0 प्रति व्यक्ति जिसमें 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान होगा 500 व्यक्तियों के लिये 50 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

क्रय विक्रय एवं भाण्डारण कृषक सेवा समितियों को खाद्यान व्यवसाय हेतु सीमान्त धन

============000================000================

7-16-2 जनपद में 17 कृषक सेवा सहकारी समितियाँ कार्यरत है। वर्ष 87-88 में जनपद की सात समितियाँ मौहार, मलवाँ कंसपुरगुगौली, गाजीपुर, बरारी बहरामपुर तथा बहुआ को 4 हजार रूपया प्रति समिति की दर से 28 हजार रु0यों का परिव्यय इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

III- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को उर्वरक व्यवसाय करनें हेतु कृषि ऋण सहकारी समितियो को 15 हजार प्रति समिति की दर से ऋण देसे का प्राविधान है। आलोच्य वर्ष 1987-88 में 20 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों सहरामपुर, हसवा, बरारी, भिटौरा, हुसैनगंज, गाजीपुर, असोधर, औखरा, चन्दरकरन, मवई, मुरॉव, हथगॉव खखरेलू, विजयीपुर, खाससऊ, एकडला, अमौली, छिवलहा, कासिमपुर एवं दुगरेई को 15 हजार प्रति समिति की दर से 300हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित।

क्रमशः------

को सुदृढ़ हेतु ऋण :-

7-16-3 जनपद में सहकारी क्रय विक्रय समिति खागा दाल मिल एवं क्रय - विक्रय समिति फतेहपुर द्वारा धान मिल एवं दाल मिल प्रक्रिया इकाई संचालित है । योजनान्तर्गत निर्बल एवं पुरानी प्रक्रिया इकाईयों के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकतानुसार धन देय है जिससे पुरानी इकाईयों द्वारा कच्चा माल प्राप्त कर पूर्ण क्षमता से चलाई जा सके , जिससे वे स्वावलम्बी एवं आर्थिक इकाई बन सके । वर्ष 1987-88 में खागा एवं फतेहपुर इकाईयों को एक - एक लाख की दर से दो लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।

1-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन

7-16-4 जनपद में 112 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ सेवारत है । इन समितियों को 7500 रु० प्रति समिति की दर से एक बार ऋण के रूप में देने की व्यवस्था इस कार्यक्रम में है । वर्ष 1987-88 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 समितियों को सहायता के लिये प्रस्तावित किया है । जिसमें कृषि ऋण सहकारी समिति औहार, कंसपुरगुगौली, जोनिहा, मलवाँ, भैसौली , चकअलकरन , असोथर अभौली, हथगाँव, छिवलहा , शाह, बकेवर, हसनपुर, एतमादपुर, दयालनगर, एवं जज भुडगाँ को 120 हजार रुपे का परिव्यय प्राविधानित किया गया है।

11-केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान

7-16-5 जनपद में फतेहपुर नगर में थोक एवं फुटकर उपभोक्ता सहकारी भण्डार कार्यरत है । इस भण्डार के लिये खाद्यान एवं खाद्य तेल की सीधी खरीद पर 2 प्रतिशत की दर से मूल्य उतार-चढ़ाव निधि अनुदान की व्यवस्था है । वर्ष 87-88 में 3-87 लाख रु० के व्यवसाय पर 7 हजार रु० के परिव्यय का प्रस्तावित है ।

न्याय पंचायत स्तरीय समितियों के पुर्नस्थापना हेतु अनुदान

16-6 न्याय पंचायत स्तर पर सेवारत सहकारी समितियाँ जो आर्थिक रूप से अंग होनें के कारण शिथिल हो चुकी है । उनकी सुप्त अवस्था दूर करनें के लिये उनका पुर्नस्थापन करके जागरूक करना नितान्त आवश्यक है । वर्ष 1987-88 में न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों की पुर्नस्थापना के लिये 100 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

-------000-------

17- विद्युत

7-17-0 : सामाजिक एवं आर्थिक विकास में ऊर्जा का योगदान सर्वविदित है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग समाज की सम्पन्नता एवं विकास के स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जनपद का औद्योगिक विकास पूर्ण रूपेण विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करता है । जनपद के 6 नगरों में विद्युत सुविधा उपलब्ध है, जो नगरों की संख्या का शतप्रतिशत है । इसके अतिरिक्त 31 मार्च 86 की स्थिति के अनुसार 896 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो आबाद ग्रामों का 66-42 प्रतिशत है । 33-58 प्रतिशत ग्राम विद्युत सुविधा से वंचित हैं। 597 हरिजन बस्तियों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण : राज्य सामान्य कार्यक्रम

7-17-01 : राज्य सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 400 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिससे 13 ग्रामों, 13 हरिजन बस्तियों तथा 100 पम्प सेटों का उर्जीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

10- उद्योग :-

7-18-0 अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने एवं उपलब्ध जनशक्ति को रोजगार के अधिकतम अवसर सुलभ कराने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इस परिप्रेक्ष्य में उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिये संरक्षणात्मक नीति अपनाने के साथ साथ विकसित अवस्थापन सुविधायें की व्यवस्था तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर जनपद में औद्योगिक वातावरण सृजित करने के प्रयास किये जा रहे हैं जनपद में राज्य सरकार औद्योगीकरण को गति प्रदान करने के लिये उपरोक्त सुविधाओं की व्यवस्था एवं भूमि , जल एवं विद्युत जैसे महत्वपूर्ण निवेशों के लिये एक ही स्थान सर्वसाधन सुलभ करने की व्यवस्था की गई है ताकि उद्यमियों को एक ही स्थान पर उद्योग सम्बन्धी जानकारी एवं सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके ।

औद्योगिक आस्थान का रख रखाव :-

7-18-1 औद्योगिक आस्थान बिन्दकी रोड़ में तीन सड़कें जिनकी लम्बाई लगभग 800 मीटर है । इनके किनारे टूटे - फूटे तथा बीच में गड्ढे आदि हैं । जिससे उद्यमियों को आवागमन में कठिनाई होती है । अतः इन सड़कों तथा किनारे की नालियों की मरम्मत होना अति आवश्यक है । मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था तथा मार्ग निर्माण होना है । जिसके लिये वर्ष 1987-88 की योजना में 37 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मारजिन मनी:-

7-18-2 यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । इसका उद्देश्य कुटीर एवं लघु उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों को उदार शर्तों पर ऋण दिलाकर उनकी उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है ।

जिला उद्योग केन्द्र हेतु 200 हजार रूपय की दर से मारजिन मनी ऋण प्रदान करने का प्रावधान है । जिसका 50% व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायगा । अतः आलोच्य वर्ष 87-88 में 100 हजार रूपये का परिव्ययप्रस्तावित किया गया है ।

क्रमशः----

विकास खण्डों हेतु मारजिन मनीऋण ।

7-18-3 विकास केन्द्र मारजिनल मनी ऋण योजना तथा विभिन्न औद्योगिक समूहों में स्थापित इकाईयों के लिये मारजिनल मनी ऋण योजना मिलाकर एकीकृत मारजिनल मनी ऋण योजना एवं शिक्षित बेरोजगारों तथा तकनीकी उद्यमियों के लिये मारजिनल मनी ऋण योजना लागू की गई है । आलोच्य वर्ष 87-88 में 317 औद्योगिक इकाईयों का स्थापित करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है । इन इकाईयों का मारजिन मनी ऋण की आवश्यकता होगी जिसके लिये 100 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

हस्तकला सहकारी समितियाँ :-

7-18-4 (अ) अंश पूंजी ऋण :- औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन के समय सदस्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उनसे पूर्ण अंश पूंजी 100 रूपय न जमा कराकर केवल 25 प्रतिशत जमा कराया जाता है तथा 75 प्रतिशत ऋण के रूप में उन्हे दिया जाता है । वर्ष 1987-88 में 6 हजार रूपये का परिव्यय अंश पूँजी ऋण के लिये प्रस्तावित किया गया है ।

(ब) प्रबन्धकीय सहायता :- औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये हस्तकला योजना के अन्तर्गत समितियों का प्रबन्धकीय अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 1987-88 में दो समितियों का प्रबन्धकीय अनुदान के रूप में 3 हजार का परिव्यय प्रावधानित किया गया है ।

7-18-5 हथकरघा उद्योग :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों से सम्बन्धित समिति के हिस्से क्रय करने के लिये समितियों के माध्यम से हिस्सों के मूल्य का 75% ऋण सुलभ कराया जाता है । शेष 25% सदस्य अपने साधनों से जमा करता है । इस ऋण पर 12% तक ब्याज तथा निर्धारित तिथ तक किस्त न जमा करने का 3·5% ब्याज दण्ड स्वरूप दय होता है ।

क्रमशः----

ऋण की अदायगी 10 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित होती है । जनपद में गठित 30 समितियों में से चार समितियों का 15 हजार प्रति समिति की दर से साठ हजार रूपये का परिव्यय वर्ष 87-88 में प्रस्तावित किया गया है ।

समितियों का कार्य वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार चलाने के लिये एक वैतनिक सचिव की नियुक्ति होना नितान्त आवश्यक है । वर्ष 1987-88 में एक समिति को प्रबन्ध की सहायता के रूप में 5000 रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

करघों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत करघों का नवीनतम् डिजाईनों की साज सज्जा से सुसज्जित करना है । एक फ्रेम लूम पर एक हजार रूपया देने का प्रावधान है । इस सहायता का 2/3 भाग ऋण के रूप में तथा 1/3 भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है । वर्ष 1987-88 की जिला योजना में 5 करघों के लिये 5 हजार रूपये सहायता के रूप में परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

7-18-6 <u>उद्यमिता विकास प्रशिक्षण :-</u>

जनपद में नये उद्यमियों का उद्योग लगाने के सम्बन्ध में उनको अभिप्रेरित एवं मार्ग दर्शन के लिये एवं जिला स्तर पर प्रति वर्ष प्रशिक्षण के लिये आयोजन किया गया है । उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्य क्रम जनपद की प्रत्येक तहसील पर वर्ष में छः दिवसीय एक प्रशिक्षण तथा जिला स्तर पर 15 दिवसीय वर्ष में दो बार कार्य क्रम चलाने का आयोजन है । वर्ष 1987-88 में इस कार्यक्रम पर 33 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

19- सड़क एवं पुल

7-19-0 : सड़क एवं पुल राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अंग हैं। राष्ट्र, देश, प्रदेश एवं जनपद के आर्थिक विकास हेतु उत्पादन, व्यापार एवं उपयोगिता के समन्वय में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है है। मार्ग निर्माण कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से रोजगार उत्पादन में भी सहायक सिद्ध होता है। व्यापार सम्बन्धी कार्य कलापों के माध्यम से देश में आर्थिक विकास होता है और सम्पर्क मार्गों के संचार जाल के परिष्कृत विकास से नये नये क्षेत्र इस कार्य के लिए खुलते है। रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराने में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद में सड़क एवं पुल सुविधाओं के प्रसार हेतु सतत नियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद की लगभग 94-5 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है । इसलिए जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामीण मार्गों का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्यकी पूर्ति हेतु न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। 1500 से अधिक आबादी के सभी ग्रामों को तथा 1000 से 1499 तक आबादी के 50 प्रतिशत ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से वर्ष 86-87 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 7957 हजार रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

ग्रामीण मार्गों का निर्माण

7-19-01 : वर्ष 87-88 की जिला योजना में छटी पंचवर्षीय योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने हेतु 2-9 कि0मी0 कच्ची तथा 28-40 कि0मी0 पक्की सड़कों का निर्माण करने के लिए 565। हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है तथा 12 कि0मी0 सोलिंग कार्य हेतु 800 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है। जिसका विवरण जी0एन0-2 में वित्तीय तथा जी0एन0 -3 में भौतिक उपलब्धि दिया गया है ।

7-19-02 : वर्ष 1987-88 के लिये दो सेतु निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं जिसके लिये 1549 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिसका विवरण जी0एन0-2 तथा जी0एन0-3 में है ।

20- पर्यटन

7-20-0 :

पर्यटन विभाग के अंतर्गत वर्ष 87-88 में कोई धन का प्रावधान नहीं किया गया है ।

21- सामान्य शिक्षा

7-21-0 - गणतंत्र की सच्ची सफलता के लिये संविधान में साक्षरता की शतप्रतिशत उपलब्धि की शतप्रतिशत संकल्पना है जिसे भारत सरकार ने 1990 तक 6-14 आयुवर्ग के समस्त बच्चो को साक्षर बनाने का निर्णय लिया है । जिसे प्राप्त करने के लिये शिक्षा विभाग ने औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सघन कार्यक्रम चलाया है औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत जनपद में राजकीय एवं बेसिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त समाज सेवी संस्थाओं व्दारा संस्थायें खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया जा रहा है ।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत समाजसेवी संस्थायें अग्रसर नहीं है, गत वर्षों में जनपद के ग्रामीण अंचलों में 500 जूनियर बेसिक स्कूल स्तर के केन्द्र संचालित रहे परन्तु इन केन्द्रों से शिक्षा के योगदान के परिणाम अनुकूल नहीं रहे जिसके प्रतिफल स्वरूप वर्ष 1987-88 की योजना में अनौपचारिक शिक्षा के लिये परिव्यय प्रस्तावित नही किया गया है ।

सामान्य शिक्षा

ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान - जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 122, नगरक्षेत्र में 16, इस प्रकार जनपद में कुल 138 विद्यालय हैं जिनके पास कोई भवन उपलब्ध नहीं है इस लिये वर्ष 87-88 की योजना में वरीयता के क्रम में 5 जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण के लिये 324 हजार रुपये के दान का प्रावधान किया गया है ।

असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों के अनुरक्षण हेतु अनुदान - जनपद में इस समय 22 जूनियर हाई स्कूल स्थायी मान्यता प्राप्त हैं जिन्हे वरीयता के क्रम में सूची पर लिया जाना है वरीयता के में चार विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लेने का प्रस्ताव रखा जा रहा है योजना में मूर्त: चल रहे 4 अनुदानित विद्यालयों को बचनबद्ध दानराशि एवं नये विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने हेतु 420 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

7-21-3 जूनियर बेसिक स्कूलों के लिये विज्ञान के शिक्षण सामग्री हेतु विज्ञान सज्जा के लिये अनुदान - जनपद में इस समय 400 जूनियर बेसिक स्कूलो में विज्ञान शिक्षण के लिये वांछित सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके अनुदान की अपेक्षा है वर्ष 1987-88 की योजना में 100जूनि० बेसिक स्कूलों को विज्ञान शिक्षण के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिये 30 हजार रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया गया है

7-21-4 - ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रसंख्या वृद्धि तथा स्थिरता लाने हेतु बालिकाओं तथा निर्बलवर्ग के बालकों को पाठ्यपुस्तक वितरण के लिये प्रोत्साहन अनुदान :- निर्बल वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षाग्रहण करने में प्रोत्साहन देने के लिये पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिसके लिये वर्ष 87-88 में तीन हजार रुपये का परिव्यय प्रावधान किया गया है

7-21-5 जिले के 15·00 रुपया प्रति छात्र की दर से योग्यता छात्रवृत्ति

जूनियर हाई स्कूल छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिवर्ष 125 छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये चयनित करना होता है । जिसके निर्धारित मानक के अनुसार 125 छात्रों के लिये 54·00 हजार रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है ।

6-दक्षता पुरस्कार -

7-21-6 - शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये जनपद के उत्कृष्ट शिक्षकों में से उत्कृष्टम 10 शिक्षकों को 500 रुपया प्रति शिक्षक पुरस्कृत करने के लिये वर्ष 87-88 में 5 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

7-निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु अनुदान -

7-21-7 जनपद के 40 सीनियर बेसिक स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भण्डारण नहीं है जिसके लिये वरीयता के आधार पर 10विद्यालयों को 1250 रुपया की दर से 12500 रुपये का परिव्यय वर्ष 87-88 की योजना में प्रस्तावित किया गया है ।

-ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों हेतु साज सज्जा -

7-21-8 जनपद में 48 सीनियर बेसिक स्कूल ऐसे हैं जिन्हें साज सज्जा उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है । वरीयता के आधार पर 48 में से 2

विद्यालयों को 3000 रुपया प्रति विद्यालय की दर से 6000 रु० का प्राविधान जिला योजना वर्ष 87-88 में किया गया है।

9 - ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनु०

7-21-9 शासन ने प्रत्येक छात्र को अधिकतम डेढ़ किलोमी० की दूरी पर जूनियर बेसिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने का निश्चय किया है, इस लक्ष्य को 1990 तक पूर्ण करना है इस समय 85 ग्राम ऐसे हैं जहाँ उक्त मानक के अनुसार शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है जिला योजना 1987-88 में वरीयता के क्रम में 10 ग्रामों को यह सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। जिसके लिये 820 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है

10-सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान

7-21-10 शासन ने प्रत्येक छात्र को अधिकतम 3 कि०मी० की दूरी पर सीनियर बेसिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इस समय 42 ग्राम ऐसे हैं जो उक्त मानक के अनुसार शिक्षा सुविधा से वंचित हैं जिनमें वरीयता के क्रम में 4 ग्रामों में सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये वर्ष 87-88 की जिला योजना में 708 हजार रुपये का परिव्यय प्राविधानित है।

11- खेलकूद समारोह 7-21-11 जूनियर हाई स्कूल स्तर तक के प्रति वर्षीय आयोजित खेलकूद समारोहों के लिये 3500 रुपये का प्राविधान किया गया है।

12-नगरक्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षण में सुधार हेतु विज्ञान साज सज्जा के लिये अनुदान

7-21-12 नगर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षा में व्यापक सुधार के लिये विज्ञान साज सज्जा की आपूर्ति अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये वर्ष 87-88 की योजना में 10 हजार रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है।

13- जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षा सामग्री के लिये अनुदान

7-21-13 जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षा की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिये वर्ष 1987-88 में 5000 रुपये का परि०

माध्यमिक शिक्षा

14- संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान

7-21-14 जनपद में 17 संस्कृतपाठशालायें कार्यरत है। इन विद्यालयों के विकास के लिये प्रति विद्यालय शासन से मानक निर्धारित है। जिला योजना 1987-88 मे दो संस्कृत विद्यालयों के विकास के लिये 4 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

15- वर्तमान राजकीय पुस्तकालय का विकास -

7-21-15 वर्ष 1986-87 में स्थापित राजकीय पुस्तकालय पर 75हजार रुपये का व्यय हो चुका है पुस्तकालय के संचालन एवं व्यवस्था के लिये कर्मचारी आदि की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वर्ष 1987-88 में 75 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

16- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश -

7-21-16 राजकीय इन्टर कालेज फतेहपुर में अतिरिक्त कक्षायें खोलने के लिये 0टी0ग्रेड , दो एल0टी0 ग्रेड तथा चार प्रवक्ताओं की आवश्यकता होगी।कक्षा 6 , 9 एवं 11 में एक अतिरिक्त कक्षा प्रस्तावित है।छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टि में रखते हुये इन कक्षाओं का खोलना नितान्त आवश्यक है जिसके वेतन के रुप में 70,000 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। राजकीय कन्या इन्टर कालेज फतेहपुर में एवं बिन्दकी में पाँच सौ डेस्क एवं पाँच सौ स्टूलों की आपूर्ति अत्यन्त आवश्यक है जिसके फलस्वरुप 320 हजार रुपये का परिव्यय वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित किया गया है ।

17-राजकीय कन्या इन्टर कालेज में बस की व्यवस्था -

17-21-17 नगर पर्याप्त परिधि में बसा हुआ है फतेहपुर नगर में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से नगर सेवा की भी व्यवस्था नहीं है जिसके अभाव में सामान्यता बालिकाओं को विद्यालय जाने के लिये पदयात्रा ही करनी होती है पद यात्रा की थकान बालिकाओं की शिक्षा में प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा असुरक्षा की भी सम्भावना रहती है इस समस्या के समाधान के लिये राजकीय बालिका इन्टर कालेज फतेहपुर में एक बस की व्यवस्था करने के लिये 2लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

18- खेलकूद रैली

7-21-18 - उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रति वर्ष आयोजित खेलकूद रैली के लिये 10 हजार रुपये का परिव्यय वर्ष 87-88 में प्रस्तावित किया गया है जिसमें बालक एवं बालिकाओं की खेलकूद रैली का अलग अलग आयोजन किया जायेगा ।

19. प्रौढ शिक्षा

7-21-19 - प्रौढ शिक्षा परियोजना बिन्दकी के अन्तर्गत विकास खण्ड ... मलवाँ एवं खजुहा में 300 प्रौढ कक्षायें चल रही हैं इन कक्षाओं के संचालन के लिये वर्ष 1987-88 की जिला योजना में 800 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। मानक भ्रामक होने के कारण कटौती कर दी गई है आवश्यक टिप्पणी दे दी गई है ।

22 - खेलकूद

7-22-0 : खेलकूद का महत्व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिन प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम के विकास पर जनप्रिय केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकार विशेष जोर दे रही है ।

1-ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/आशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रो की स्थापना :

7-22-01 : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 3-20 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिससे 2 ग्रामीण केन्द्रो पर व्यवस्थाकों के मानदेय व क्रीड़ा सामग्री पर व्यय किया जाना निर्धारित है ।

2- विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन :

7-22-02 : राष्ट्रीय पर्वों पर खेलकूद प्रतियोगिता एवं जिलास्तर की बालक/बालिकाओं की प्रतियोगिता हेतु वर्ष 87-88 के लिए 10 हजार रूपये का परिव्यय चालू योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है ।

3- क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण :

7-22-03 : जनपद फतेहपुर में जी0टी0 रोड से मिला हुआ 6-5 एकड़ भूमि जिसका प्लाट नम्बर 2795 है, क्रीड़ा स्थल के निर्माण के लिए 86-87 में 293-90 हजार रू0 का परिव्यय स्वीकृत है। निर्माण कार्य शासन स्तर पर विचाराधीन है। वर्ष 87-88 में इस योजना को चालू रखने हेतु 400 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

23- प्राविधिक शिक्षा

7-23-0 प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से पूर्णतया सम्बद्ध है जनपद फतेहपुर में वर्ष 1983-84 में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना की गई है । वर्ष 1987-88 में विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय हेतु 3000 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

7-23-01 पालीटेक्निक का सुदृढीकरण :-

इस योजना के अन्तर्गत वेतन एवं मुंहगाई भत्ते के लिये 500हजार रू0 मात्र साज सज्जा का क्रय हेतु 700 हजार पुस्तकालय क्रय के लिये 100 हजार निमार्ण कार्य 1000 हजार , भवनों का किराया 12 हजार प्रयोगात्मक प्रशिक्षण 50 हजार कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय 77 हजार , टेलीफोन व्यय 3 हजार यात्रा भत्ता& फर्नीचर क्रय 100हजार तथा संस्था प्रांगण का सुन्दरीकरण हेतु 50 हजार रूपये वर्ष 87-88 के लिये प्रस्तावित किया गया है । पालीटेक्निक की स्थापना शहर से लगभग 7 कि0मी0 दूर सनगाँव ग्राम के निकट एकान्त में हुई है पूर्ण सत्र चलनें पर लगभग 300 विद्यार्थी तथा शिक्षक होगें । परन्तु उनके पीने के लिये जल की व्यवस्था नहीं है शहर से दूर होने के कारण नल व्दारा आपूर्ति भी सम्भव नहो है। इस लिये विषम परिस्थातियों को दृष्टिगत रखाते हुये 400 हजार रू0 का परिव्यय नलकूप तथा टैंक इत्यादि के लिये प्रस्तावितकिया गया है।

24- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

7-24-0 सामाजिक आर्थिक विकास के लिये आवश्यक अवस्थापना में जन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ समाज ही जनपद को आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली बना सकता है। इस दृष्टिकोण से जनपद की गिरी हुई सामाजिक स्थिति विषम भौगोलिक परिस्थितियां तथा घनी जनसंख्या सदैव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं के समुचित विकास में बाधक होती हैं। तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा इन सेवाओं के प्रसार एवं समुन्नतीकरण हेतु अधिक से अधिक संसाधन सुलभ कराने का बल दे रही है। जनपद के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति की दिशा में जन साधारण को प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवायें सुलभ कराने पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही स्वास्थ्य एवं तत्संबंधी सेवाओं जैसे सुपोषण, स्वच्छ जल सम्पूर्ति एवं सफाई, आवास जैसे महत्वपूर्ण अंगों के बीच सुदृढ़ एवं स्थिर सम्पर्क स्थापित करने पर विशेष बल दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिये त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को आधार माना गया है। इसके अन्तर्गत उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की जानी है। इसके स्थापना की मानक निम्न प्रकार निर्धारित है।

1- 5000 की जन संख्या पर एक उप केन्द्र का निर्माण होना है।
2- 30,000 की जन संख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
3- 1,00,000 की जन संख्या पर अथवा 4 प्रा0स्वा0केन्द्रों पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

1- आयुर्वैदिक एवं यूनानी औषधालयों की स्थापना

7-24-01 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आयुर्वैदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों एवं औषधालयों से जनता को उत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 86-87 तक जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में दो स्थानों पर 4 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है।

चिकित्सालयों में नियुक्त होने वाले चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, महगाई भत्ता में 45 हजार रु0, चिकित्सालयों के आवर्तक मद में 40 हजार रु0, औषधि भवन किराया एवं आहार मद में 15 हजार रु0व्यय का प्रावधान वर्ष 87-88 में किया गया है। इस प्रकार कुल 100 हजार रु0का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

2- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 25/15 शय्यायुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना।

7-24-02 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 में जनपद मुख्यालय में 25 शैय्या युक्त चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा वर्ष 86-87 में तहसील मुख्यालय खागा में स्थापना हेतु प्रस्तावित है। जिसके लिये वर्ष 87-88 में उक्त स्थापित चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, महगाई भत्ते, चिकित्सा आवर्तक आदि मद में 200 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

3- वर्तमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों तथा औषधालयों का प्रोन्नयन।

7-24-03 इस योजना के अन्तर्गत 15 चिकित्सालयों हेतु अतिरिक्त औषधि प्रदान करने, 9 पुराने चिकित्सालयों तथा 3 चिकित्सालयों मे शैय्या प्रदान करने, तथा 8 प्रोन्नति हुये चिकित्सालयों में पूर्णकालिक स्वच्छक कम-चौकीदारके वेतन, महगाईभत्ता प्रदान करने आदि हेतु वर्ष 87-88 के लिये 55 हजार रु0का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

4- आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालिका विस्तार

7-24-04 इस योजना के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत आयु0एवं यूनानी चिकित्सालयों, औषधालयों तथा इनमें नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी देख रेख एवं नियंत्रण तथा प्रशासनिक मामलों के संबंधित कार्यों के सम्पादन तथा परिवार कल्याण एवं मातृशिशु कल्याण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिये जिले में आयु0 एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालय की स्थापना आवश्यक है। जिसके लिये वर्ष 87-88 में 70 हजार रु0 का परिव्यय

नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

7-12-05 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 13 नये प्राथ0स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु 350 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावितकिया गया है।

उप केन्द्रों का भवन निर्माण

7-24-06 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 4 उप केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये 750 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तार नवीनीकरण तथा बिजली, पानी की व्यवस्था।

7-24-07 इस योजना के अन्तर्गत प्रा0स्वा0केन्द्रों के भवन का विस्तार एवं अधिकारियों, कर्मचारियों के 4 आवासीय भवनों का निर्माण, बिजली तथा पानी की व्यवस्था हेतु वर्ष 87-88 के लिये 100 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावितकिया गया है।

शहरी तथा ग्रामीण होम्यो पैथिक चिकित्सालयों की स्थापना

7-24-08 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में शहरी तथा ग्रामीण होम्यो-पैथिक औषधालयों को कार्यरतरखने में कर्मचारियों के वेतन भत्तें एवं आकस्मिक व्यय मदो में 68 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना

7-24-09 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापित करने के लिये 400 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों में रोगी शैय्याओं की वृद्धि।

7-24-10 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 38 रोगी शैय्याओं की वृद्धि करने हेतु 200 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

महिला चिकित्सालय तथा उच्चीकृत प्रा0स्वा0के0 और चुने हुये चिकित्सालयों में बाल रूजालयों की स्थापना ।

7-24-11 इस योजना के अन्तर्गत बाल रूजालयों की स्थापना के लिये वर्ष 87-88 में 200 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

तहसील स्थित चिकित्सालय में दन्त रूजालयों की स्थापना

7-24-12 इस योजना के अन्तर्गत दन्त रूजालयों की स्थापना हेतु वर्ष 87-88 के लिये 80 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

उपचारिकाओं के लिये आवास गृहों का निर्माण

7-24-13 इस योजना के अन्तर्गत इस कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये उपचारिकाओं के लिये आवास गृहों का निर्माण कार्य हेतु वर्ष 87-88 में 500 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में जल सम्पूर्ति एवं विद्युतीकरण

7-24-14 इस योजना के अन्तर्गत जल सम्पूर्ति एवं विद्युतीकरण हेतु वर्ष 87-88 में 200 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

25 – ग्रामीण जल सम्पूर्ति

जल निगम

7-25-0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वह ग्राम समस्याग्रस्त श्रेणी के अन्तर्गत आते है जहां पानी का श्रोत ग्राम से 1.6 किलो मीटर से अधिक दूरी पर है । पानी स्तर धरातल से 15 मीटर से अधिक गहराई पर है तथा पानी के श्रोत में हैजा, मियादी बुखार आदि बीमारियों के जीवाणु शाधिग्र फैल जाते है अथवा पानी के श्रोत में लवणता, लौह तत्व ... अथवा फ्लोराइड की अधिकता है।

जनपद फतेहपुर में जल निगम विभाग द्वारा पाइप लाइन व हैण्डपम्प योजनाओं के अन्तर्गत शुध्द पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में कुल 1349 आबाद ग्राम है, जिनमें से वर्ष 1972 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 80 ग्राम अभावग्रस्त ग्राम सूचीबध्द किये गये जहां पेयजल की समस्या उक्त मापदण्डों के अन्तर्गत पाई गई है। वर्ष 1985 में 1192 समस्या--ग्रस्त ग्राम घोषित हुये है। उपरोक्त ग्रामों में से 88 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत तथा 364 ग्रामों को हैण्डपम्प योजनाओं के अन्तर्गत मार्च1986 तक लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 82-83 से पूर्व जनपद फतेहपुर में मात्र दो ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य कराया गया था जिसके अन्तर्गत 28 ग्रामों को लाभान्वित किया गया था । जिसमें से 2 ग्राम 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार अभावग्रस्त श्रेणी के थे। मार्च 1986 तक 452 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका था। इनमें से 88 ग्राम पाइप द्वारा §77 ग्राम अभावग्रस्त तथा 11 ग्राम अभावग्रस्त § तथा 364 ग्राम हैण्ड पम्प द्वारा §69 ग्राम 1972 की अभावग्रस्त तथा 295 ग्राम 1985 के समस्याग्रस्त§ लाभान्वित किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त मार्च 86 तक 62 ग्रामों की हरिजन बस्तियों को हैण्डपम्प द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

वर्ष 1986-87 में 220ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 20 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत तथा 200 ग्रामों को हैण्डपम्प द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य है । इन लक्ष्यों के विपरीत अगस्त 86 तक 4 ग्रामों को पाइप द्वारा तथा 61 ग्रामों को हैण्ड पम्प द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है

वर्ष 1982-83 में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन जल सम्पूर्ति के साथ साथ इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प लगा कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पाइप जलसम्पूर्ति उन्हीं ग्रामों में उपलब्ध कराई जा रही है जहां हैण्ड पम्प लगाना सम्भव नहीं है। भारत सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पम्प सम्पूर्ति की जिन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है, केवल उन्हीं योजनाओं को लिया जाय। आगे की नई योजना न ली जाय। एक हैण्डपम्प 250-300 की जनसंख्या पर लगाये जाने का नार्म रखा गया है। किन्तु अधिक से अधिक समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि एक ग्राम में केवल दो हैण्ड पम्प लगाये जायें जिनमें से एक हरिजन बस्ती में लगाया जाये।

जनपद में वर्ष 1982-83 से 9 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है जिनमें एक ग्रामीण पेयजल योजना खाजुहा ग्राम समूह पेयजल योजना पूर्ण हो गया है।

ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना

7-25-01 चालू ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत3825-00 हजार रुपये का परिव्यय वर्ष 87-88 के लिये प्रस्तावित किया गया है। इस धनराशि से ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाये गी। वर्ष 87-88 में योजनावार धन तथा भौतिक लक्ष्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र0स0	योजना	वर्ष87-88 में प्रस्तावित परिव्यय (हजार रुपये में)
1-	ललौली ग्राम समूह पेयजल योजना	65-00
2-	असोथर ,, ,,	55-00
3-	धाता ,, ,,	290-00
4-	गढा ,, ,,	105-00
5-	चांदपुर ,, ,,	310-00
6-	अहमदपुर कुसुम्भा ,, ,,	100-00
7-	जाफरगंज ,, ,,	1000-00
8-	दपसौरा ,, ,,	800-00
9-	ग्रामीण पेयजल की सुदृढीकरण	600-00
10-	ग्रामीण योजनओं का रखरखाव	500-00
	चालू योजनओं का योग	3825=00

26- ग्राम्य विकास §ग्रामीण पेयजल योजना§

7-26-0 समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में शुध्द तथा ... यथेष्ठ मात्रा में पेयजल का उपलब्ध होना परमावश्यक है जनपद फतेहपुर में ग्रामीण आंचलो के हरिजन बस्तियों में कूप हैण्डपम्प के व्दारा जल सम्पूर्ति का कार्यक्रम ग्राम्य विकास xxx विभाग व्दा वर्ष 1971-72 से चलाया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवी योजना से लिया गया है। वर्ष 1984-85 से पूर्व कूप हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम्य विकास विभाग व्दारा सम्बन्धित विकास खण्ड के माध्यम से दैनिक मजदूरी के आधार पर कराया जाता था, पर वर्ष 1984-85 में शासन व्दारा निर्णय लिया गया कि ग्राम्य विकास विभाग व्दा उपलब्ध कराई गई हरिजन बस्तियों की सूची के अनुसार ग्रामीण आंचलों में हैण्डपम्प लगाने का कार्य जल निगम विभाग व्दारा कराया जाये गा तथा कूप निर्माण का कार्य ग्राम्य विकास विभाग व्दारा ही किया जाये गा । 31-3-86 तक ग्राम्य विकास विभाग व्दारा जनपद की ग्रामीण हरिजन बस्तियों में 498 पेयजलकूपे निर्माण कराया जा चुका है।

ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना

7-26-01 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 12 पेयजल कूप निर्मित करने के लिये 117 हजार रु0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । वर्ष 87-88 में 50 पेयजल कूप / हैण्डपम्प निर्मित करने के लिये 600 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । वर्ष 1982 के सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षित ग्रामों में व्दितीय श्रेणी के 58 ग्राम, तृतीय श्रेणी के 3 ग्राम तथा चतुर्थ श्रेणी के 21 ग्राम शेष रह गये है, जिनमें से व्दितीय श्रेणी के 50 ग्राम वर्ष87-88में में पूर्ण कर लेने हेतु लक्ष्य प्रस्तावितकिया गया है ।

27- निर्बल वर्ग आवास

7-27-0 भोजन, कपड़ा और मकान जीवन की मूल भूत आवश्यकतायें है और पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण का यही मुख्य आधार रहा है किसी आधार भूत सर्वेक्षण के अभाव में आवासहीन परिवारो की संख्या का सही अनुमान तो नहीं है किन्तु यह निश्चित है कि जनपद में बहुत बड़ी संख्या में परिवार विशेषकर समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्ति आवास विहीन है । यह प्रयत्न किया गया है कि ऐसे परि--वारों को भूखाण्ड आवंटित किये जाय ताकि वे मकान बना सके। समाज के निर्बल वर्ग के लिये ग्राम विकास, विभागव्दारा ग्रामीण आवासों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें हरिजन एंव अनुसूचित जाति के लोग भी सम्मिलित है।

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलो में स्थायी रूप से निवास करने वाले अनुसूचित जाति /अनु0 जनजाति एंव अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित करना है, जो भूमिहीन कृषक मजदूर अथवा सीमान्त कृषक जिनके पास0-404 हे0 सिंचित अथवा एक हेक्ट0 असिंचित भूमि से अधिक न हो तथा जिनके परिवार के किसी भी सदस्य की कृषक मजदूर के अतिरिक्त अन्य कोई स्थायी आय का साधन न हो । लाभार्थीयों का चयन एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत करके भवन निर्माण हेतु भूखाण्ड आंवटित किया जाता है। योजना के अर्न्तगत भवन की कुल लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिक तक 2000/- रूपये तक अनुदान की धनराशि लाभार्थियो को सामग्री के रूप में देय होती है । यह विडम्बना ही है कि एक ही समय में शासन व्दारा एक दूसरीयोजना संचालित की जा रही है जिसमें [illegible] प्रति आवास [illegible] तथा [illegible] अवस्थापना विकास के लिये स्वीकृत किया जाता है । इससे जनता में भ्रम तथा असंतोष उत्पन्न होता है।

ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना

7-27-01 ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों एंव भूमिहीन कृषकों की आवासी सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 तक कुल 1882 आवास भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष86-87 में 45 आवास निर्माण हेतु 100 हजार रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । वर्ष 1987-88 में 100 आवास निर्मित करने का लक्ष्य प्रस्तावित

28- सूचना एवं जन प्रसार

सूचना एवं जनप्रसार योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में कोई धन का प्रावधान नहीं किया गया है ।

29- श्रम कल्याण

7-29-0 :

श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 1987-88 में कोई धन का प्रावधान नहीं किया गया है।

30 शिल्पकार प्रशिक्षण

7-30-0 शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला योजना वर्ष 86-87 में 200 हजार रूपये का परिव्यय नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था । वर्ष 87-88 में वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार एंव सुदृढीकरण की योजना के अन्तर्गत 569 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है।

वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार एंव सुदृढीकरण:

7-30-01 आशुलिपि हिन्दी (महिला)

प्रशिक्षित महिलओं को बेरोजगारी एंव इस व्यवस्था के प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हेयु इस व्यवसाय को खोला गया है । इस व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त कर राजकीय, अर्धशासकीय तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानिक कार्यालयो आदि में रोजगार प्राप्त कर सके गी । जिससे अधिक से अधिक महिलायें लाभान्वित हो सकेंगी । इस योजना को चालू रखने के लिये वर्ष 87-88 हेतु 80 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिससे 16 महिलाये प्रशिक्षित होगीं 80 हजार रूपये का विवरण है ।

1- वेतन एंव महंगाई भत्ता	70-00
2- आकस्मिक व्यय	10-00
	80-00

इलेक्ट्रानिक व्यवसाय (पुरूषो के लिये)

7-30-02 जनपद में भविष्य में स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानो की आवश्यकता एंव युवकों की बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुये इलेक्ट्रानिक व्यवसाय स्थापित किया गया है। इस व्यवसाय से प्रशिक्षित युवकों को प्रतिष्ठानो में रोजगार मिलने के साथ ही साथ स्वत: रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्ष 87-88 में इस योजना को चालू रखने हेतु 337 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। व्यवसाय में 16 प्रशिक्षार्थियों को दो वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुराने व्यवसायों में सीटों की वृध्दि

विधुत व्यवसाय

7-30-03 यह व्यवसाय वर्तमान समय में बहुत ही उपयोगी सिध्द हो रहा है । विधुत की बढती उपयोगिता एंव उसमें तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुये वर्ष 87-88 में विस्तार प्रस्तावित किया गया है । इसमें 16 स्थान बढ जायेंगे। कारखानों से लेकर गृह उपयोग में विधुत की महत्ता बढती जा रही है । इस व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थी स्वत: रोजगार के साथ साथ रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। इस व्यवसाय में प्रशिक्षित अभ्यार्थियो की मांग को देखते हुये अधिक से अधिक अभ्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास करते है, लेकिन स्थान कम होने के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते है। इस व्यवसाय में सीटों की वृध्दि हेतु साज सज्जा के लिये वर्ष 87-88 में 152 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

31 - सेवायोजन

7-31-0 :

सेवा योजन विभाग के अंतर्गत वर्ष 1987-88 में कोई धन का प्रावधान नहीं किया गया है ।

32- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति कल्याण :

समाज के निर्धनतम वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से शासन द्वारा हरिजनकल्याण की योजनायें चलाई जा रही है इन योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा रहा है । हर सम्भव प्रयास करके इस वर्ग को समाज के अन्य वर्गों के समान पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय सरकार कृतसंकल्प है। भारतीय संविधान में भी इस वर्ग के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था विद्यमान है ।

1- अनुसचित जातियों का कल्याण

1- शिक्षा:

1- पाठ्य पुस्तकीय छात्रवृति तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता

क- जूनियर हाई स्कूल स्तर 6 से 8 तक

7-32-01: पूर्व दशम कक्षाओं में कक्षा 6 से तथा 7,8 में 12 रू0 प्रति छात्र छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है वित्तीय वर्ष 87-88 में क्रमशः 100:00 (एक लाख) निर्धनता के आधार पर तथा 150 (एक लाख पचास हजार) योग्यता के आधार पर 2750 छात्रों को देने के लिए प्राविधान किया गया है।

ख- प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक :

7-32-02 : कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को 140-00 (एक लाख चालीस हजार) रू0 की धनराशि 2333 छात्रों को देने के लिए प्रस्तावित है ।

3- दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कार

7-32-03 : हाईस्कूल तथा दशमोत्तर कक्षाओं की अंतिम परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण छात्रों को 400रू0 प्रति छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार देने का प्राविधान है। वर्ष 87-88 में 10=00 (दस हजार) रू. की धनराशि 40 छात्रों को देने के लिए प्रस्तावित है ।

4- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त पुस्कालयों एवं छात्रावास को सहायता

7-32-04 : विभाग द्वारा 5 छात्रावासों को सहायता दी जाती है । वर्ष वर्ष 87-88 में तीस हजार रू0 की धनराशि छात्रावासों की को सामान्य व्यवस्था में खर्च किया जायेगा ।

आर्थिक उत्थान - गृह निर्माण एवं ऋण की अदायगी

7-32-05 : अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दुर्बल व्यक्तियों को 10 गृह निर्माण करने के लिए वर्ष 1987-88 में 90 हजार रू0 की धनराशि प्रस्तावित की गई है ।

छात्रवृत्ति एवं पाठ्य पुस्तकीय सहायता :

जूनियर हाई स्कूल से स्तर 6 से 8 तक

7-32-06 : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में निर्धनता के आधार पर 180 छात्रों को 15000=00रु० व्यय करने का प्रस्ताव है ।

ख- प्राइमरी स्तर से कक्षा 1 से 5 तक :

7-32-07 : वर्ष 87-88 के लिए इस योजना के अंतर्गत 90 छात्रों के लिए निर्धनता के आधार पर 5000=00 देने का प्राविधान किया गया है ।

आर्थिक उत्थान :

7-32-08 : विमुक्त जाति के तीस व्यक्तियों को कृषि एवं बागवानी के लिए एक हजार रु० प्रति व्यक्ति की दर से 30000{तीस हजार} रु० की धनराशि का प्राविधान वर्ष 87-88 की योजना के लिए किया गया है।

लघु कुटीर उद्योग विकास हेतु अनुदान :

7-32-09 : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 40=00 {चालीस हजार} रु० की धनराशि एक हजार रु०प्रति व्यक्ति की दर से 40 व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है ।

विमुक्त जाति पुनर्वासन :

7-32-10 : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 5 हजार रु० प्रति व्यक्ति की दर से पुनर्वास हेतु दस परिवारों के लिए 50=00{पचास हजार}रु० का परिव्यय प्रस्तावितकिया गया है ।

स- अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण :

शिक्षा =

1- छात्रवृत्ति पुस्तकीय एवं उपकरण हेतु सहायता :

क- जूनियर हाई स्कूल स्तर 6 से 8 तक

7-32-11 : वर्ष 87-88 में इस योजना के अंतर्गत 1660 छात्रों के लिए निर्धनता के आधार पर 50=00{पचास हजार} तथा योग्यता के आधार पर 100=00 { एक लाख } का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक :

7-32-12 : वर्ष 87-88 में इस योजना के अंतर्गत 666 छात्रों को निर्धनता के आधार पर 10=00 { दस हजार } का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

33- समाज कल्याण

समाज के अंग एवं निराश्रित व्यक्ति जिनके समक्ष जोविकोपार्जन एक भयंकर समस्या है । यह व्यक्ति अंग एवं निराश्रित होने के कारण समाज का बोझ न बन सकें वरन स्वं अपनेको जोविकोपार्जन में समाज के अन्य अंगों के समकक्ष रख सकें । इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए शासन द्वारा समाज कल्याण की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

निदेशन एवं प्रशासन :

1- शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति

7-33-01 : वर्ष 87-88 में 60 छात्रों को 8000} आठ हजार} का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

2- शारीरिक से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग खरीदने हेतु सहायता -

7-33-02 : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 40 अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग खरीदने के 20000 }बीस हजार} रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

3- नेत्रहीन तथा मूक बधिर तथा शारिरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान :

7-33-03 : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 400 विकलांगों के लिए 288000 } दो लाख अट्ठासी हजार} रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

बाल कल्याण

स्वीपर कालोनियों में शिशुशाला केन्द्रों की स्थापना :

7-33-04 : इस योजना में वर्ष 87-88 में प्रति शिशुशाला 15 हजार रू0 की दर से 5 शिशुशालाओं के संचालित करने के लिए 75 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

3- महिला कल्याण :

निराश्रित विधवाओं को अनुदान :

7-33-05 : यह योजना वर्ष 85-86 के पूर्व से लागू है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 1600 विधवाओं को लाभान्वित करने के लिए 1185600 } ग्यारह लाख पचासी हजार छः सौ} रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

34- पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम (समाज कल्याण)

7-34-01 : इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा निर्बल वर्ग के 0 से 6 वर्ष के बच्चों तथा धात्री महिलाओं के पोषण हेतु वर्ष 85-86 से 2 बाल विकास परियोजनायें खागा एवं हस्वा में चल रही थी इस वर्ष 86-87 में तीन बाल विकास परियोजनायें शासन से तेलियानी, विजईपुर एवं धाता में स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार इस वर्ष पांच बाल विकास परियोजनाऐं संचालित हैं। वर्ष 87-88 में इस मद में 2685=30[illegible] का परिव्यय प्रस्तावित है है। जिससे 40,000 बालक एवं महिलाएं लाभान्वित होंगी।

3000/-

अध्याय-8

स्थानीय संसाधन

==========000========

8-01 किसी क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं पर स्थानीय संसाधनों की मुख्य भूमिका होती है । यदि संसाधन प्रचुर तथा विकास के लिये उपयुक्त है तो उस क्षेत्र के विकास की गति सरलता से प्रवाहित होती रहती है ।

वहाँ के निवासी संसाधनों का उपयोग बिना किसी विशेष दक्षता प्रयास या वृहद विनियोग से कर सकते हैं इस जनपद में कोई विशेष उल्लेखनीय संसाधन नहीं है । जनपद में भूमि, सतह जल , वन, खनिज पदार्थ, पशु तथा मत्स्य हैं ।

भूमि तथा उसका उपयोग

==========00==========

1- इस जनपद का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन भूमि है । भूमि का क्षेत्रफल सीमित है । जनसंख्या के लगातार वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव लगातार बढता जा रहा है जनपद की आबादी का लगभग 83-8 प्रतिशत भाग भूमि पर आधारित है । भूमि से ही जीवन यापन करते हैं । परिवार विभाजन से जोतों के आकार छोटे होते जा रहे हैं । तथा जोतें अनार्थिक होती जा रही हैं। भूमि उपयोगिता का विवरण निम्न प्रकार है ।

क्रमसं0	मद	वर्ष 1982-83		वर्ष 1983-84	
		क्षेत्र (हे0)	प्रतिशत	क्षेत्र (हे0)	प्रतिशत
1-	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	423860	100-00	420 87	100-00
2-	वन	7064	1-7	4864	1-2
3-	ऊसर और खोती केअयोग्यभूमि	19510	4-6	15632	3-7
4-	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों आने वाली भूमि	43725	10-4	43179	10-3
5-	कृषि योग्य बंजर भूमि	13642	3-2	15962	3-8
6-	स्थानीय चरागाह	3460	0-8	3176	0-7
7-	अन्य वृक्ष एवं उद्यान	6332	1-4	5970	1-4
8-	वर्तमान परती	18995	4-5	19318	4-6
9-	अन्य परती	12783	3-0	14411	3-4
10-	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	298349	70-4	298375	70-9

क्रमसं0	मद	वर्ष 82-83 क्षेत्र(हे0)	वर्ष 1983-84 क्षेत्र(हे0)
1-	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	83318	115396
2-	सकल बोया गया क्षेत्र	388373	413771
3-	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	138651	150794
4-	सकल सिंचित क्षेत्र	169190	132657

8-02 जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 420387 हे0 है जिसमें 4364 हे0 वन है। वर्ष 83-84 के भूमि उपयोग के अनुसार कृषि के अन्तर्गत 70-9 प्रतिशत क्षेत्र है शेष 29-1 प्रतिशत अन्य उपयोग में आता है। केवल 3-8 प्रतिशत भूमि ऐसी है जो कृषि के अन्तर्गत लाई जा सकती है। जनपद में अनेक प्रकार की भूमि पाई जाती है। मिट्टी की संरचना नदियों के जल निकास से प्रभावित हुई है। गंगा नदी के किनारे भूड भूमि है, इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक है। तथा कृषिकरण सरल है। परन्तु सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जनपद के दक्षिण की ओर बढनें पर मिट्टी धीरे धीरे बलुई से दोमट होती जाती है। यह मिट्टी कृषि उपयोग के लिये सबसे अच्छी है। मध्य भाग में मुख्य रूप से मटियार भूमि है। जिसमें चिकनी मिट्टी का अंश अधिक होता है। मोटे अनुमान के अनुसार बलुई व भूड मिट्टी 2 प्रतिशत, दोमट 47 प्रतिशत, मटियार 7 प्रतिशत, सीगो मिट्टी 15 प्रतिशत, कावर मिट्टी 12 प्रतिशत, कछार मिट्टी 5 प्रतिशत तथा चाँचर एवं अन्य प्रकार की मिट्टी 12 प्रतिशत पाई जाती है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 83-8 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आधारित हैं। कृषि को बढाया जाना सम्भव नहीं है। दिन प्रतिदिन जोतों का आकार आबादी बढनें तथा परिवार विभाजन के कारण छोटा होता जा रहा है। इस कारण कृषि पैदावार में अब कोई विशेष विकास करना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। शुद्ध बोये गये क्षेत्र में केवल 50-5 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। जनपद में सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके दो फसली क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई के साधनों को बढाकर सघन आधार पर कृषि के उत्पादन में वृद्धि किये जानें के प्रयास किये जा रहे हैं।

8-03 जनपद की सामान्य वर्षा कलेण्डर वर्ष 1984 के आधार पर 862 मी0 मीटर है तथा वास्तविक वर्षा 666 मी0मी0 है। इस जनपद के लिये मानसून अनिश्चित है। तापमान वर्ष 84-85 में ग्रीष्म काल में 44-6 से0ग्रेड तक पहुँच जाता है। वर्षा पर्याप्त न होनें के कारण जायद की फसल निजी सिंचाई साधनों पर ही निर्भर हो पाती है। रवी एवं खरीफ की फसल पर ही वर्षा भार निर्भर रहना पडता है।

8-04 जनपद में कुल जोतों का 66 प्रतिशत जोतें एक हे0से कम हैं, जिनमें कुल क्षेत्र का 25 प्रतिशत क्षेत्र आता है। एक से दो हेक्टेयर की जोतें 17 प्रतिशत हैं। जिनमें 21-5 प्रतिशत क्षेत्र है। 7 प्रतिशत जोतें दो से तीन हे0के बीच की हैं। जिनमें 15 प्रतिशत क्षेत्र आता है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश

व्यक्तियों के पास अनार्थिक जोते हैं । 3हे0 से अधिक की जोतें 9 प्रतिशत हैं, जिनमें 39 प्रतिशत क्षेत्र है ।

सतह जल
======000====

8-05 जनपद में दो मुख्य नदियाँ गंगा तथा यमुना हैं । इसके अतिरिक्त, पाण्डु तथा ससुरखारेदी गंगा, यमुना नदियों की सहायक नदियां हैं, का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है । फतेहपुर जनपद गंगा तथा यमुना के द्वाबा में बसा हुआ है । यमुना नदी के किनारे वाली पट्टी का जल स्तर बहुत ही गहरा है और बाँदा जनपद की भाँति यहाँ भी जल की समस्या बनी रहती है । द्वाबा तथा गंगा के किनारे की स्थिति सामान्य है ।

8-06 जनपद में तालावों की स्थिति अच्छी नहीं है । अधिकांश तालाव ग्रीष्मकाल में सूखा जाते हैं । इस समय जानवरों के पेयजल की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है । वर्ष 1983-84 के आँकडों के आधार पर 402 3हे0 में तालावों से सिंचाई की गई थी जो कुल सिंचित क्षेत्र का मात्र 2-87 प्रतिशत है । कोई विभागीय जलाशय नहीं है । ग्रामीण अंचलों में तालावों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षण के आधार पर कुल 3044 तालाव 2343-10हे0 क्षेत्रफल में उपलब्ध हैं । सर्वेक्षित तालावों में से कुल 1986 तालाव जिनका क्षेत्रफल 1515-49 हे0 है सुधारोपरान्त मत्स्य पालन के उपयोग में लाये जानें योग्य पाये गये । मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है । जनपद में लगभग 48000 मछुआ समुदाय के व्यक्ति रह रहे हैं । जिनको संगठित करके नदियों तथा तालावों के पट्टे दिये जा रहे हैं । अब तक 694 तालावों का, जिनका क्षेत्रफल 399-63 हे0 है, पात्र व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे दिलाये गये हैं ।

8-07 यमुना नदी के आसपास जलस्तर बहुत ही नीचा हैं । वहाँपर व्यक्तिगत नलकूप लगाना सम्भाव नहीं है । राजकीय नलकूप लगाये जा रहे हैं । तथा सिंचित क्षेत्र बढाये जानें के प्रयास जारी हैं । गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र तथा द्वाबा का क्षेत्र जहाँ पर जलस्तर सामान्य है, व्यक्तिगत नलकूप अधिक से अधिक लगाये गये हैं और लगाये जा रहे हैं । विगत वर्षों में इस ओर विशेष कार्य हुआ है ।

हैं । पाण्डु गंगा में तथा ससुरखदेरी यमुना में जाकर मिलती हैं । गंगा तथा यमुना

वन

=====00=====

8-08 वन देश की बहुमूल्य सम्पत्ति है। वनों से हमें अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। आवास, कृषि यन्त्रों के निर्माण हेतु काष्ठ, ईंधन, पशुओं के लिये चारा एवं घरेलू आवश्यकताओं के लिये लकड़ी, जड़ी बूटियाँ गोंद आदि के अतिरिक्त अनेक उद्योगों जैसे कागज, तारपीन, दियासलाई, कत्था, प्लाईवुड, खेलकूद का सामान आदि हेतु कच्चा माल प्राप्त होता है। जल एवं भूमि संरक्षण कार्य में भी वनों की भूमिका अनुपम है। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में वनों का बहुत अधिक महत्व है। वर्ष 1983-84 के आँकड़ों के आधार पर वन क्षेत्र जनपद में 4864 हे0है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का मात्र 1-2 प्रतिशत है। वनीकरण के विकास की ओर शासन की नीति के आधार पर विशेष प्रयास वन, उद्यान तथा विकास विभाग के माध्यम से तीव्र गति से कराया जा रहा है जिससे जनपद की आर्थिक एवं पर्यावरण संतुलन न बिगड़ने पाये।

8-09 वनों की लकड़ी से इमारती सामान बनाया जाता है तथा पत्ती से कागज एवं बीडी उद्योग चलाये जाते हैं। जंगलों में जंगली जानवर जैसे भौंसे, हिरन, नीलगाय, लोमड़ी, खरगोश तथा सियार आदि रहते हैं। जिनका महत्व आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विशेष है।

खनिज पदार्थ

=========000======

8-10 इस जनपद में कोई उल्लेखनीय खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है यदाकदा छुटपुट यमुना के निकटवर्ती क्षेत्रों में कंकड़ तथा रेत पाया जाता है। जिसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है।

पशुधन

8-11 जनपद के विकास तथा समृद्धि में पशुधन का विशेष महत्व है। पशुधन का उपयोग शक्ति, दूध उत्पादन, चर्बी, खाल हड्डी, खाद्य पदार्थ इत्यादि के रूप में किया जाता है। भारत वर्ष में पशु शक्ति का बहुत ही सराहनीय एवं अविस्मरणीय योगदान है। पशुओं का उपयोग कृषि, यातायात तथा सामान ढोने में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों तथा भैंसों से मुख्यत: कृषि कार्य किया जाता है। वर्ष 1982 की पशुगणना के अनुसार जनपद में 3 वर्ष से अधिक के बैल 51599 तथा भैंसा 16202 हैं। इसके अतिरिक्त 3वर्ष से अधिक की गायें 24644, भैंसें 38453, भेड़ें 24397, बकरा तथा बकरियाँ 50966, घोड़े 873 तथा देशी सुअर 18170 हैं।

8-12 श्वेत क्रान्ति लानें के लिये पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जा रहा है। पशुधन से दूध तथा मक्खन का उत्पादन होता है, जो जनपद के लिये पौष्टिक पदार्थ की उपलब्धता के साथ साथ अनेकों परिवारों की जीविका का साधन होता है। शासन इसके विकास हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। इनमें मुख्य रूप से गायें, भैसें, तथा भेड़ बकरियाँ आती है।

8-13 खाद्य पदार्थों के रूप में भी इनका उपयोग निरन्तर बढ रहा है। प्रायः सभी पशुओं का माँस खानें के उपयोग में लाया जाता है। माँस में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता अधिक पाई जाती है। माँस के रूप में उपयोग से पौष्टिक तत्व के साथ साथ आहार का एक वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध होता है। जिससे कृषि उपज के उपयोग पर किसी सीमा तक दबाव कम होता है। इसके व्यवसाय से भी कुछ लोग जीवका उपार्जन करते हैं।

8-14 पशुओं के साथ 2 कुक्कुट का भी बहुत बड़ा स्थान है। इनसे भी पौष्टिक आहार मिलता है। इनके माँस एवं अण्डों का खाद्य के रूप में प्रयोग होता है। कुक्कुट पालन का कार्य व्यवसाय के रूप में किया जाता है, तथा बहुत से परिवारों का जीविकोपार्जन का साधन है। जनपद में 28813 कुक्कुट हैं, इनके विकास की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

8-15- पशुओं से चर्वी का उत्पादन होता है इसका उपयोग खाद्य तथा अन्य कार्यों के लिये किया जाता है।

8-16 पशुधन इतना उपयोगी है कि अपनें जीवन काल में पूर्ण उपयोगिता देनें के साथ ~~xxxx~~ मृत्यु के बाद उसके शरीर के सभी अंगों का उपयोग किसी न किसी कार्य में किया जाता है। माँस, बाल, हड्डी, खाल तथा ताँतें आदि का उपयोग किया जाता है। खाल का उपयोग जूता, अटैची, बैग तथा अनेक प्रकार से किया जाता है। ग्रामीण अंचलों में पक्के चमड़े से जूता बनानें में अनेक लोग कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में पक्के चमड़े से जूतों के साथ साथ अनेक प्रकार के सामान तैयार किये जाते हैं। हड्डी तथा आँत, ताँत, बाल तथा सींग पूँछ खुट इत्यादि का उपयोग अनेक वस्तुओं के निर्माण के लिये किया जाता है।

मत्स्य

=====00=====

8-17 वर्तमान समय में देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म निर्भर हो चुका है। परन्तु अभी पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता आवश्यकता से बहुत कम है। अतः भूमि पर आधारित पौष्टिक तत्व जैसे दूध, अण्डा, मांस के अतिरिक्त मछली जो कि तालाबों, पोखरों एवं नदियों तथा झीलों से उत्पादित की जा सकती है, के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे एक ओर बेकार पड़े तालाबों इत्यादि का उपयोग हो सके तथा दूसरी ओर पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता जनपद में बढ़ सके। उपरोक्त के अतिरिक्त गांवों में मत्स्य पालन का कार्य का महत्व रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी है, क्योंकि इस कार्य हेतु कम पूँजी की आवश्यकता होती है। तथा साथ ही एक सहायक धन्धे के रूप में सरलता से अपनाया जा सकता है।

जनपद में मत्स्य विकास की प्रचुर सम्भावना है जनपद में गंगा, यमुना, तथा उनकी सहायक पाण्डु तथा ससुर खादेरी नदियां हैं। जो सतत प्रवाह शील हैं, इनमें स्वतः प्राकृतिक रूप से मत्स्य उत्पादन होता है।

इसके अतिरिक्त जनपद में उपलब्ध तालाबों में मत्स्य विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके विकास की और सम्भावना है जो तालाब इस कार्य के लिये उपयुक्त नहीं हैं, उन्हे विकसित किया जा रहा है।

गत वर्ष जनपद में प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना हो जाने से मत्स्य पालकों को तालाब सुधार तथा मत्स्य पालन हेतु बैंकों से ऋण तथा विभाग द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। मत्स्य पालकों को तथा पट्टाधारकों को मत्स्य पालन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तथा प्रशिक्षणार्थियों को रु0-9-00 प्रतिदिन की दर से प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है।

अध्याय-9

दीर्घ कालीन विकास की रूपरेखा

==========000==========

9-01 नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत दीर्घ-कालीन परिपेक्ष्य में एक निर्धारित अल्प-कालीन अवधि के भीतर आर्थिक विकास की दर को तीव्र करनें, समान एवं सन्तुलित वितरण सुनिश्चित करनें तथा प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है । दीर्घ-कालीन परिपेक्ष्य के अभाव में तत्काल निर्णय भी विश्वास एवं दृढता पूर्वक नहीं लिये जा सकते हैं। दीर्घ कालीन परिपेक्ष्य से अर्थ व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों को अन्तर्क्षेत्रीय निर्भरिता का पता चलता है तथा विकास दर एवं व्यवस्था को प्राप्त करनें में आनें वाली बाधाओं एवं अवरोधों का अभिज्ञान होता है । इससे उस ढाँचें की भी जानकारी होती है जिसे ध्यान में रखते हुये सीमित साधनों को विभिन्न सेक्टरों के बीच उपयुक्त ढंग से आवंटित करनें के लिये सामाजिक एवं उचित निर्णय लेनें में सहायता मिलती है ।

9-02 इस अध्याय में 1980-90 दशक के लिये विकास के दीर्घकालीन परिपेक्ष्य का सामान्य ढाँचा प्रस्तुत करनें का प्रयास किया जा रहा है । इस दीर्घ कालीन अवधि को दो पंचवर्षीय योजनाओं में 1980-85 तथा 1985-90 में बाँटा गया है । दीर्घ-कालीन विकास का ढाँचा तैयार करनें में विकास जन्य कठिनाइयों, अवरोधों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है । जिससे अधिकाधिक वास्तविकता लाई जा सके । ऐसा करते समय वर्तमान संस्थागत ढाँचे को भी दृष्टिगत रखा गया है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक व्यवस्था में नियोजन प्रणाली कार्य करती है। अर्थ व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं अब तक जिस प्रकार से नियोजनप्रक्रिया के प्रारम्भ से अर्थ व्यवस्था विकसित हुई है एवं जिस प्रकार की प्रकिया भविष्य में अपनाई जाती है उसे वर्तमान अभ्यास का प्रारम्भ बिन्दु माना गया है ।

विकास दर की विगत प्रवृत्तियाँ

==========000=======000=======

9-03 नियोजन प्रक्रिया के लागू होने से जनपद ने विकास में प्रगति की है किन्तु विकास का फल ग्रामीण अँचल एवं गरीबों को अपेक्षित सीमा तक नहीं प्राप्त हो सका है । ग्रामीण तथा नगरीय अंचलों में विभिन्न आय वर्ग के लोगों में वाँछित कमी नहीं हो सकी है । विषमता की खाई नहीं पट सकी है।

अब भी कृषि पर ही भार बढ़ता जा रहा है । परम्परागत कुटीर उद्योग धन्धों का [illegible] निरन्तर ह्रास हो रहा है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ है । प्रदेश में औद्योगिकरण सभी जनपदों में नहीं हो सका है । प्रदेश के कुछ ही जनपदों तक सीमित रह गया है । इस जनपद का दुर्भाग्य है कि जनपद का औद्योगिक विकास नगण्य है जो कुछ थोड़ा बहुत विकास हुआ भी है वह नगरीय क्षेत्रों में ही सीमित है । फलस्वरूप ग्रामीण जनता नगरों की ओर तीव्रता से बढ़ रही है , तथा नगरों में आवास समस्या जटिल होती जा रही है।

9-04 रोजगार की पू र्ति में कौशल एवं प्राविधिक ज्ञान के अर्जन क्षेत्र में विकास नहीं हो सका है । सहायक उद्योग नहीं पनप सके, परम्परागत कुटीर धन्धे विकसित न होकर मात्र जीवकोपार्जन करनें के लिये चल रहे हैं । समाज की आवश्यकता के अनुरूप उनमें विविधता तथा गुणवत्ता नहीं पनप सकी ।

9-05 ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, विद्युत उपभोग , चिकित्सा एवं स्वच्छ पेयजल, यातायात संचार परिवहन , भण्डारण, बैंकिंग सुविधायें एवं कृषि निवेशों की सुगम गन्तव्य स्थल पर उपलब्धता समन्वित एवं सन्तुलित रूप से नहीं हो सकी । अवस्थापना सुविधायें नियोजन का परिणाम न होकर प्रभाव के परिणाम स्वरूप विकसित हुई । विषमता निरन्तर बढ़ती गई । विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को नहीं सुलभ हो सका , वरन् सम्पन्न लोगों तक ही सीमित रहकर रह गया । विगत कई वर्षों से गरीबी रेखा के नीचे जीवनोपार्जन करने वाले परिवारों के लिये कुछ योजनायें दी जा रही है किन्तु उन्हे यह लाभ उस दर से नहीं प्राप्त हो रहा है जिस दर से उपलब्ध होनी चाहिये ।

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकास के उद्देश्य

1- अर्थ व्यवस्था की विकास दर में महत्वपूर्ण वृद्धि ।

2- गरीबी बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय विषमताओं में उत्तरोत्तर कमी लाना ।

9-6 उक्त [illegible] उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश की योजनायें एवं रणनीतियाँ तैयार की गई है। राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य को साकार रूप प्रदान करनें के लिये उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य की अर्थ व्यवस्था के विकास दर अधिक बल देना ही होगा । इस पृष्ठभूमि में वर्ष 1980-90 के दशक हेतु प्रदेशीय दीर्घकालीन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं ।

1- सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनपद के वस्तु उत्पादन खण्डों से प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर करना ।

2- सबसे गरीब श्रेणी के लोगों के रहन सहन के स्तर एवं कल्याण में उल्लेखनीय प्रगति लाना ।

3- बेरोजगारी को दूर करना तथा अर्द्ध बेरोजगारी में विशेष कमी लाना तथा क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करना ।

9-07 इन राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाओं के उद्देश्य एवं रणनीति के अनुसार जनपद की योजना एवं रणनीति तैयार करनी होगी । यह जनपद मण्डल एवं प्रदेश के विकास के स्तर से निरन्तर गिरावट का शिकार रहा है । यहाँ की परिस्थितियाँ एवं संसाधनों का अभाव एवं विभिन्न प्रकार के अवरोधों के कारण प्रगति की गति में तीव्रता लाना सम्भव नहीं हो सका । किन्तु जब प्रदेश को राष्ट्रीय विकास की धारा के अनुरूप ढालना है तो जनपद के विकास का स्तर प्रदेश के स्तर के समरूप करना ही होगा । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जनपदीय दीर्घकालीन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं।

1- सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनपद के वस्तु उत्पादन क्षेत्र से प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादन को बढाकर प्रदेश के स्तर के बराबर करना ।

2- औद्योगिक विकास की गति में विशेष तीव्रता कर, कृषि पर भार को कम करना तथा कृषि उत्पादन प्रति हे0 को बढाकर मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रति हे0 करना एवं अनार्थिक जोतों में उत्पादन क्षेत्र को बढाकर आर्थिक जोतों में परिवर्तन करना ।

3- लघु एवं कुटीर उद्योगों को और विकसित करना ।

4- अन्तर विकास खण्डीय विषमताओं में कमी करना ।

5- बेरोजगारी अर्द्ध बेरोजगारी तथा बेगारी में विशेष कमी करना।

6- सबसे गरीब लोगों के रहन सहन के स्तर एवं कल्याण में उल्लेखनीय वृद्धि करना ।

7- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम सुविधायें निर्धारित समय में उपलब्ध कराना ।

8- ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराना ।

9- ग्रामीण विकास केन्द्रों का अभिज्ञान कर उनके संतुलित एवं एकीकृत विकास को तीव्र करना ।

वर्ष 1990 तक के लक्ष्यों का निर्धारण

9.8 जनपद के लिये आगामी पाँच वर्षों में विभिन्न सेक्टरों में लक्ष्यों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना होगा कि मण्डल तथा प्रदेश स्तर के लिये वर्तमान विकास की गतियें विशेष तीव्रता लाई जावे । इस कार्य में वर्तमान संसाधन अवस्थापनों, सुविधाओं तथा अवरोधों को ध्यान में रखना होगा ।

9.9 जनपद प्रति हे0 शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के सकल मूल्यों में प्रदेश एवं मण्डल स्तर के सूचकों में बहुत कम है इसे प्राप्त करने के लिये सिंचाई के साधन प्रति हे0 उर्वरक का उपयोग सधन कृषि एवं उन्नतिशील प्रजातियों के प्रयोग को बढाना होगा । जिनमें सिंचाई साधनों को बढाना मुख्य है ।

9.10 उद्योग धन्धों का जनपद में नितान्त अभाव है । तथा 76.38 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है । कृषि पर कम भार करना तथा उद्योगों पर अधिक भार होना प्रगति का द्योतक है। जनपद में गिने चुने छोटे 2 ही कोई बड़ा उद्योग नहीं है । अभी कुछ वर्ष पूर्व सहकारी कताई मिल की स्थापना का शिलान्यास हुआ है । बिन्दकी में एक चेक साबुन उद्योग स्थापित हुआ है । अगले पाँच वर्षों में इस सेक्टर में लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार करना होगा कि कृषि पर भार कम से कम 15 प्रतिशत कम हो जाये ।

9.11 इस जनपद में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग कि0वाट घन्टा वर्ष 85-86 में 40.95 प्रतिशत रहा है । इसे राज्य स्तर के बराबर करना होगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इस सेक्टर के लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा ।

रोजगार सृजन

9.12 जनपद में बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी अधिक है । जनपद की 91 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है । कुल कर्मकरों का 76प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आधारित है, तथा 79 प्रतिशत क्षेत्र 5 हे0 के नीचे वाली जोतों में आता है जिनमें 97 प्रतिशत जोतेआती है तथा 3 प्रतिशत जोतों में 21 प्रतिशत क्षेत्र आता है । इससे स्पष्ट होता है कि इन छोटी जोतों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति या तो बेरोजगार है अथवा अर्द्ध बेरोजगार है, इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर वृद्धोत्तरी होती जा रही है । फलस्वरूप इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने होगें जिससे रोजगार के साधन सुलभ हो तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में विशेष कमी आवे ।

गरीबी को कम करना

======00=====00=====

9-13 प्रति व्यक्ति आय की असमानता को कम करनें के साथ साथ गारीबी को कम करनें का एक मूलभूत उद्देश्य दीर्घ कालीन विकास का है । फल स्वरूप सर्वेक्षित करके यह जानकारी करना होगा कि कौन परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तदोपरान्त उनकी क्षमता एवं इच्छा के अनुसार उन्हे ऐसे रोजगार उपलब्ध कराये जायें जिससे धनोपार्जन कर वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें । प्रदेश के 96प्रतिशत लक्ष्य को इस पंचवर्षीय अवश्य प्राप्त कर लिया जावेगा ।

बन्धुआ श्रमिक उन्मूलन

9-14 ========000======000=======

इस जनपद में यह कुप्रथा नगण्य के समान है जहाँ इस प्रकार के श्रमिक दृष्टिगत हो रहे हैं उन्हे मुक्त कराकर तथा रोजगार सुलभ कराकर पुर्नवासन की व्यवस्था करनी होगी इस ओर कार्य प्रारम्भ हो गया है। सम्भवत: इस प्रथा का समूल अन्त हो चुका है ।

अवस्थापना सुविधा

==========000========

9-15 इस जनपद में इन सुविधाओं का स्तर भी मण्डल एवं राज्य स्तर से काफी न्यूनहै । शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, संचार , परिवहन, विद्युत, स्वच्छ पेयजल इत्यादि के लक्ष्यों का निर्धारण करते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी न्यूनतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत आते हैं । उनकी उपलब्धता केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं अवधि के अर्न्तगत हो सके । यद्यपि वित्तीय साधनों की कमी से यह सम्भव नहीं प्रतीत हो रहा है । इस दिशामें केन्द्रीय तथा प्रदेशिक शासन को दृढ धारणा एवं दूर दृष्टि से देखना होगा ।

9-16 वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनाई गई रणनीति का सतत मूल्यांकन करना होगा जिससे किसी स्तर पर उत्पन्न अवरोधों को दूर किया जा सके एवं निर्धारित रणनीति के समय के अर्न्तगत कार्यान्वित कराया जा सके ।

अध्याय-10

जिला योजना की पूर्णतायें

!===========000=======000=====

10-1 आर्थिक विकास उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग तथा संतुलित समाज के निर्माण के लिये नियोजन प्रक्रिया एक अपरिहार्य माध्यम है। देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये वर्ष 1951-52 में प्रथम पंचवर्षीय योजना (51-52 से 55-56) प्रारम्भ की गई जिसका उद्देश्य युद्ध, अकाल तथा विभाजन से अस्त व्यस्त अर्थ व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना, तथा ऐसी नीतियाँ निर्धारित करना था, जिससे अर्थ व्यवस्था भावी विकास का आधार उपलब्ध कर सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष (56-57 से 60-61) का उद्देश्य इस प्रक्रिया को आगे बढ़ानें तथा विकास की गति में तीव्रता लाना था। इसमें मूलभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना (61-62 से 65-66) में आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं को कम करनें तथा विकास में आत्म निर्भरता प्राप्त करनें तथा स्वचालित अर्थ व्यवस्था स्थापित करनें का लक्ष्य रखा गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69-70 से 73-74) में खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करनें तथा रोजगार को अधिकतम साधनों को सृजित करनें, पिछड़े क्षेत्रों और अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करनें का प्रयास किया गया। पाँचवी पंचवर्षीय योजना वर्ष (1980 से 1987-88) में प्रत्येक वार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना, सामाजिक तथा क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करना, मूल्यों को स्थिर रखकर आत्म निर्भरता प्राप्त करना है।

10-2 अर्थ व्यवस्था की तीव्रतर प्रगति एवं राष्ट्र के समस्त नागरिकों को सुविधा सम्पन्न जीवन यापन करनें का अवसर प्रदान करनें के लिये नियोजित प्रयास राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करनें के लिये बहुत से प्रयत्न किये गये एवं प्रति व्यक्ति आय तथा सामाजिक उपभोक्ता के स्तर को बढ़ाने के लिये अधिक विनियोजन किया गया। किन्तु वाँछित उद्देश्यों की समुचित प्राप्ति नहीं हो सकी।

10-3 यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न कारणों से इन पंचवर्षीय योजना में वास्तविक वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही कम रही है। विवरण निम्नवत् है।

योजना	वृद्धिकालक्ष्य प्रति0		वास्तविकवृद्धिदर प्रति0	
	भारत	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0
1	2	3	4	5
1-प्रथम पंचवर्षीय योजना	-	-	3-0	1-9
2-द्वितीय पंचवर्षीय योजना	-	-	3-7	1-8
3-तृतीय पंचवर्षीय योजना 5 से अधिक	-	-	3-2	- 1·8
4-तीन वर्षीय योजना	-	-	4-0	0-2
5-चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	5-5	5-6	3 5	2-6
6-पंचम पंचवर्षीय योजना	-	-	3-4	5-5

तालिका के आँकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश की वृद्धि दर का प्रतिशत राष्ट्र के वृद्धि दर प्रतिशत से बहुत ही कम है । छठी पंचवर्षीय योजना काल में विनियोजन संसाधनों, आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापना, सुविधाओं विगत योजनाओं की रणनीति तथा उद्देश्यों का आत्मावलोकन कर भारतीय योजना आयोग ने योजना के उद्देश्यों को निर्धारित किये थे । सातवीं पंचवर्षीय योजना के निर्देशक सिद्धान्त छठी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हैं । प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धि दर सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये हैं। मुख्य रूप से सप्तम योजना काउद्देश्य विकास दर की वृद्धि में साम्यता और सामाजिक न्याय, आत्म निर्भरता एवं उत्पादकता में सुधार है । इस योजना काल में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की गति तीव्र कर रोजगार तथा गरीबी निवारण को अधिकाधिक योजनाओं को कार्यान्वयन करना होगा । सप्तम योजना की प्रमुख रणनीति निम्न प्रकार होगी ।

1- आर्थिक वृद्धि दर संसाधनों के उपयोग तथा उन्नत उत्पादकता के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि ।

2- आर्थिक एवं प्रौद्योगिक आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये औद्योगिक तकनीकी का उच्चीकरण और नई तकनीकी का समावेश कर दक्षता, स्पर्धा और आधुनिकीकरण पर बल दिया जायेगा ।

3- गरीबी तथा बेरोजगारी के भार में प्रभावी कमी करने के लिये रोजगार वृद्धि तथा गरीबी निवारण की अधिकाधिक योजनायें प्रभावी ढंग से चलाई जायेंगी ।

4- कृषि विकास एवं खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने के लिये कृषि निवेशों की आपूर्ति तथा सिंचन क्षमता में अभिवृद्धि की जायेगी ।

5- भारतीय उर्जा के संसाधनों में तीव्र गति से विकास तथा वैकल्पिक उर्जा के संसाधनों में वृद्धि की जायेगी ।

6- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के जीवन में गुणात्मक सुधार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा करना तथा निर्धारित मानकों को पूरा किया जायेगा ।

7- आय तथा धन की असमानता कम करने के उद्देश्य से गरीबों के हित में सार्वजनिक नीतियों एवं सेवाओं के पुर्नवितरणके प्रोत्साहन को कम किया जायेगा ।

8- क्षेत्रीय असन्तुलन मेंतीव्र गति से कमी लाना ।

9- पर्यावरण तथा इकोलाजिकल्स सम्पत्तियों को प्रोत्साहित करना एवं रक्षा करना ।

10- शिक्षा सुधार, जनस्वास्थ्य उर्वरता नियंत्रण शुद्ध पेयजल व्यवस्था स्वच्छता तथा आवास के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये जायेगें ।

प्रदेश की रणनीति भी राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप निर्धारित की जा रही है ।परन्तु इस योजना काल मे राष्ट्रीय वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिये अधिकाधिक पूर्व नियोजन अनुशासन एवं कठिन परिश्रम पर बल दिया जायेगा ।

जनपद की योजना के मूलभूत उद्देश्य एवं रणनीति

==========000==========000==========

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाओं के निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप जनपद के संसाधनों एवं वर्तमान विशमताओं को ध्यान में रखकर निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं ।

1- सामाजिक न्याय के आधार पर जनपद के विकास की नीति निर्धारित की गई है।जिससे समाज के कमजोर वर्ग एवं क्षेत्रों का समुचित विकास हो सके ।जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों, परिवारों को रोजगार उपलब्ध हो सके ।स्वत: रोजगार प्रदान करनातथा पिछड़े क्षेत्र के विकास का विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

2- स्थानीय संसाधनों, भौतिक भूमि, वन, जल, खनिज, क्षेत्रों में सर्वोत्तम विकास किया जायेगा ।इससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि होगी ।

3- भूमि, पशुधन लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी ।उन्नतिशील बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि निवेशों को समय से उपलब्ध कराया जायेगा ।लघु एवं सीमान्त कृषक

को वित्तीय सहायता अनुदान देकर उनके उत्पादन को बढाया जायेगा ।उन्नति शील पशु क्रय कराये जायेगें तथा पशुओं की नस्ल सुधारी जायेगी, जिससे पशु उत्पादन में वृद्धि हो सके ।इससे भी निर्बल वर्ग के लोगों को अनुदान सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ।लघु कुटीर उद्योगों की उत्पादकता बढानें के क्रम में उन्हे प्रशिक्षित किया जायेगा एवं कच्चा माल हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करायी जायेगी ।

4- राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें अ-प्राथमिक शिक्षा ब- प्रौढ शिक्षा स-ग्रामीण स्वास्थ्य द-पेयजल य-ग्रामीण सडकें 2-ग्रामीण विद्युतीकरण अ-निर्बल वर्ग आवास क-पर्यावरण सुधार स-पौष्टिक आहार सम्मिलित है, इसकी पूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित मानक के आधार पर प्रदेश के निर्देशों द्वारा समय सीमा के अन्दर उपलब्ध करानें के प्रयास किये जायेगें ।

5- शिक्षा संस्थाओं , अस्पतालों, सडकों विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र , व्यवसायिक बैंक , सहकारी बैंक समितियों की स्थापना इस प्रकार की जायेगी जिससे जनपद की योजना की पूर्ति में अधिकतम लाभ मिल सके ।

6- उपलब्ध अवस्थापनाओं /संस्थाओं का पुनर्गठन गरीबी के अनुरूप किया जायेगा , जिससे इनका लाभ गरीब लोगों को अधिक से अधिक मिल सके तथा उनके हितो की अधिक से अधिक रक्षा हो सके ।

7- भूमिहीन तथा छोटे कृषकों को रोजगार उपलब्ध करानें के लिये रोजगार मूलक योजनाओं का सृजन किया जायेगा ।राष्ट्रीय रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जायेगें । लघु/सीमान्त कृषकों को कृषि पशुपालन तथा कुटीर उद्योग के लिये वित्तीय सहायता तथा अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

8- स्वत: रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध भूमिहीन दलित वर्ग को प्रशिक्षित करा कर दिये जायेगें ।

9- सिंचाई सुविधा के अभाव, भूमि के कटाव इत्यादि के प्राकृतिक असन्तुलन को कम करनें का पूर्ण प्रयास किया जायेगा ।

10- जनपदीय एवं अन्तर विकास खण्डीय विषमताओं को कम करनें की दिशा में ठोस कदम उठाये जायेगें ।

11- बन्धुआ श्रमिकों को अवमुक्त कराकर उनके पुनर्वासन की व्यवस्था की जायेगी तथा न्यूनतम करों के भुगतान का अनुपालन करानें का पूर्ण प्रयास किया जायेगा ।

अध्याय-11

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

==========000==========000========

11-01 राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारम्भ पाँचवी पंचवर्षीय योजना से किया गया था। जीवन के सर्वोन्मुखी, ग्रामीण क्षेत्रों में सन्तुलित तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करनें तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करनें के लिये विकास केन्द्र की स्थापना कर अवस्थापना सुविधा उपलब्ध करानें हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण तथा ठोस कदम है। छठी पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुये लोगों के रहन-सहन के स्तर में उत्थान करना और इस वर्ग की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के अभिन्न अंग के रूप में की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों को सामाजिक उपयोग के न्यूनतम स्तर को प्राप्त ... करानें में सहायता प्रदान करना है। जिससे कुछ निश्चित सुविधाओं के लिये विषमता को दूर की जा सके।

11-02 छठी पंचवर्षीय योजना में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया था। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करनें के लिये संकल्प रूप में लिया जा रहा है। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार देश के सभी ग्रामों में सामाजिक उपयोग के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करनें के लिये कुछ आवश्यक सुविधाओं का जाल बिछाया गया है। इसके अन्तर्गत 1-प्रा0शिक्षा 2-प्रौढ शिक्षा 3-ग्रामीण स्वास्थ्य 4-ग्रामीण सडकें 5-पेयजल 6-ग्रामीण विद्युतीकरण 7-निर्बल वर्ग आवास 8-पर्यावरण सुधार 9-पौष्टिक आहार आदि कार्यक्रम आते हैं।

11-03 राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिये इस प्रकार राष्ट्रीय नीति के अनुसार किये गये हैं, जिन्हें प्राप्त करना है।

मद	लक्ष्य	1986का लक्ष्य
1-प्रारम्भिकशिक्षा	6-14आयु वर्ग के बच्चोंको शत प्रतिशत कक्षाप्रवेश साथ ही"नानफार्मलशिक्षा	6-11 वर्ष का 95प्रतिशतकक्षा प्रवेश 50प्रति0 11-14वर्षका कक्षा प्रवेश।साथ ही नान-फार्मल शिक्षा कोई लक्ष्यनिर्धारित नहीं है।
	15-35 वर्ष का शत प्रतिशत 1990तक नानफार्मल शिक्षा के माध्यम से आच्छादन	
2-ग्रामीण स्वास्थ्य	1-1990 तक प्रति गाँव या प्रति 1000 आवादी पर एककम्यूनिटी स्वास्थ्य एवं सेवक	1-4 लाख कम्यूनिटीहेल्थ स्वयं सेवकों की सं0जो 1-4-80 को थी, को बढ़ाकर 3-60 लाख करना।
	2-मैदानी इलाके में 5000जनसंख्या पर तथा पर्वतीय एवं जनजाति इलाके में 3000जनसंख्या पर एक सवसेन्टरकीस्थापना 2000 ई0 तक	सवसेन्टरों के संख्या 50,000से 90000 अथवा 75 प्रति0वृद्धि।
	3-30,000की मैदानी जनसंख्या 20,000 कीपर्वतीय व जन जाति कीसंख्यापर एक पी0एच0सी0 2000ई0 तक	5400 पी0एच0सी0एवं1000 सवसेन्टरों में 600अतिरिक्त पी0एच0सी0तथा1000 सव सेन्टर कीस्थापनाजिससे 45 प्रतिशत जनसंख्याआच्छादित हो सके।
	4-2000ई0 तक प्रति एकलाख जनसंख्या पर या प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक सामुदायिक स्वा0 केन्द्र की स्थापना	174 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।साथही 340 उन्नतियों(पी0एच0सी0 का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तन
3-ग्रामीणजलपूर्ति	-	केवल पर्वतीय एवं रेगिस्तानीग्रामों को छोडकर अन्य समस्त जलाभाव ग्रस्त ग्रामों जलपूर्ति।
4-ग्रामीण सडकें	सन1990तक 1500 से ऊपरके ग्रामों को लिंकरोड से जोड़कर तथा 50प्रतिशतऐसे ग्रामों को भीजोडना जो 1000-1500की आवादी के हैं।	भी-50प्रतिशत तक लक्ष्य पूर्ति अर्थात 20,000नये ग्रामों को -लिंक रोड से जोडना।
5-ग्रामीण विद्धुतीकरण	प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के 60प्रतिशतग्रामों का 1990तक विद्धुतीकरण	-40 प्रतिशत ग्रामों काविद्धुतीकरण जिनसे लक्ष्य पूर्ति हो सके अर्थात 46464 ग्रामों का विद्धुतीकरण।

मद	लक्ष्य	1986 तक का लक्ष्य
6-ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों की आवास सुविधा	1990 तक सभी भूमिहीन मजदूरों को आवास सुविधा का सुविधा के अन्दर मकान बनानें की सामाग्री पीनें के पानी की सुविधा तथा जल निकास, सडक शामिल है ।	शेष परिवारों को आवास स्थल का आवंटन तथा 25 प्रतिशत तक अर्हपरिवारों को मकान निर्माण में सहायता
7-शहरी गन्दीबस्तियों की वातावरण स्वच्छता	1990 तक शत प्रतिशत शहरी-गन्दी बस्तियों का आच्छादन, इसके अधीन जलपूर्ति, मलागम, बरसाती गलियों तथा सडकों को पक्का करना। सामुदायिक पाखानों को पक्का करना इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विशेषकर भंगियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।	40 प्रतिशत गन्दी बस्तियों की जनसंख्या अर्थात एक करोड या गन्दी बस्ती जनसंख्या का सुविधाओं से आच्छादन
8-पुष्टाहार	-	विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम 600 आई0सी0डी0एस0 ब्लाक के 50 लाख बच्चों तथा 5 लाख महिलाओं को समन्वित स्वा0 सेवाओं की उपलब्धि जिसमें भोजन, स्वास्थ्य कल्याण सम्मिलित है। मिडडे मिल-1 करोड 74 लाख लाभार्थी बच्चों का मिड डे मिल कार्यक्रम चलता रहेगा तथा इस कार्यक्रम को अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ समन्वय कर दियाजायेगा

प्राथमिक शिक्षा

==========000========

11-94 सामाजिक जाग्रति, आधुनिक विचारों से अवगत करानें, जीवन स्तर में सुधार लानें, भौतिक विकास एवं जनसमुदायों हेतु तीव्र आर्थिक विकास का वातावरण तैयार करनें के लिये शिक्षा एक आवश्यक सामाजिक निवेश है। कुछ सुविधाओं को न्यूनतम स्तर तक प्रदान करनें हेतु शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लानें हेतु प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में अन्तर जनपदीय विषमताओं को कम किया जा सकता है। कक्षा में शत प्रतिशत प्रवेश एवं विद्यालयों में बच्चों की कक्षा छोडनें की प्रवृत्ति को समाप्त करनें सम्बन्धी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के दूसरे स्तर पर विचार नहीं हो सका। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्ति निःशुल्क एवं दोपहर का भोजन जैसी सुविधा जो कि

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं समाज के अन्य निर्बल वर्ग के आय के समूह को पंचम पंचवर्षीय योजना में प्रदान की गई थी के द्वारा भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी । तदानुसार कारणों की विवेचना की गई एवं प्रस्ताव रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये जो रणनीति सातवीं पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई है, इसका विवरण निम्न प्रकार है ।

1- मैदानी क्षेत्र में 1-5 कि0मी0 तथा पहाडी क्षेत्र में 1 कि0मी0 की दूरी तक जिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय का अभाव है वहाँ पर प्राथमिक पाठशालायें खोलकर 6-11 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना तथा 800 जनसंख्या वाले सभी ग्रामों में 3 कि0मी0 की परिधि में सी0वे0स्कूल खोला जाना ।

2- 6-11 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं 11-14 वर्ष के आयुवर्ग में 50 प्रतिशत का . .. सार्वभौमिक प्रवेश ।

3- निशुल्क पाठय पुस्तके, यूनीफार्म, छात्रवृत्ति एवं स्टाइपेन्ड का प्राविधान करके निरन्तर हाजरी को सुनिश्चित करना । निर्बल वर्ग के बच्चों के लिये मध्यान्ह-काल के भोजन की व्यवस्था करना ।

इन वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस जनपद की योजना सीमित धन के आधार पर तैयार की गई है ।

प्रौढ़ शिक्षा

========000======

11-05 प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ-साथ अ अशिक्षित प्रौढ लोगों की क्षमता का विकास आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास में क्रियात्मक योग देने हेतु प्रौढ शिक्षा की आवश्यकता है । जनपद में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम दो स्तर से चल रहे है । 14वर्ष के बच्चे को जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जाते है । उन्हे शिक्षा विभाग द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाती है । इसमें विद्यालय अध्यापको को रात्रि मे कक्षा लगानें के लिये पारिश्रमिक दिया जा रहा है । दूसरे स्तर से राज्य के संसाधनों से प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के 300 केन्द्र विकास खण्ड मलवाँ तथा खागुहा में चलाये जा रहे हैं । इसी प्रकार भारत सरकार के संसाधन से भी अतिरिक्त 300 प्रौढ शिक्षा केन्द्र वर्ष 85-86 में विकास खण्ड ऐरायां में प्रारम्भ किये गये है ।

ग्रामीण सड़कें

=========000=====

11-06 वित्तीय साधन सीमित होनें के कारण सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिये प्रस्तावित परिव्यय कम है । धनाभाव के कारण इस कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ रहा है । फलस्वरूप बहुत से ग्राम सड़कों से सम्बद्ध न होने के कारण आवागमन एवं संचार सुविधाओ से वंचित है एवं क्षेत्रीय विषमता है, इससे जनअसंतोष के साथ-साथ प्रगति में भी विशेष अवरोध उत्पन्न हो रहा है तथा विकास की गति में तीव्रता नहीं आ रही है ।

वर्णित कमी को दूर करनें के लिये छठी योजना काल के अन्त तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर सात प्रतिशत 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से सम्बद्ध करनें तथा 1000-1500 आबादी वाले 50 प्रतिशत ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोडनें का प्रस्ताव है । इन मार्गों में आवश्यकतानुसार पुल/पुलिया निर्मित करानें के लक्ष्य है ।

शासन की नीति के अनुसार सर्व प्रथम पंचम एवं छठीपंचवर्षीय योजना काल के अपूर्ण अधूरे कार्यों को पूरा किया जावेगा । साथ ही साथ अधिक आवागमन के कारण जो ग्रामीण मार्ग खराब हो गये हैं । उन्हे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है । इस वर्ग लक्ष्यों को प्राप्त करनें की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

=========000=========

11-07 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना काल के अन्त तक 50प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत करना है । साथ ही साथ हरिजन बस्तियों एवं नलकूप/पम्पसेटों को विद्युतीकृत करना है । फलस्वरूप राज्य के निर्धारित लक्ष्य को यह जनवरी वर्ष 82-83 के अन्त में ही पूरा कर लिया है । उपलब्ध आँकडों के आधार पर मार्च, 86 तक 896 ग्रामों एवं 597 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया है । विद्युतीकृत ग्राम का कुल आवाद ग्रामों का प्रतिशत 66-42 है तथा 9605 पम्पसेटों / नलकूपों को मार्च, 86 तक उर्जीकृत किया जा चुका है । शत प्रतिशत की दिशा में प्रयास किया जा रहा है ।

ग्रामीण पेयजल

========00=====

11-08 वर्ष 1985-90 तक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करानें के लिये शासन की नीति के अनुसार ठोस कदम उठाये जा रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करानें के कार्यक्रम की न्यूनतम

आवश्यकता राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है । योजना काल में सभी प्रस्तावित ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा देनी है । इस कार्य को पूरा करनें के लिये वर्ष 82-83 से 9 ग्राम समूह पेयजल योजनायें चलाई जा रही है । इनसे 18 ग्रामों में पेयजल सुविधा 85-86 के अन्त तक पहुँचानें का लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पेयजल कूपों के निर्माण का पर्याप्त लक्ष्य रखा गया है । पूर्ण आशा की जाती है कि योजना काल के अन्त तक सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी । जो भी ग्राम शेष रह गये हैं तथा जिनमें सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें पूर्ण आच्छादन का प्रयास अतिरिक्त व्यवस्था कर इस योजना में किया जा रहा है ।

ग्रामीण स्वास्थ्य

==========000=======

11-09 छठी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक प्रत्येक 50हजार जन संख्या पर पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों एवं उपकरणों से सुसज्जित प्राथमिक स्वा केन्द्र तथा 5 हजार जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र खोलनें का प्रस्ताव है ।

स्थानीय लोगों की साधारण बीमारियों को ठीक करनें तथा प्रतिपोषाक सेवायें उपलब्ध करानें के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखानें का भी लक्ष्य है । प्रा0स्वा0 केन्द्र को 30शैयों वाले पूर्णरूपेण सुसज्जित अस्पताल में परिवर्तन करनें पर विशेष बल दिया गया है । उक्त वर्णित लक्ष्य को पूरा करनें के लिये विद्युत विभाग की कार्यक्षमता के आधार पर प्रत्येक वर्ष जिला योजना में उनकी माँग के अनुसार शत प्रतिशत धन प्रावधानित किया जा रहा है । जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर 13 प्रा0स्वा0केन्द्र चल रहे हैं । कोई नई प्राथमिक स्वा0केन्द्र खोलनें का लक्ष्य नहीं है । तहसील स्तरीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण एवं उनके उच्चीकरण करनें पर बल दिया जा रहा है ।

पर्यावरण सुधार

========000=======

11-10 मलिन बस्तीयों के पर्यावरण सुधार का कार्यक्रम चतुर्थ पंच वर्षीय योजनाकाल तक केन्द्र सेक्टर के अन्तर्गत था । तत्पश्चात इसे राज्य सेक्टर में स्थानान्तरित किया गया । राज्य की पाँच महानगरीय कानपुर इलाहाबाद वाराणसी आगरा लखनऊ एवं मेरठ एवं बरेली जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है । राज्य के प्रथम श्रेणी के 22 नगरों की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्ती में निवास करती हैं। इस जनपद में कोई मलिन बस्ती नहीं है । फलस्वरूप इस ओर कोई कार्य नहीं हो रहा

है । फिर भी वर्ष 86-87 के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये गृह निर्माण हेतु 377 आवास निर्मित कराने का लक्ष्य किया गया है ।

पौष्टिक आहार
=================

11-11 बच्चों में पौष्टिकता की कमी को मूल रूप से समाप्त करने की नितान्त आवश्यकता है । निर्बल वर्ग की गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं प्राथमिक स्कूल के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाय । इस वर्ग के लोगों को पौष्टिक आहार प्रदान करने की समस्या राज्य में अधिक जटिल है । उनका आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर काफी नीचा है ।

प्रदेश में पौष्टिक आहार की योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा एवं हरिजन कल्याण विभाग के माध्यम से चलाया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पूरक आहार कार्य में पुष्टाहार प्रदान करने का कार्यक्रम ग्रामीण अंचल में चलाया जाता है । शिक्षा विभाग ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ मलिन बस्ती के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करता है । राज्य के चुनें क्षेत्रों में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा पूरक योजना का कार्यक्रम एकीकृत विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में लिया गया है ।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा यह कार्यक्रम दो विकास खण्ड भिटौरा एवं बहुआ में चलाया जा रहा है । शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना 77 विद्यालयों में चल रही है । वहाँ पर प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर में पौष्टिक आहार निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई योजना इस जनपद में चल नहीं रही है । समन्वित बाल विकास योजना जो 5 विकास खण्ड ऐराया, हस्वा, धाता, विजईपुर एवं तेलियानी ~~के~~ के माध्यम से पौष्टिक आहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

ग्रामीण निर्धनों के लिये आवास
=============000==========000=====

11-12 निर्बल वर्ग की ग्रामीण जनता को आवासीय आवश्यकता जिसमें अनुसूचित जाति /जनजाति, भूमिहीन कृषक मजदूर एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं । उनकी आवासीय आवश्यकता पूरी की जायेगी । मार्च 86 तक 1382आवास ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्मित कराये गये हैं । जिसमें 1722 आवासअनुसूचित जाति के लोगों के हैं । मार्च 86 तक 40362 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये गये हैं । जिनमें 34441 आवास स्थल अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित

किये गये हैं । मार्च 86 तक इस जनपद में 3870 एकड भूमि आदि ग्रहित की गई जिसमें से 3050 एकड भूमि का आवंटन भूमिहीनों को किया गया । यह भूमि 5752 व्यक्तियों को दी गई जिसमें 4303 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं ।

अध्याय-12
पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम
=============000============

12-01 भारत में नियोजन का उद्देश्य प्रजातांत्रिक आधारों पर समाजवादी समाज का निर्माण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में नियोजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश की छठी योजना इस उद्देश्य से बड़ी ही महत्व पूर्ण रही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का यह महत्वपूर्ण प्रयत्न रहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की आर्थिक विषमता को यथासम्भव कम करके उनके लिये सामाजिक न्याय की सुव्यवस्था की जावे। इसी लिये ग्रामीण क्षेत्र की 23 प्रतिशत जनता के लिये यह प्रयत्न शुरू किये गये कि प्रकाश की किरणे नगरों तक सीमित न रहकर ग्रामीण अंचलों में भी पहुँचे किन्तु आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से प्रदेश का आपेक्षित विकास नहीं हो सका। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन्हें और व्यापक तथा सुदृढ़ आधार प्रदान करनें का प्रयास किया जारहा है। इस पिछड़े समुदाय के लिये अनेंक आर्थिक कार्यक्रम चलाये गये जो इस प्रकार है।

12-02 फतेहपुर जनपद इलाहाबाद तथा कानपुर दो महानगरों के मध्य बसा है। यह जनपद इस दिशा मे काफी पिछड़ा जनपद है। 1981 की जनगणना के अनुसार इस जनपद में 373086 लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं, जो कुल जनपद की जनसंख्या (1572421) का लगभग 23.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति/जनजाति का बाहुल्य विजईपुर, हसवा, असवार तथा भिटौरा विकास खण्डों में अपेक्षाकृत अन्य विकास खण्डों से अधिक है। यों तो बन्धुआ मजदूर नगण्य हैं किन्तु जो भी हैं उनकी अपनी अलग समस्या है। इस वर्ग के सामनें रोटी, कपड़ा एवं मकान की समस्यायें प्रमुख रूप से रही हैं। जिसके कारण उनका सामाजिक शैक्षिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास अपेक्षाकृत नहीं हो पाया। यद्यपि अब इस वर्ग के उत्थान के लिये पंचवर्षीय योजनाओं से अनेकानेक कार्यक्रम उनके कल्याणार्थ चलाये जा रहे हैं। जिससे उनके उन्नयन के लिये अच्छे अवसर मिल रहे हैं।

12-03 इस पिछड़े समुदाय की प्रमुख समस्याओं को दृष्टिगत रखतें हुये उनके निवारण के लिये चलाई गई योजनाओं को तीन महत्व पूर्ण श्रेणी, शिक्षा आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य के अवसर एवं अन्य योजनाओं में विभक्त किया जा सकता है। इस दिशा में उठाये गये कदम निम्नवत हैं।

12-04 जनपद का शैक्षिक स्तर निम्न है । 1971 की जनगणना के अनुसार 20-86 प्रतिशत तथा 1981 की जनगणना के अनुसार 26-45 प्रति० साक्षर व्यक्ति है । पिछड़े समुदाय के सामनें आर्थिक समस्या होनें के कारण उनके बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं । इसके लिये छात्रवृत्ति पुस्तके क्रय करनें हेतु अनुदान, निशुल्क शिक्षा तथा निशुल्क पोशाक उपलब्ध करानें के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । बच्चों को पोशाक भोजन देनें की व्यवस्था भी की गई है । बालिकाओं को शिक्षा की प्रोत्साहित करनें के लियेभी अपारचुनिटी कॉस्ट देनें की योजना भी चलाई जा रही है । अनौपचारिक शिक्षा तथाप्रौढ शिक्षा की भी व्यवस्था उनके लिये उपलब्ध . करा‌ई जा रही है नियमत विधार्थियों के लिये नियमित रूप से पाठशालाओं में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं । कक्षा समय के बाद कोचिंग की व्यवस्था तथा प्रशासनिक सेवाओं के लिये कोचिंग की निशुल्क व्यवस्था की गई है ।

आर्थिक विकास
========000=======

12-05 परम्परागत धान्धो में लगे हुये व्यक्तियों को अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कराना, आर्थिक विकास का मुख्य उददेश्य है । इस कार्यक्रम के अर्न्तगत कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उधोगों में लगे निर्वल वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है । इसके लिये एकीकृत योजना चलाई गई है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम
===========000===========

12-06 जनपद में लगभग 38 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन कर रही है तथा मुख्यत: वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनका मुख्य धान्धा कृषि एवं उससे सम्बन्धित है । इस वर्ग के उत्थान हेतु जनपद के कुछ विकास खण्डों में सन 1978 से ~~xxx~~ लघु सीमान्त/कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हे कृषि, पशुपालन, उधोग आदि कार्यक्रमों में 25 से 33 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है । कुछ समय उपरान्त इस योजना में परिवर्तन कर एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम समस्त विकास खण्डों मे लागू किया गया । इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनें वाले परिवारों को उनकी इच्छानुसार योजना दी जाती है । तथा बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर अनुदान देकर उनकी आर्थिक आय बढानें के प्रयास किये जा रहे हैं। इस

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष 250 नये तथा 490 पुरानें लाभार्थियों को लाभान्वित करानें का लक्ष्य है। वर्ष 1985-86 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत 52265 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। जिनमें 23809 परिवार अनुसूचित जाति के है, तथा 1207-63 लाख ऋण तथा 634-62 लाख रू० अनुदान दिया गया है। प्रत्येक वर्ष जनपद में 740 परिवारों को गरीबी ~~रेखा~~ रेखा से ऊपर उठानें का कार्यक्रम चल रहा है। जिनमें 50 प्रतिशत के लगभग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार होंगे।

पेयजल योजना
======000=====

12-07 हरिजनों एवं पिछड़े समुदायों के लिये ग्रामों में पानी पीनें की समस्या रही है। यह समस्या मुख्यत: अनुसूचित जाति के लोगों के लिये विशेष रूप से रही है। शासन इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर प्रयास कर रहा हैं। शासन की नीति है कि ग्रामों में प्रत्येक बस्ती में पेयजल कूप निर्मित करा दिये जावें। इस योजना को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करानें के दृष्टि कोण से ग्रामीण पेयजल समूह योजना चलाई जा रही है। वर्ष 85-86 के अन्त तक 38 ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तथा हरिजन पेय जलकूप ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 498 कूप निर्मित कराये गये हैं। जल निगम द्वारा 519 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। अब इस कूप के स्थान पर हैण्डपम्प लगानें का प्राविधान किया गया है।

निर्बल वर्ग आवास
========000=======

12-08 इस वर्ग के अधिकांश परिवारों के सामनें आवास समस्या है। बहुत से परिवारों के सामने आवास निर्माण के लिये आवास स्थल ही नहीं है। इस ओर शासन नें ठोस कदम उठाये हैं। निर्बल वर्ग के लोगों के लिये आवास स्थल आवंटित किये जा रहे हैं। मार्च 86 तक 40969 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये जा रहे हैं। जिनमें 34563 परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। वर्ष 85-86 के 260 आवास निर्मित कराये गये वर्ष 85-86 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 6000 प्रति आवास तथा 3000 अवस्थापना सुविधा के वित्तीय व्यवस्था कर पक्के आवास निर्मित कराये जा रहे हैं।

सन्तुलित आहार कार्यक्रम

==========000==========

12-09 आर्थिक समस्या के कारण निर्बल वर्ग के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं धात्री माताओं को सन्तुलित आहार नहीं मिल पाता है जिसके फलस्वरूप उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है तथा रोगग्रस्त एवं कमजोर हो जाते हैं। जिससे राष्ट्रीय श्रम शक्ति का निरन्तर गुणात्मक एवं मात्रात्मक ह्रास हो जाता है। इस समस्या को हल करनें के उद्देश्य से शासन द्वारा व्यवहारिक तथा विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम ग्राम्य विकास, शिक्षा विभाग एवं हरिजन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। इस जनपद में यह योजना ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भिटौरा तथा बहुआ विकास खण्ड में चलाई जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों को पोषाक भोजन सामग्री वितरित की जाती है। बच्चों को दूध की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना 77 विद्यालयों में चलाई जा रही है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दोपहर में पौष्टिक आहार निःशुल्क प्रदान कराया जाता है। मार्च 86 तक ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्रमशः 2105, 5131 को पुष्टाहार उपलब्ध कराया गया जिसमें अनुसूचित जाति के लोग 1030, 2030 क्रमशः हैं। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल जानें वाले बच्चों को मार्च 86 तक 55065 को पुष्टाहार उपलब्ध कराया गया है।

अस्पृश्यता निवारण एवं सफाई कार्यक्रम

==========000==========000======

12-10 इस ओर कानूनी एवं सामाजिक दोनों स्तरों से प्रयास किये जा रहे हैं। अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत इसे अपराध घोषित किया गया है। सामाजिक स्तर पर अस्पृश्यता की बुराईयों एवं दुष्परिणामों के प्रति समाज के अन्य वर्गों को अवगत कराकर समान आदर एवं व्यवहार करनें के लिये प्रेरित किया जा रहा है। सामाजिक कुरीतियों तथा दुर्व्यसन के प्रति इस समुदाय के लोगों को शिक्षा देकर सजग किया जा रहा है। शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर में वृद्धि होनें के साथ साथ अब इस वर्ग के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढती जा रही है। हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करनें में शासन प्राथमिकता दे रहा है तथा गोबर गैस संयंत्र लगानें में अनुसूचित जाति के लोगों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 85-86 तक 597 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। हरिजनों में अपनें समुदाय के अन्दर छुआ छूत तथा भेदभाव समाप्त करनें के लिये जागरूक करनें की आवश्यकता है।

उदार ऋण सुविधा कार्यक्रम

12-11 इस समुदाय के लोग ग्रामीण साहूकारों के ऋणों रहे हैं, जिसके कारण जीवन भर उसी ऋण के भुगतान में व्यस्त रहता था और वह समुदाय अपनें विकास की दिशा में बढ़ नहीं पाते हो। इस समस्या के निदान के लिये शासन स्तर से अधिनियम बनाकर महाजनों के ऋण से मुक्त करा दिया गया है। व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से आर्थिक उत्थान की योजना के अन्तर्गत सस्ती दर 4 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा भी उत्पादक कार्यों के लिये कम ब्याज दर पर ऋण मार्जिन मनी तथा अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिससे इस वर्ग का आर्थिक स्तर उठ सके और यह वर्ग भी देश के विकास की मुख्य धारा में योगदान दे सके।

बेरोजगारी की समस्या और उसका निदान

12-12 इस वर्ग के सामने सबसे जटिल समस्या बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की है। इस वर्ग में अधिकांश खेतिहर मजदूर, लघु कृषक, सीमान्त कृषक, मजदूर तथा दस्तकार आते है, जिनके लिये वर्ष भर काम नहीं रहता है। इस ओर शासन नें ठोस कदम उठाकर कई योजनायें चलाई हैं। लघु एवं सीमान्त कृषक के कृषि निवेशों में अनुदान, अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था है, सिंचाई के अपनें साधन बनानें के लिये भी ऋण तथा अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वतः रोजगार के अन्तर्गत व्यवसाय चलानें के लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अनुदान दिया जा रहा है। ट्राइसम योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण तथा रोजगार चलानें के लिये ऋण तथा अनुदान की व्यवस्था है। प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष 600 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठानें का लक्ष्य रखा गया है।

प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की शाखा खोली जा चुकी है जो नगर और ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को उद्योग धन्धों के लिये मार्जिन मनी की सुविधा प्रदान कर रही हैं।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

12-13 जनपद में निवास करनें वाले अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करनें के लिये शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक विभाग को अपनें कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जानें हैं। इस वर्ग के

विकास के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करनें के उद्देश्य से शासन नें यह निर्णय लिया है कि जनपद के उन विकास खण्डों में जहाँ पर अनुसूचित जाति का बाहुल्य है, वहाँ पर इस वर्ग के लिये विशेष योजनायें कार्यान्वित की जायें । अब इस कार्यक्रम को कुछ विकास खण्डों तक सीमित न रखकर पूरे जनपद में लागू कर दिया गया है । इसके साथ साथ प्रत्येक विभाग को यह आवश्यक कर दिया गया है कि अपनें बजट का 20 प्रतिशत धन इस समुदाय के लिये स्वीकृत कर दें ।

बन्धुआ मजदूरों का पुर्नवासन

12-14 छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवासन को शत प्रतिशत पूरा कर लेना है । वर्ष 84-85 तक 12 बन्धुआ मजदूरों को पुर्नवासितकिया जा चुका है । वर्ष 1985-86 के बाद से कोई बन्धुआ श्रमिक अभिज्ञापित नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

12-15 दिसम्बर 1980 में श्रम के बदले खाद्यान योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के साधनों को सृजित करते हुये स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करना है । जिससे न केवल रोजगार का सृजन हो वरन इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास एवं उन्नति के मार्ग प्रशस्त हों । इसके लिये विशेष रूप से ग्रामीण सम्पर्क मार्गों, पुलियों के निर्माण, पोखरों, तालाब के सुधार, स्कूल भवनों के निर्माण आदि कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामाजिक वानिकी तथा पुनर्वतीकरण आदि कार्यक्रम लिये गये हैं ।

यह योजना केन्द्र एवं राज्य के 50-50 प्रतिशत के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है । वर्ष 1985-86 में इस योजना के लिये कुल 110-82 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी । जिसमें 55-41 लाख रु० राज्य अंश था । यह धनराशि मुख्यतया वन विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, तथा जिला परिषदों के माध्यम से उपयोग की गई है।

वर्ष 86-87 में कुल 140-00 लाख रु० का व्यय प्रस्तावित है जिसमें 70-00 लाख रु० राज्य अंश होगा । भारत सरकार के निर्देशानुसार परिव्यय का 10 प्रतिशत सामाजिक वानिकी एवं पुनर्विकरण के लिये तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विशेष उत्थान के लिये निर्धारित किया गया है । वर्ष 1987-88 में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीण

क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करनें तथा बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजित करने हेतु वृहद रूप से कार्यक्रम चलानें पर विशेष बल दिया गया है ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना

==========000==========000=======

12-16 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को वर्ष में अधिक से अधिक रोजगार सुलभ कराकर उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ।जनपद में भूमिहीन कृषक मजदूर परिवारों की संख्या 2130 है। इन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई, गूल निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण (कच्चा एवंपक्का) पुलिया निर्माण आदि के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं । कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पूर्ण वर्ष रोजगार सुलभ कराने तथा सुविधायें देनें का प्राविधानकिया जाता है ।इस योजना से बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी दूर करनें में वर्ष 85-86 तक 11-34 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है तथा वर्ष 1986-87 हेतु 5-82 लाख मानव दिवस सृजित करनें का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।जिसके लिये 53-00 लाख रु० का धन निर्धारित है ।

जल निगम द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण योजना

==========000========= 000==========

12-17 वर्ष 1971-72 में जनपद में एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार जनपद के 1532 ग्रामों में से पेयजल का दृष्टि कोण से 80% अभाव ग्रस्त पाये गये ।सर्वेक्षण से यह भी स्थिति सामनें आई कि कुछ ग्रामों में पानी का श्रोत 1-6 कि०मी० से दूर अथवा 100 मी० ऊचाई/निचाई पर स्थिति है ।बहुत से ग्रामों का पानी खारा है या कहीं कहीं जल में क्लोराइड की मात्रा अधिक है जो सहीं है ।इस समस्या के निदान हेतु नल द्वारा पेयजल योजना वर्ष 1979-80 से लागू की गई है तथा 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार जनपद में कुल 38 ग्रामों में पाइप द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केवल नल द्वारा पेयजल की व्यवस्था करते रहने के बजाय, बड़े व्यास के पक्के कूपों का निर्माण किया जाय तथा हैण्ड पम्प को लगाकर समस्या का समाधान करनें पर बल दिया गया है ।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

==========000==========000=======

12-18 झुग्गी, झोपडी, बस्तियों के वातावरण में सुधार लानें के उद्देश्य से शहरी लोगों में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार कीयोजनाको कार्यान्वित की

जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में नाली, खड़न्जा, सीवर, पानी की लाइन, बिजली के खम्भे, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानगृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1985-86 की स्थिति के अनुसार 405 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के लिये आवास कार्यक्रम

================000================000==========

12-19 जनपद में इस योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों तथा औद्योगिक श्रमिकों को जिनकी मासिक आय 350 रु0प्रतिमाह से कम है, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा निजी उद्योग पतियों के माध्यम से मकान बनाकर, सहायतित किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं। निजी उद्योग पतियों को अपनें श्रमिकों के निर्माण आवास हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराइ जाती है। समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिये किराये के आवासों के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों को 50प्रतिशत ऋण तथा 50प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण प्राप्त करके किराया क्रय पद्धिति पर विक्रय हेतु भी मकान निर्मित किये जा रहे हैं।

जनस्वास्थ्य प्रदर्शक योजना

==========000========000======

12-20 सरकार की नई स्वास्थ्य नीति यह है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं पिछडे वर्गों में ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य स्तर को ऊचा उठाकर जनता में चिकित्सा उपचार, रोगो की रोकथाम तथा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागृति पैदा की जाय। जिससे जनता अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं एवं मामूली रोगों की आकस्मिक चिकित्सा सुविधा स्थानीय रूप से प्राप्त कर सकें।

इस बात को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1977 में जनस्वास्थ्य-रक्षक योजना का शुभारम्भ हुआ। यह योजना जनपद के 13प्रा0स्वा0केन्द्रो में से तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्वा, बहुआ तथा तेलियानी में चल रही है और 10 प्रा0स्वास्थ्य केन्द्रों में इसका प्रसार होना शेष है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि साधारण उपाय, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं एवं सामान्य रोगों की रोकथाम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकें। योजना के अन्तर्गत सामान्यत: प्रत्येक 1000 की ग्रामीण जनसंख्यापर तथा जनसंख्या

कम होनें पर एक-दो से अधिक गाँव मिलाकर एक स्वास्थ्य रक्षक का चयन किया जाता है। इस कार्यकर्ता को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हे औषधि पेटिका तथा प्राथमिक उपचार हेतु सामाग्री प्रदान की जाती है। इस कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह अपनें क्षेत्र में ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण चिकित्सा सुविधा उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराये।

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम

12-21 समन्वित बाल विकास योजना इस जनपद में वर्ष 1985-86 से विकास खण्ड ऐरायाँ (खागा) तथा हस्वा में संचालित की गई है। वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड तेलियानी धाता तथा विजईपुर में भी यह योजना चालू हो गये हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिये एक बाल विकास परियोजना अधिकारी 5, 5 तथा 3 मुख्य सेविका प्रत्येक ग्रामीण तथा ट्राइवल परियोजनाओं के लिये और परियोजना की जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या पर आगनवाडी कार्यकर्ती तथा उसकी सहायता के लिये एक सहायिका समाज कल्याण विभाग नियुक्त करता है। यह योजना सामुदायिक ग्राम्य विकास तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सहयोग से संचालित की जाती है।

नगरीय क्षेत्र के दुर्बल वर्ग को आर्थिक सहायता

12-22 नगरीय क्षेत्र के दुर्बल वर्ग के निवासियों के आर्थिक उत्थान के लिये उत्तर प्रदेश शासन नें 15 अगस्त, 1984 को योजना का शुभारम्भ किया। नगरीय क्षेत्र में गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करनें वाले दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति सुदृढ करनें के लिये राष्ट्रीय कृत बैकों से सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराके उन्हे जीवन यापन के लिये रिक्शा, ठेलिया आदि क्रय करनें की व्यवस्था इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है। इस योजना से जनपद में जनपद में दुर्बल वर्ग के 149 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था बालबाडी कक्षायें चलाकर की जाती है तथा इन बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराके समन्वित बाल विकास किया जाता है। गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार की सुविधा इस कार्यक्रम से सुलभ कराई जाती है।

शिक्षित स्वत: रोजगार योजना

==========000==========000=====

12-23 शिक्षित नवयुवकों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करनें के लिये भारत सरकार नें वर्ष 1982-83 में स्वत: रोजगार योजना का सूत्रपात किया । शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वत: रोजगार योजना के अर्न्तगत उद्योग , सेवा या व्यवसाय के निर्मित व्यवसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करके स्व उद्यम करनें की सुविधा सुलभ होती है । इस कार्यक्रम के अर्न्तगत योजना के प्रारम्भ से 31 मार्च, 1986 तक 1530 नवयुवकों को व्यवसायिक बैंकों से ऋण दिलाकर . स्व उद्यम में लगाया गया है । नवयुवको को उद्योग , सेवा या व्यवसाय के लिये व्यवसायिक बैंको से अधिकतम ऋण 25000 रुपये प्राप्त करनें का प्रावधान है ।

अध्याय - 13

जिले के विकास कार्यक्रम

13-0-0 : वर्ष 1982-83 से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकेन्द्रित योजना चलाई जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश की योजना के वित्तीय प्राविधान का 30 प्रतिशत जनपदों की जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के अनुसार आवंटित किया जाता है। जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न विभाग विकास योजना तैयार करते हैं, जनपद की चालू योजनाओं पर आवश्यक परिव्यय प्रस्तावित करने के पश्चात अवशेष आवंटित वित्तीय प्राविधान में से आवश्यकता के क्रम में नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किया जाता है। जनपद की चालू योजनाओं पर अध्याय - 7 पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में 87-88 की जिला योजना में प्रस्तावित नई योजनाओं के औचित्य आवश्यकता एवं परिव्यय पर समीक्षात्मक व्याख्या की गई है। सीमित साधन होने के कारण चालू योजनाओं में परिव्यय प्रस्तावित करने के उपरान्त धन नहीं बच पाता है जिसके कारण नई योजनाओं लेना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

12- वन विभाग (सामाजिक वानिकी)

शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना :

13-12-01 : नगर क्षेत्र में प्राय: वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वृक्षों के अभाव में नगरीय क्षेत्र में वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इस संतुलन को बनाये रखने के लिए नगर क्षेत्र भूमि पर वृक्षों का रोपण परमावश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए फतेहपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों के किनारे शोभकार एवं छायादार प्रजातियों के वृक्षों का रोपण आवश्यक है।

वर्ष 87-88 में 4000 वृक्षों के रोपण हेतु गड्ढे व माउण्ड का निर्माण तथा आवश्यक सुरक्षा के लिए 50 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। 50 हजार रू० की धनराशि सम्बन्धित नगरों से प्राप्त होगी। सम्पूर्ण धनराशि से अपेक्षित लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा ।

अध्याय -14

योजनाओं का वित्त पोषण

14-01- आर्थिक विकास , उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग संतुलित समाज के निर्माण एवं समन्वित विकासके लिये नियोजन एक अपरिहार्य माध्यम है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन अत्यधिक विशाल एवं व्यापक होता जा रहा है । समाज के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के रहन सहन में वृद्धि करने, बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की संख्या में कमी करने तथा न्यूनतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्य के निर्दिष्ट सुविधाओं को उपलब्ध कराने का सप्तम् योजना का उद्देश्य है । इस विशाल एवं व्यापक समस्याओं के समाधान के लिये राज्य के संसाधन सीमित है । विकास की गति को तीव्र करने के लिये केन्द्र सरकार ,वित्तीय संस्थाओं तथा जनता का सहयोग अपेक्षित है ।

14-02 - जनपद की वार्षिक योजना 87-88 के लिये राज्य सरकार ने चालू योजनाओं के लिये 62310 हजार रुपये प्राप्त हुये है यह प्राविधान जनपद के पिछड़ेपन को देखते हुये काफी कम है ।

14-03 - इसके अतिरिक्त जनपद में कुछ योजनायें केन्द्र पोषित चल रही है जिनके लिये केन्द्रीय शासन से सामान्य धनराशि उपलब्ध कराई जाती है ऐसी योजनाओं का विवरण निम्नवत् है ।

क्रमांक योजना	राज्यांश (हजार में)	केन्द्र का अंश
1-दलहन फसल की उत्पादन की योजना	237	237
2-सघन तिलहन विकास कार्यक्रम	30	30
3-गेहूँ की फसल में गेहुँआ एवं खरपतवार नियंत्रण	3	3

क्रमांक योजना का नाम	राज्यांश (हजार रुपये में)	केन्द्र का अंश
4-लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता वृद्धि योजना	3250	3250
5-एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	7806	[illegible]
6-सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता	100	100
7-मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना	250	250
8-छुटमका मुहमका के रोकथाम की योजना	7·5	7·5
9-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	120	120
10-उद्योग मार्जिन मनी ऋण	100	100
11- [illegible]	50	50

14·04 - राज्य तथा केन्द्र सरकार के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं निगमों तथा जनता का भी वित्तीय योगदान रहता है वर्ष 87-88 की योजनाओं के लिये निम्नलिखित योजनाओं में वित्तीय संस्थाओं तथा जनता का योगदान अपेक्षित है।

क्रमांक	योजना	वित्तीय संस्थाओं का योगदान (हजार रु०)	जनता का योगदान
1	2	3	4
1-	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	32094	-
2-	लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता वृद्धि योजना (नि:शुल्क बोरिंग)	9900	-
3-	उद्योग	2400	800
4-	पंचायत	-	750
		44394	1550

14-05 इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचल में बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी दूर करने के लिये रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना तथा सेक्टोरियल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत भी क्रमशः 17000, 10047 तथा 15000 हजार रुपये के आबंटन की सम्भावना है ।

14-06- इस प्रकार जनपद की वार्षिक योजना 87-88 के लिये राज्य आयोजनागत 62310 हजार केन्द्रीय सरकार के पुरोनिधानित योजनाओं से 13417.30 हजार वित्तीय संस्थाओं से 44394 हजार जनता का योगदान 1450 हजार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से 17000 हजार ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारन्टी योजना से 10047 तथा सेक्टोरियल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना से 15000 हजार का परिव्यय अपेक्षित है इस प्रकार वर्ष 1987-88 की वार्षिक योजना में अनुमानतः रु. 122229 [illegible] का विनियोजन होने की सम्भावना है ।

14-07 भौतिक एवं कार्मिकों की आवश्यकता एवं पूर्ति

विकास योजनाओं/परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के समयबद्ध तथा नियोजित ढंग से कार्यान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि उनमें प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री तथा कार्मिकों की आवश्यकता [illegible] उपलब्धता, पूर्ति के माध्यम तथा सभी की पूर्ति के लिये समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । इसके अभाव में उद्देश्यों की पूर्ति समय से होना असम्भव है जिले के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनायें, परियोजनायें तथा कार्यक्रम संचालित हो रहे है । उनमें उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा कार्मिकों की आवश्यकतायें होती है । अभी तक इस दिशा में वाँछित नियोजन नही हो सका है । सामान्यतः सामग्री तथा कार्मिकों की आवश्यकता कृषि, भूमिसंरक्षण सिंचाई, पशुपालन बन सड़क उद्योग, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उद्यान तथा निर्माण कार्य के लिये पड़ती है । इन सभी के विषय में एक स्थूल विवरण दिया जा रहा है ।

14-08 - कृषि तथा भूमि संरक्षण - इसके अन्तर्गत, उन्नतिशील उत्पाद बीज कीटनाशक, कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है इनकी आव0 का आंकलन तथा आपूर्ति की व्यवस्था रबी, खरीफ जायद अभियान

इनके भाण्डारण के लिये भाण्डारगृह का अभाव है इस योजना में चार आपूर्ति भाण्डारो के निर्माण की व्यवस्था की गई है । इस दिशा में अब प्रयास किया गया है बीज के विधायन की भी व्यवस्था जनपद में नही है । जिसके कारण मूल्य बढ़ता जा रहा है तथा असुविधा भी होती है । शिक्षित ,कुशल एवं अकुशल कार्मिको की भी आवश्यकता होगी इनके उपलब्ध होने में किसी प्रकार की कठिनाई नही होगी । प्राविधिक तथा शिक्षित कार्मिको की आवश्यकता का विवरण योजना में दिया गया है ।

14-09 - उद्यान:- इसके अन्तर्गत फलदार शोभाकार वृक्षो के बीज खाद तथा सामान्य सामानो के साथ साथ प्राविधिक तथा अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है प्राविधिक कार्मिको की पूर्ति विभाग द्वारा की जाती है जिनकी कमी नही है विवरण योजना में दिया गया है शेष की आपूर्ति स्थानीय आधार पर हो जाती है बीजो की आपूर्ति विभाग द्वारा की गई है ।

14-10 सिचाई - जिला सेक्टर में राज्य सिचाई के अन्तर्गत राजकीय नलकूप तथा निजी अल्पसिचाई के कार्यक्रम आते है राजकीय नलकूप में बोरिंग के लिये बोरिंगपाइप तथा अन्य सामान की आपूर्ति विभाग करता है राजकीय नलकूप का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसलिये सम्बन्धित का कार्य देखने के लिये एक अलग डिवीजन की आवश्यकता है । प्रयुक्त होने वाले सामान में भी कभी कभी विलम्ब हो जाता है लक्ष्य के अनुरूप इसके लिये प्रयास अभी से करना होगा । विद्युत विभाग से समन्वित: सामंजस्य स्थापित करना होगा । क्यो कि उर्जीकरण में विलम्ब होता है उपकरण के लिये सम्बन्धित विभाग से अभी से कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी । सीमेन्ट की उपलब्धता के लिये नियोजित प्रयास करना होगा ।

14-11 - अल्पसिचाई में प्रयुक्त पम्पसेट एवं विद्युत इंजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है सामग्री भी उपलब्ध रहती है । सीमेन्ट की कमी बढ़जाती है । इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दे दिये जाते है ।

इसमें प्राविधिक कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता नही है ।

14-12 -पशुपालन:- इसमें दवायें, उपकरण उन्नतिशील पशु (होती) (प्रजनन के लिये) तथा प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता (प्रजनन के लिए) । दवायें उपकरण उन्नतिशील पशु की सम्पूर्ति विभाग द्वारा की जाती है बहुत से उपकरण निष्क्रिय पड़े है । इनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है नये उपकरणों की पूर्ति समय से करनी होगी । नये पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों के लिये प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता होगी उनकी पूर्ति निदेशालय स्तर से समय से करनी होगी । निदेशालय को समय से नियोजित प्रयास करना चाहिये ताकि समय पर कर्मचारी एवं उपकरण उपलब्ध हो सके ।

14-13वन :-

इसमें बीज उपकरण तथा कार्मिकों की आवश्यकता होती है । आवश्यकता बीज एवं उपकरण की व्यवस्था सामान्य रूप से हो जाती है । कार्मिकों की आपूर्ति भी हो जाती है । निर्माण कार्य के लिये सीमेन्ट लोहे एवं तार की पूर्ति भी हो जाती है।

14-14- सड़क:-

इसमें सीमेन्ट बालू मिट्टी एवं संयंत्रों की तथा कार्मिकों की आवश्यकता होती है । सभी सामान आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो जाता है । संयंत्रों की संभवत: अतिरिक्त आवश्यकता न पड़े कार्मिकों की नई आवश्यकता पड़ने की सम्भवना नहीं है ।

14-15-उद्योग :-

इसमें प्राविधिक ज्ञान, कच्चा माल, मशीन, संचय, कार्मिकों तथा उद्यमी की आवश्यकता होती है । यहाँ पर उद्यमी कम मिलनें के कारण उद्योग का विस्तार नहीं हो पा रहा है । जैसे जैसे उद्यमी आ रहे हैं, कच्चा माल, मशीन एवं संयंत्र मिल जाते है । कार्मिकों के रूप में निवेश जिला उद्योग केन्द्र से नही किया जाता है । उद्योग विशेष में कार्मिकों की आपूर्ति उद्यमी आवश्यकतानुसार कर लेंगे । अधिकांश उद्योग स्वत: रोजगार

क्रमशः:-----

श्रेणी में आँका गया है ।

14-16- चिकित्सा - इसमे औषधि, उपकरण तथा कुशल कार्मिको की आवश्यकता होती है । औषधि, उपकरण तथा वाहन की आपूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई नही होती है प्रविधान के अनुसार उपलब्ध हो जाते है । प्रशिक्षित कार्मिको की आपूर्ति निदेशालय से की जाती है ।

14-17 शिक्षा - इसमें साज सज्जा तथा प्रशिक्षित कार्मिको की आवश्यकता होती है प्रविधान के अनुरूप उपलब्धता में किसी प्रकार की कठिनाई नही होती है ।

14-18 - शिक्षण संस्थान तथा सेवायोजन - इसमें साज सज्जा तथा उपकरण तथा प्रशिक्षित कार्मिको की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति प्रविधान के अनुसार होने में कोई कठिनाई नही होती है । निदेशालय द्वारा सभी क्रय किये जाने के कारण समय से धन आहरित नही हो पाता है । इसके अभाव में धन व्यय नही हो पाता है ।

14-19 निर्माण कार्य - इसमें सीमेन्ट, लोहा, ईंट तथा बालू की आवश्यकता होती है । जनपद में अच्छे किस्म की ईंट उपलब्ध नही है पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है ईंट बाहर से मगाने पर महगा पड़ती है सीमेन्ट की उपलब्धता में कठिनाई होती है । इसके लिये आवश्यकता के अनुरूप समय से प्रयास करना होगा ।

15/9/86

विकेन्द्रित जिला योजना

वर्ष 1987-88

जी० यन०- 1

जनपद - फ़तेहपुर

विकेन्द्रित योजना वर्ष 87-88 का

विभागवार परिव्यय

जनपद-फतेहपुर जी0एन0-1 (हजार रू0में)

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	वर्ष 86-87 का स्वीकृत परिव्यय	वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
			कुल	पूँजीगत	न्यू0आ0कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1-	कृषि	726-00	1200-00	620-00	-
2-	उद्यान एवं फल संरक्षण	598-00	900-00	100-00	-
3-	गन्ना	25-00	40-00	-	-
4-	कृषि विपणन	178-00	-	-	-
5-	भूमि सुधार	200-00	100-00	-	-
6-	निजी लघु सिंचाई	1104-00	1110-00	300-00	-
7-	राजकीय लघु सिंचाई	6300-00	6535-00	6535-00	-
8-	भूमि एवं जल संरक्षण	800-00	1450-00	-	-
9-	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	11050-00	11050-00	-	-
10-	पशुपालन	1006-00	1331-70	410-00	-
11-	मत्स्य	200-00	250-00	-	-
12-	वन	3500-00	3750-00	-	-
13-	पंचायतराज	550-00	906-00	900-00	-
14-	प्रादेशिक विकास दल	120-00	150-00	-	-
15-	ग्राम्य विकास (ला0वि0दल)	-	3543-00	3543-00	-
16-	सहकारिता	561-00	867-00	-	-
17-	विद्युत	399-00	400-00	-	400=00
18-	उद्योग	550-00	349-00	-	-
19-	सड़क एवं पुल	7957-00	8000-00	4080-00	6250-00
20-	पर्यटन	200-00	-	-	-
21-	सामान्य शिक्षा	3911-00	3817-00	524-00	3202-00
22-	खेलकूद	303-00	413-00	400-00	-
23-	प्राविधिक शिक्षा	2086-00	3000-00	1700-00	-
24-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	3300-00	2873-00	1400-00	1200-00

1 2	3	4	5	6
25-जल सम्पूर्ति §जल निगम§	3340-00	3825-00	3825-00	3825-00
26-ग्रामीण पेयजल §ग्राम्य विकास§	117-00	600-00	600-00	600-00
27-ग्रामीण आवास§ग्राम्य विकास§	100-00	200-00	200-00	-
28-सूचना विभाग	-	-	-	-
29-श्रम कल्याण	-	-	-	-
30-शिल्पकार प्रशिक्षण	200-00	569-00	489-00	-
31-सेवायोजन	-	-	-	-
32-अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति कल्याण	1000-00	820-00	-	-
33-समाज कल्याण	1507-00	1576-00	-	-
34-पुष्टाहार कार्यक्रम §समाज कल्याण	2674-00	2685-30	-	2685-30
योग	54562-00	62310-00	25634-00	18162-30

विकेन्द्रित जिला योजना

वर्ष 1987-88

जी० यन०-2

जनपद - फ़तेहपुर

विभाग - 1-कृषि जिला सेक्टर की योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0 एन0-2

(हजार रुपये में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 80-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय: कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0 कार्यक्रम	वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय: कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0 का0	वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय: कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना												
1-	उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों के सम्वर्द्धन एवं संग्रहण की योजना		425.00	543.00	30.00	-	543.00	30.00	-	710.00	400.00	-
3-	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसल के उत्पादन की योजना		45.00	52.00	-	-	424.00	-	-	237.00	-	-
5-	केन्द्र पोषित सघन तिलहन विकास कार्यक्रम की योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-
8-	गेहूँ की फसल पर गेरुआ एवं खरपतवार नियंत्रण की केन्द्र पोषित योजना	67.60	1.12	31.00	-	-	31.00	-	-	3.00	-	-
9-	प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना	81.00	30.00	100.00	100.00	-	100.0	100.00	-	220.00	220.00	-
चालू योजना का योग		148.60	501.12	726.00	130.00	-	1098.00	130.00	-	1200.00	620.00	-
नई योजना		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		148.60	501.12	726.00	130.00	-	1098.00	130.00	-	1200.00	620.00	-

विभाग- 2-उद्यान एवं फल संरक्षण जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

प्रो०प्र०-2

(हजार रुपये में)

योजना सं०	योजना का नाम	वर्ष 80-85 का वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परि०			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०यो०	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०यो०	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०यो०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना												
4-	प्रदेश में उत्पादन एवं बीज वितरण इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	1150.00 05	464.00	550.00	200.00	-	574.00	200.00	-	600.00	100.0	-
8-	सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	300.00	62.00	100.00	-	-	100.00	-	-	200.00	-	-
10-	प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना	74.80	70.00	98.00	-	-	98.00	-		100.00	-	-
	योग चालू योजना	1524.85	596.00	548.00	200.00	-	772.00	200.00	-	900.00	100.00	-
	नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	1524.85	596.00	548.00	200.00	-	772.00	200.00	-	900.00	100.00	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

विभाग- 3 गन्ना

जा0 यन0-2

(हजार रुपये में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	86-87 का अनुमोदित परिव्यय			86-87 का अनुमानित परिव्यय			86-87 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	1-गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यंत्र उपलब्ध कराने की योजना	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-
	3-गन्ना बीज के यातायात, व्यय पर अनुदान देने की योजना	-	-	5.00	-	-	5.00	-	-	7.00	-	-
	4-आधार गन्ना बीज के उत्पादन की योजना	-	-	9.00	-	-	5.50	-	-	10.00	-	-
	6- उ0प्र0में गन्ना विकास की योजना	-	-	9.00	-	-	8.20	-	-	21.00	-	-
	योग चालूयोजना	-	-	25.00	-	-	20.70	-	-	40.00	-	-
	नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	-	25.00	-	-	20.70	-	-	40.00	-	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय
जी0 एन0-2

विभाग- 5 भूमि सुधार (हजार रुपये में)

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना												
1-	सीलिंग भूमि विकास (सेन्ट्रल सेक्टर योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता	687·00	150·00	200·00	200·00	-	200·00	200·00	-	100·00	-	-
चालू योजना का योग		687·00	150·00	200·00	200·00	-	200·00	200·00	-	100·00	-	-
नई योजना		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		687·00	150·00	200·00	200·00	-	200·00	200·00	-	100·00	-	-

विभाग - 6-निजी लघु सिंचाई

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0 एन0-2

(ह0 रु0)

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजी0	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना												
1-अनुदान		1254.00	640.00	706.00	706.00	-	706.00	706.00	-	710.00	-	-
2-बोरिंग गोदाम		43.20	95.00	150.00	150.00	-	150.00	150.00	-	300.00	300.00	-
3-अन्य व्यय (जिला स्तरीय अधिष्ठान)		-	-	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-
4-संयंत्र एवं उपकरण (छोटे उपकरण जिला योजनायें)		-	175.00	200.00	200.00	-	200.00	200.00	-	100.00	-	-
चालू योजनाओं का योग		1297.20	910.00	1104.00	1104.00	-	1056.00	1056.00	-	1110.0	300.0	-
नई योजनायें		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		1297.20	910.00	1104.00	1104.00	-	1056.00	1056.00	-	1110.0	300.0	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

विभाग- 7 राजकीय लघु सिंचाई जो0 एन0-2 (हजार रुपये में)

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना												
1-राजकीय नलकूप (सामान्यकार्यक्रम)		29034.05	7111.10	6300.00	6300.00	-	6300.00	6300.00	-	6535.00	6535.00	-
चालूयोजना का योग		29034.05	7111.00	6300.00	6300.00	-	6300.00	6300.00	-	6535.00	6535.00	-
नई योजना		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
कुलयोग		29034.05	7111.00	6300.00	6300.00	-	6300.00	6300.00	-	6535.00	-	6535.00 -

विभाग - 8-भूमि एवं जल संरक्षण

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जो0 यन0-2

(हजार रुपये में)

योजना सं0 योजना का नाम	वर्ष 80-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
			कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना											
1-प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना	1238·00	781·00	700·00	-	-	800·00	-	-	1000·00	-	-
4-प्रदेश में क्षारीय एवं अल्कलाइन भूमि के सुधार की योजना	[illegible]	135·00	100·00	-	-	100·00	-	-	100·00	-	7
5-उत्तर प्रदेश में छोड़ी भूमि के पुनर्वासन की योजना			-	-	-	-	-	-	300·00	-	-
8-भू आवंटियों की ऊसर भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाने की योजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	660·00	233·00	-	-	-	-	-	-	50·00	-	-
योग चालू योजना	1898·00	[illegible]·00 (1149.00)	800·00	-	-	900·00	-	-	1450·00	-	-
नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	1898·00	[illegible] (1149.00)	800·00	-	-	900·00	-	-	1450·00	-	-

टिप्पणी - जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति, जिला सेक्टर से दो इकाई का वहन करने में असमर्थता प्रकट की समिति का दृढ़ निश्चय है कि एक ही इकाई ऊंची तथा निचली सतह का कार्य करें यदि शासन दो इकाई करना चाहता है तो स्थापना व्यय राज्य सेक्टर से वहन किया जाये।

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

विभाग- 9-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जो0 एन0-2 (हजार रू0 में)

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	भूजोगत	न्यूनतम आ0कार्य0	कुल	भूजोगत	न्यूनतम आ0कार्य0	कुल	भूजोगत	न्यूनतम आ0कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	1-एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	25944.00	6814.50	7800.00	-	-	7800.00	-	-	7800.00	-	-
	3-लघु/सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता	2433.76	3358.00	3250.00	-	-	3250.00	-	-	3250.00	-	-
	चालू योजना कायोग	28377.76	10172.50	11050.00	-	-	11050.00	-	-	11050.00	-	-
	अन्य नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	28377.76	10172.50	11050.00	-	-	11050.00	-	-	11050.00	-	-

विभाग:- पशुपालन

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी०एन०-2

(हजार रुपये में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ०कार्य०	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ०कार्य०	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ०कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें											
	पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य											
	1- पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना	1231.04	91.94	203.30	-	-	203.30	-	-	528.00	200.00	-
	2- स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण एवं सुधार की योजना	-	26.00	101.00	-	-	101.00	-	-	180.00	-	-
	3- खुरपका, मुंहपका रोग के रोकथाम की योजना	-	10.00	7.50	-	-	15.00	-	-	7.50	-	-
	2- पशुधन विकास											
	1- तरल वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	38.00	-	-	-	-	-	234.00	-	98.00	98.00	-
	2- पशुधन क्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना	-	3.00	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-

विभाग - पशुपालन   जी0 एन0-2   (हजार रुपये में)

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0यो0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0यो0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0यो0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान ढाँचे का सुदृढ़ीकरण की योजना		482·70	293·00	262·00	-	-	-	98·00	-	28·00	-	-
3-कुक्कुट विकास												
1-संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कुक्कुट उत्पादन की यो0		4·50	8·00	8·00	-	-	8·00	-	-	8·00	-	-
4-भेड एवं ऊन विकास												
1-राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं के प्रसार की योजना		4·90	3·30	1·00	-	-	1·00	-	-	1·00	-	-
2-राज्य में भेड एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना प्रसार एवं पुर्नगठन की योजना		14·40	6·00	8·00	-	-	8·00	-	-	8·00	-	-
3-भेड एवं प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाये की योजना		192·74	209·70	260·00	-	-	260·00	-	-	320·00	120·00	-
5-सूकर विकास												
1-सूकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण		6·70	1·00	1·00	-	-	1·00	-	-	1·00	-	-

विभाग - पशुपालन

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय
जे0यन0-2

(हजार रुपये में)

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0कार्य0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0 कार्य0	कुल	पूँजी0	न्यूनतम आ0कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7-	पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रचार की योजना	-	4·20	-	-	-	-	-	-	4·20	-	-
8-	चारा विकास											
1-	चारा/चारा बीज तथा चारागाहों के विकास की योजना	20·90	10·00	20·00	-	-	20·00	-	-	-	-	-
9-	अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना	-	305·40	130·00	-	-	130·00	-	-	140·00	-	-
	चालू योजना का योग	1997·24	973·04	1001·80	-	-	747·30	332·00	-	1331·70	418·0	-
	नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	1997·24	973·04	1001·80	-	-	747·30	332·00	-	1331·70	418·00	-

विभाग -11 मत्स्य

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0 एन0-2

§हजार रुपये में§

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0का0
चालू योजना												
1-	मत्स्य पालक विकास अभिकरण की योजना	144·00	336·253	200·0	-	-	200·00	-	-	250·00	-	-
चालू योजना का योग		144·00	336·253	200·00	-	-	200·00	-	-	250·00	-	-
नई योजना		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल योग		144·00	336·253	200·00	-	-	200·00	-	-	250·00	-	-

विभाग - 12 - वन विभाग — जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय — (हजार रुपये में)

जी0 एन0-2

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 80-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना												
4-	सामाजिक वानिकी योजना	18550.30	3140.40	3500.00	-	3500.00	3500.00	-	-	3700.00	-	-
	चालू योजना का योग	18550.30	3140.40	3500.00	-	3500.00	3500.00	-	-	3700.00	-	-
नई योजना												
5-	शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-
	योग चालू तथा नई योजना	18550.30	3140.40	3500.00	-	3500.00	3500.00	-	-	3750.00	-	-

विभाग - 13-पंचायतराज

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय
जी0 एन0-2

(हजार रुपये में)

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय: कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0 का0 यू0	वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय: कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0	वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय: कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0 का0 र्च0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1	पंचायतराज संस्थाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन	30·00	6·00	6·00	-	-	6·00	-	-	6·00	-	-
2	ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता हेतु अनुदान	420·00	435·00	289·00	289·00	-	289·00	289·00	-	500·00	500·00	-
3	पंचायत भवनों का निर्माण	75·00	300·00	100·00	100·00	-	100·00	100·00	-	250·00	250·00	-
4	हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार हेतु ग्रामसभाओं को सहायता अनुदान	50·00	50·00	-	-	-	-	-	-	10·00	-	-
5	शौचालयों का निर्माण	-	87·00	150·00	150·00	-	150·00	150·00	-	140·00	140·00	-
	चालू योजना का योग	575·00	878·00	545·00	545 (539·00)	-	545·00	545·00 (539·00)	-	906·00	900·00	-
	नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	575·00	878·00	545·00	545 (539·00)	-	545·00	[illegible] (539·00)	-	906·00	900·00	-

विभाग - 14-प्रादेशिकविकासदल जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय (हजार रुपये में)

जी0 एन0-2

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	मूँजीगत	न्यूनतम आ0कार्य0	कुल	मूँजीगत	न्यूनतम आ0कार्य0	कुल	मूँजीगत	न्यूनतम आ0कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	1-स्वंय सेवको का सुदृढ़ीकरण (वर्दी पर व्यय)	-	30.00	42.00	-	-	42.00	-	-	52.00	-	-
	2-युवक मंगलदलो का प्रोत्साहन	66.00	25.00	50.00	-	-	50.00	-	-	60.00	-	-
	3-युवक मंगल दल सदस्यो का सेमीनार/वर्कशाप (ब्लाकस्तर एवं जनपदस्तर)	17.10	3.00	3.00	-	-	3.00	-	-	9.00	-	-
	4- समाज सेवा कार्य, मेला प्रदर्शनी तीर्थ यात्रा आदि	-	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-
	6-ग्रामीण युवको को व्यवसायिक रोजगार	-	-	5.00	-	-	5.00	-	-	5.00	-	-
	7-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (विकासखण्ड, जिला स्तर राज्य स्तर)	45.20	10.00	20.00	-	-	20.00	-	-	22.00	-	-
	योग चालू योजना	173.30	70.00	120.00	-	-	120.00	-	-	150.00		
	नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	173.30	70.00	120.00	-	-	120.00	-	-	150.00	-	-

नोट - योजना संख्या -4 में मानदेय सम्मिलित कर दिया गया है। केवल वर्दी तथा प्रशिक्षण पर व्यय होगा।

विभाग - 15-ग्राम्य विकास जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय {हजार रुपये में}

जी०एन०-2

योजना सं०	योजना का नाम	वर्ष 80-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०य०	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०य०	कुल	पूँजी०	न्यूनतम आ०का०य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1-चालू योजना											
	{विकास खण्डों में भवनों का निर्माण, विद्युतीकरण तथा जिला स्तर विकास कार्यालयों के भवनों का निर्माण} ऊसरीतल}	-	1540·00	-	-	-	-	-	-	3543·00	3543·00	-
	योग चालू योजना	-	1540·00	-	-	-	-	-	-	3543·00	3543·00	-
	नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल योग	-	1540·00	-	-	-	-	-	-	3543·00	3543·00	-

विभाग - 16-सहकारिता

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0 एन0-2

(लाख रुपये में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0 का0 क्र0	कुल	पूँजीगत	न्यू0 आ0 कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0 कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	ऋण एवं अधिकोषण											
	1-जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान	32.00	40.00	48.00	-	-	48.00	-	-	32.00	-	-
	2-जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को नवीनीकरण हेतु अनुदान	10.00	40.00	35.00	-	-	35.00	-	-	30.00	-	-
	3-निर्बल वर्ग (अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के लोगों का अंशक्रय हेतु व्याजरहित ऋण	20.00	-	20.00	-	-	20.00	-	-	50.00	-	-
	8-न्यायपंचायत स्तरीय समितियों के पुर्नस्थापना हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
	2-क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना											
	1-क्रय विक्रय समितियों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	9.40	12.00	32.00	-	-	3.00	-	-	-	-	-
	7-कृषक सेवा समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00	-	-
	11-कृषि ऋण समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	75.00	120.00	375.00	-	-	375.00	-	-	300.00	-	-

विभाग का नाम – सहकारिता 16 जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय (हजार रुपये में)

जी0 एन0–2

योजना सं	योजना का नाम	वर्ष 1980–85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85–86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86–87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86–87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87–88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0 कार्य	कुल	पूंजीगत	न्यून0 आ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क्रियान्वित योजनायें												
निर्बल एवं पुनर्निर्माण क्रिया इकाइयों को सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण		-	-	-	-	ऽ	-	-	-	200·00	-	-
उपभोक्ता योजना												
1–केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों के मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान		10·00	20·00	20·00	-	~~20·00~~	20–00	-	-	7·00	-	-
3–सा0 बित0 प्र0 के अन्तर्गत को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन		30·00	-	60·00	-	~~60·00~~	60–00	-	-	120·00	-	-
चालू योजना		156·40	2·32	561·00	-	-	561·00	-	-	867·00	~~867·00~~	-
नई योजना		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कुल योग		156·40	2·32	561·00	-	-	561·00	-		867·00	-	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

17- विद्युत विभाग — जी0एन0-2 — (हजार रु0 में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 का वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य सामान्य)	7447=00	705=00	399=00	399=00	399=00	399=00	399=00	399=00	400=00		400=00
	चालू योजना का योग	7447=00	705=00	399=00	399=00	399=00	399=00	399=00	399=00	400=00		400=00
	नई योजना का योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		7447=00	705=00	399=00	399=00	399=00	399=00	399=00	399=00	400=00		400=00

जिलावार सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/ व्यय

18- उद्योग विभाग — जी0एन0-2 — हजार रू0 में

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 का वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	औद्यानिक आस्थान	245=00	-	50=00	-	-	50=00	-	-	37=00	-	-
2-	विकास केन्द्रों को मार्जिन मनी ऋण	1218=00 754=75		309=60	-	-	309=60	-	-	100=00	-	-
4-	हस्त कला स0स0मि0को सहायता											
	अ- अंश पूंजी ऋण	15=00	-	-	-	-	-	-	-	6=00	-	-
	ब-प्रबन्धकीय सहायता	3=00	-	-	-	-	-	-	-	3=00	-	-
5-	हस्तकरघा स0स0मितियों को											
	अ-प्रबन्धकीय सहायता	54=50	-	12=00	-	-	12=00	-	-	5=00	-	-
	ब- अंश पूंजी ऋण	222=50	-	60=00	-	-	60=00	-	-	60=00	-	-
6-	जिला उद्योग के माध्यम से मा0 मनी	656=70	13=50	100=00	-	-	100=00	-	-	100=00	-	-
7-	हस्तकरघों काआधुनिकीकरण	38=60	-	5=00	-	-	5=00	-	-	5=00	-	-
8-	उद्यमकर्ता विकास योजना	-	-	13=40	-	-	13=40	-	-	33=00	-	-
	चालू योजना का योग	2453=30	13=50	550=00	-	-	550=00	-	-	349=00	-	-
	नई योजना का योग	-										
	कुल योग											

विभाग - सड़क एवं पुल

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय
जो० एन०-2

{हजार रुपये में}

योजना संख्या	योजना का नाम	1980-85 वास्तविक परिव्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक परिव्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			1986-87 का अनु[illegible] परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०क्र०	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०क्र०	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ०का०क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना												
1-ग्रामीण मार्ग {न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम}												
	1-देवमई से रूरो मार्ग	-	-	125	125	125	125	125	125	100	100	100
	2-नौनारा से कलानमार्ग	-	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	35	35	35
	3-कोहपुर आदमपुर मार्ग {छा० योजना नम्बर -2}	-	290	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4-सकूरा देवमई मार्ग	2032	109	200	200	200	200	200	200	050	050	050
	5-बिन्दकी गुनीर मार्ग	-	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6-नौनारासे जहानाबाद गढ़ी	-	-	300	300	300	300	300	300	30	30	30
	7-मलवा कुटिया मार्ग	-	315	-	-	-	-	-	-	15	15	15
	8-बिन्दकी ललौली सैड़ोढा	50	-	-	-	-	-	-	-	250	250	250
	9-कोहपुर जुनिहा से कांटो	48	13	-	-	-	-	-	-	150	150	150
	10-कोहपुर आदमपुर {छा० यो० (नं०-4)}	-	-	1500	1500	1500	1500	1500	1500	350	350	350
	12-अमौली कौरिया मार्ग	-	1130	300	300	-	300	300	-	500	500	-
	11-चाँदपुर लहुरी मार्ग	-	1442	900	900	900	900	900	900	700	700	-
	13-भागिनीपुर हाटमपुर बिन्दकी मार्ग	-	1900	875	875	-	875	875	-	550	550	-
	14-बिन्दकी गुनीर मार्ग	-	-	200	200	200	200	200	200	250	250	250

218

विभाग - 19-सड़क एवं पुल   जे0 एन0-2

योजना सं0	योजना का नाम	1980-85 वास्तविक परिव्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक परिव्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			1986-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0 का0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0 का0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0 का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15-बिन्दकी गुनीर मार्ग का शेष		=	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
16-चाँदपुर लहुरीमऊ का शेष मार्ग		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
17-जी0टी0 मार्ग से कोराई (कुरस्तीकला रेलवे स्टेशन)		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
18-अमौली बरोहा मार्ग		-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600
-ग्रामीण मार्ग न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम छठी योजना से पूर्व के कार्य												
1-हाता जमा मार्ग		444	150	263	-	263	263	-	263	-	-	-
2-सातों नरैनी मार्ग		1078	152	420	-	420	420	-	420	100	-	100
3-कुसुम्भी अन्दौली मार्ग		668	322	190	-	190	190	-	190	89	-	89
4-छागा किशुनपुर से गोंदौरा		101	120	49	-	49	49	-	49	-	-	-
5-खखरेडू दामपुर मार्ग		357	43	88	-	88	88	-	88	-	-	-
6-छिउलहा कोटला मार्ग		-	12	280	-	280	200	-	200	88	-	88
7-गाजीपुर औगासी मार्ग से देवलान मार्ग		30	2	75	-	75	75	-	75	-	-	-
8-कँहिया लिंक मार्ग		300	15	-	-	-	-	-	-	60	-	60
9-[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			

विभाग -19-सड़क एवं पुल पुल   जो0 एन0-2

(हजार रुपये में)

योजनार्य	योजना का नाम	1980-85 वास्तविक परिव्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक परिव्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			1986-87 का अनुमानित [illegible] परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0कार्य	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0कार्य0	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आ0कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11-औरेई लिंक मार्ग		50	-	129	-	129	-	-	-	129	129	129
12-छखारेडू बिछरांवामार्ग		488	440	110	-	110	110	-	110	-	-	-
13-जो0टो0रोड से बरकतपुर		288	53	122	-	122	122	-	122	-	-	-
छठी योजना के कार्य												
14-किशुनपुर पहाड़पुरमार्ग		52	4	-	-	-	-	-	-	243	-	243
15-सोनारो हिनौतामार्ग		1448	224	300	-	300	300	-	300	287	-	287
16-थरियांव हथगाव मार्ग ससुरखादेरी नदी पर सेतुनिर्माण		-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	1000
17-छागा दामपुर मार्ग		-	-	-	-	-	-	-	-	366	-	366
2000 कि0मी0 खडंजा मार्गो का निर्माण												
18-ऐरायां अलीपुर जोता से मऊवा		175	180	120	-	120	120	-	120	-	-	-
19-पट्टीशाह से सिठौरा लिंक		95	56	190	-	190	190	-	190	109	-	109
20-औरेई लिंक मार्ग		110	-	190	-	190	190	-	190	-	-	-
21-बिजुईपुर घाता से घारवासीपुर मार्ग		101	65	39	-	39	39	-	39	-	-	-
22-ईट गांव से उकाथू मार्ग		163	92	144	-	144	144	-	144	50	-	50

विभाग-19-सड़क एवं पुल जो0 एन0-2

योजना सं	योजना का नाम	1980-85 वास्तविक परिव्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक परिव्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			86-87 अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ0कार्य	कुल	पूंजी0	न्यूनतम आ0कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सोलिंग से लेपन स्तर तक												
1-छागासे दामपुर मार्ग		-	-	-		-	-	-	-	400	-	400
2-हथागांव से भट्टोशाह		-	-	-			-	-	-	400	-	400
सेतु कार्य												
1-कोट दरियामऊ मार्ग के ससुरखादेरी नदी पर लघु सेतु का निर्माण		-	-	-		-	-	-	-	549	-	549
योग चालू योजना		8544	7493	11369	8100	10194	11154	8100	9979	8000	4080	6250
नई योजना		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		8544	7493	11369	8100	10194	11154	8100	9979	78000	4080	6250

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

21- सामान्य शिक्षा   जी0एन0-2   (हजार रु0 में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	प्राथमिक शिक्षा											
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित जू0बे0स्कूलों में भवन निर्माण हेतु अनुदान।	1375•00	137•80	482•30	-	482•30	482•30	-	482•30	324•00	324•00	324•00
3-	अशासकीय मान्यता प्राप्त सी0 बे0स्कूलों को [illegible] अनु0	12•40	360•00	380•00	-	380•00	380•00	-	380•00	420•00	-	420•00
4-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में सी0बे0 स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	11•41	-	251•20	-	251•20	251•20	-	251•20	-	-	-
5-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान।	336•00	70•15?	39•00	-	39•00	39•00	-	39•00	820•00	-	820•00
6-	नगर क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के जू0बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान।	164•00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-	जू0बे0स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान।	52•00	09•00	-	-	-	-	-	-	30•00	-	30•00
8-	ग्रामीण तथा नगरक्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तक के वितरण, प्रोत्साहन अनुदान।	-	-	-	-	-	-	-	-	3•00	-	3•00
9-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के सी0बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान।	672•00	-	-	-	-	-	-	-	708•00	-	708•00

(25)

क्रमशः-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0एन0-2 §हजार रु0 में §

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
10-	नगर सी0वे0स्कूल के शिक्षण में सुधार हेतु विज्ञान साज-सज्जा हेतु अनुदान।	-	-	-	-	-	-	-	-	10·00	-	10·00
11-	ग्रामीण तथा नगरक्षेत्र के अविकसितक्षेत्रों में 6-14 आयु वर्ग के बालकों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान।	815·00	659·00	792·00	-	792·00	792·00	-	792·00	-	-	-
12-	प्रत्येक जिले में जि0वे0शि0अधि0- का कार्यालय सुदृढीकरण हेतुअनुदान		-	-	-	-	-	-	-	1·00	-	1·00
13-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6-8 तक 15/-प्रतिमास की दर से योग्यता छात्रवृत्ति	54·00	38·00	54·00		54·00	54·00	-	54·00	54·00	-	54·00
	माध्यमिकशिक्षा-		-	-	-	-	-	-	-	10·00	-	10·00
14-	वे0स्कू0के अध्यापकों को दक्षतापुरस्कार	10·00	9·50	5·00	-	5·00	5·00	-	5·00	5·00	-	5·00
16-	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सी0वे0स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान।	30·00	-	-	-	-	-	-	-	12·50	-	12·50
18-	ग्रामीण क्षेत्रों के सी0वे0स्कूलों के लिये साज-सज्जा अनुदान।	70·00	39·00	-	-	-	-	-	-	6·00	-	6·00

826

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0एन0-2 (हजार रु0 में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	वास्तु योजना											
20-	निर्बल वर्ग के बालकों को पोशाक देने की व्यवस्था	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-	राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यालय साक्षारता योजना का विस्तार ।	1067.00	715.00	1073.00	-	1073.00	1073.00	-	1073.00	800.00	-	800.00
24-अ-	खोलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर के शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान	2.00	3.00	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00	3.50	-	3.50
24-ब-	खोलकूद तथा अन्य विद्यालय के बाहर शैक्षिक कार्यकलापों तथा युवा कल्याण हेतु प्राविधान	-	-	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00	6.00	-	6.00
26-	संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनु0 माध्य0शि0	-	-	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
30-	वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालय की स्थापना ।	-	25.00	75.00	-	75.00	75.00	-	75.00	75.00	-	75.00
31-	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	-	-	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-
35-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत	-	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	500.00	-	-	-
37-	राजकीय इंटर कालेजों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश ।	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	320.00
39-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिये सुविधाओं तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	-	-	231.00	-	231.00	231.00	231.00	231.00	-	-	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय / व्यय

जी0एन0-2 ﴾हजार रु0 में﴿

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
42-	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था ।	-	-	-	-	-	-	-	-	200·00	200·00	[illegible]
	योग चालू योजना	4685·81	2565·95	3233·45	2003·50	1911·00	3914·50	2734·50	1911·00	3817·00	524·00	[illegible] 3202-00
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	4685·81	2565·95	3233·45	2003·50	1911·00	3914·50	2734·50	1911·00	3817·00	524·00	[illegible] 32 12-00

नोट:- अनौपचारिक शिक्षा :- अनौपचारिक शिक्षा ﴾अंशकालिक﴿ के अन्तर्गत समिति कोई भी प्राविधान योजना के वर्तमान स्तर को देखते हुये करना उचित नहीं समझती । [illegible] राय यह है कि यह योजना पूर्णतया असफल है तथा इससे कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिये इसे समाप्त करना ही उचित होगा ।

2- राज्य सरकार के संसाधनों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार :- इस योजना के जो मानक दिये गये हैं वह अत्यन्त भ्रामक हैं । यह योजना महिलाओं के लिये है, इसकी कक्षायें दिन में लगती हैं फिर भी 108 हजार रु0 मिट्टी का तेल तथा प्रकाश का व्यय शामिल किया गया है। अनावर्तक व्यय 110 हजार रु0 भी चालू योजना के परिपेक्ष्य में अनुपयुक्त है। जीप का क्रय 1986-87 में हो जायेगा। इसी प्रकार उपकरण शिक्षण सामग्री एवं अन्य अनेक व्यय आवश्यकता से बहुत अधिक दर्शाये गये हैं [illegible] इत्यादि प्रत्येक वार

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	वर्ष 85-86 का वास्तविक परिव्यय	स्वीकृत व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू०आ० कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू०आ० कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू०आ० कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना -											
1-	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/ अशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना	0=80	1=15	4.10	-	-	4.10	-	-	3.00	-	-
3-	विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	1.67	1.20	5.00	-	-	5.00	-	-	10.00	-	-
4-	क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण	-	-	293.90	293.90	-	293.90	293.90	-	400.00	400.00	-
	चालू योजना का योग	2.47	2.35	303.00	293.90	-	303.00	293.90	-	413.00	400.00	-
	नई योजना का योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	2.47	2.35	303.00	293.90	-	303.00	293.00	-	413.00	400.00	-

जिला सैक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

23- प्राविधिक शिक्षा — जी0एन0-2 — हजार रु0 में

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
3-	पालिटेक्निकों का सुदृढीकरण ।	3959.00	2293.00	2086.00	1914.00	-	2086.00	1914.00	-	3000.00	1700.00	-
	चालू योजना का योग	3959.00	2293.00	2086.00	1914.00	-	2086.00	1914.00	-	3000.00	1700.00	-
	नई योजना का योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	3959.00	2293.00	2086.00	1914.00	-	2086.00	1914.00	-	3000.00	1700.00	-

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों की स्थापना	211.00	25.00	30.00	-	-	30.00	-	-	100.00	-	-
5-	प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 25/15 शैय्या युक्त आयु0/यू0 चि0 की स्थापना।	--	25.50	150.00	-	-	150.00	-	-	200.00	-	-
6-	वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी चि0प0 औषधालय का प्रोन्नयन।	50.00	-	45.00	30.00	-	45.00	30.00	-	55.00	-	-
9-व-	आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारियों के कार्यालय का विस्तार	-	-	60.00	60.00	-	60.00	60.00	-	70.00	-	-
	[illegible]											
1-	नये प्रा0स्वा0केन्द्र की स्थापना	200.00	200.00	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	350.00	350.00	350.00
2-	प्रा0स्वा0केन्द्र का भवन निर्माण	-	1241.00	500.00	500 [500.00]	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-
3-	सब्सिडरी हेल्थ सेन्टर का निर्माण	-	-	45.00 [25.00]	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-	-	-
4-	उप के0 का भवन निर्माण	-	325.00	350.00	350 [350.00]	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
5-	सामुदायिक स्वा0केन्द्र की स्थापना	-	-	370.00	370 [370.00]	370.00	370.00	370.00	370.00	400.00	400.00	400.00
8-	तहसील स्थित चिकित्सालय में दन्त रुजालयों की स्थापना।		-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-

क्रमशः-

318

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0एन0-2 (हजार रु0 में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0कार्य	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0कार्य	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11-	चालू योजना											
11-	वर्तमान प्रा0स्वा0केन्द्र का विस्तार नवीनीकरण तथा बिजली पानी की व्यवस्था।	-	250·00	-	-	-	-	-	-	100·00	100·00	100·00
12-	रा0चि0एवं औ0रो0में रोगी शैय्याओं की वृध्द	-	-	-	-	-	-	-	-	200·00	200·00	-
15-	शहरी एवं ग्रामीण चिकि0में जलसम्पूर्ति एवं विद्युतीकरण।	-	-	-	-	-	-	-	-	200·00	200·00	-
18-	उपचारिकाओं के लिये आवास गृहों का निर्माण	-	-	-	500·00	500·00	500·00	500·00	-	500·00	-	-
20-	महिला चिकि0तथा प्रा0स्वा0केन्द्र और चुने हुये चिकित्सालयों में बाल रुजालयों की स्थापना।	-	-	-	-	-	-	-	-	200·00	-	-
27-	शहरी तथा ग्रामीण होम्यो0 पै0चि0 की स्थापना।	-	30·00	20·00	-	-	20·00	-	-	68·00	-	-
	योग चालू योजना	461·00	2096·50	1750·00	1825·00	1945·00	2250·00	1805	1945·00	2873·00	1400·00	1200·00
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	461·00	2096·50	1750·00	1825·00	1945·00	2250·00	1805	1945·00	2873·00	1400·00	1200·00

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 80-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	2-ग्रामीण जल सम्पूर्ति (पुनरीक्षित न्यूनतम आ0कार्यक्रम)											
1-	खाजुहा ग्राम समूह पेयजलयोजना	1906.00	208.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-	ललौली ग्राम समूह पेयजलयोजना	2312.00	98.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	65.00	65.00	65.00
3-	असोथार ग्राम समूह पेयजलयोजना	1282.00	102.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	55.00	55.00	55.00
4-	धाता ग्राम समूह पेयजल योजना	1553.00	437.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	290.00	290.00	290.00
5-	गढ़ा ग्राम समूह पेयजलयोजना	1435.00	203.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	105.00	105.00	105.00
6-	चांदपुर ग्राम समूह पेयजलयोजना	2099.00	388.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	310.00	310.00	310.00
7-	अहमदपुर कुसुम्भा ग्राम स0पे0यो0	1610.00	209.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00
8-	जाफरगंज ग्राम समूह पेयजलयोजना	1758.00	194.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	1000	1000.00	1000.00
9-	दपसौरा ग्राम समूह पेयजलयोजना	1733.00	1076.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	800	800.00	800.00
10-	ग्रामीण पेयजल की सुदृढ़ीकरण योजना	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	600	600.00	600.00
11-	ग्रामीण योजनाओं का रखरखाव	-	-	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	500	500.00	500.00
	योग चालू योजनायें	15686.00	2915.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3825.00	3825	3825.00
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	15686.00	2915.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3340.00	3825.00	3825.00	3825.00

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

26- ग्रामीण पेयजल ग्राम्य विकास विभाग ।

जी0एन0-2

हजार रू0 में

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	ग्रामीण हरिजन पेयजलयोजना	2165.00	400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117	600.00	600.00	600.00
	योग चालू योजना	2165.00	400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117	600.00	600.00	600.00
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	2165.00	400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	600.00	600.00	600.00

27- ग्रामीण आवास॥ग्राम्य विकास विभाग॥ जी0एन0-2 ॥ हजार रू0 में ॥

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	निर्बल वर्ग आवास योजना	2344.00	561.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	200.00	200.00	-
	योग चालू योजना	2344.00	561.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	200.00	200.00	-
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	2344.00	561.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	200.00	200.00	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0एन0-2

30 - शिल्पकार प्रशिक्षण

हजार रु0 में

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 का वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आई0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू0आई0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आई0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढीकरण।	69.00	-	200.00	200.00	-	200.00	200.00	-	569.00	489.00	-
	योग चालू योजना	69.00	-	200.00	200.00	-	200.00	200.00	-	569.00	489.00	-
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	69.00	-	200.00	200.00	-	200.00	200.00	-	569.00	489.00	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी०एन०-2

(हजार रु० में)

32- अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़ी जाति का कल्याण ।

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू०आ०कार्य०	कुल	पूंजीगत	न्यू०आ० कार्य०	कुल	पूंजीगत	न्यू०आ० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	शिक्षा-अनुसूचित जातियों का कल्याण											
क-	जूनियर हाई स्कूल स्तर 6 से 8											
	1- निर्धनता के आधार पर	-	85.00	90.00	-	-	90.00	-	-	100.00	-	-
	2- योग्यता के आधार पर	-	120.00	130.00	-	-	130.00	-	-	150.00	-	-
ख-	प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5											
	1- निर्धनता के आधार पर	-	40.00	44.00	-	-	44.00	-	-	40.00	-	-
	2- योग्यता के आधार पर	6.50	100.00	110.00	-	-	110.00	-	-	100.00	-	-
2-	दशम् एवं दशमोत्तर कक्षा की अन्तिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार	20.00	3.00	4.00	-	-	4.00	-	-	10.00	-	-
3-	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों, पुस्तकालयों, एवं प्राइमरी पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	-	9.00	25.00	-	-	25.00	-	-	30.00		-
ग-	आर्थिक उत्थान गृह निर्माण एवं सुधार हेतु अनुदान	630.00	-	461.00	-	-	461.00	-	-	90.00	-	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0एन0-2

(हजार रू0 में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	अनुसूचित जन जातियों का कल्याण											
	1- शिक्षा-											
	छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता एवं उपकरण हेतु अनावर्तक अनुदान:-											
	अ- जूनियर हाई स्कूल स्तर 6 से 8											
	1- निर्धनता के आधार पर	-	-	12.00	-	-	12.00	-	-	15.00	-	-
	2- प्राइमरी स्तर तक 1 से 5											
	1- निर्धनता के आधार पर	-	2.00	5.00	-	-	5.00	-	-	5.00	-	-
	2- कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु अनुदान।	50.00	25.00	30.00	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-
	3- लघु कुटीर विकास हेतु अनुदान	35.00	40.00	13.00	-	-	13.00	-	-	40.00	-	-
	4- विमुक्त जातियों का पुनर्वासन	-	20.00	20.00	-	-	20.00	-	-	50.00	-	-

क्रमशः

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

जी0एन0-2

(हजार रु0 में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कर्या0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कर्या0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कर्या0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
	अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण											
1-	शिक्षा											
	जूनियर हाई स्कूल स्तर पर											
	1- निर्धनता के आधार पर	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	50.00	-	-
	2- योग्यता के आधार पर	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-	100.00	-	-
	प्राइमरी स्तर पर 1 से 5											
	1- निर्धनता के आधार पर	-	-	6.00	-	-	6.00	-	-	10.00	-	-
	योग चालू योजना	741.50	444.00	1000.00	-	-	1000.00	-	-	820.00	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	741.50	444.00	1000.00	-	-	1000.00	-	-	820,00	-	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

33- समाज कल्याण जी0एन0-2 (हजार रु0 में)

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्यक्रम
1	चालू योजना 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	निदेशन एवं प्रशासन (समाज कल्याण)											
	1- शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति ।	20.00	7.00	7.00	-	-	7.00	-	-	8.00	-	-
2-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा तथा व्यवसायिक प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति ।	-	4.00	4.00	-	-	4.00	-	-	-	-	-
3-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग सहायता इत्यादि खरीदने हेतु अनुदान ।	-	-	22.00	-	-	22.00	-	-	20.00	-	-
4-	नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग व्यक्तियों को अनुदान	-	240.80	247.00	-	-	247.00	-	-	288.00	-	-
5-	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मेहतर कालोनियों में शिशुशाला केन्द्रों का खोला जाना ।	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	75.00	-	-
6-	महिला कल्याण											
	1- निराश्रित विधवाओं को सहा0अनु0	300.00	1110.00	1177.00	-	-	1177.00	-	-	1185.00	-	-
	योग चालू योजना	320.00	1361.80	1507.00	-	-	1507.00	-	-	1576.00	-	-
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	320.00	1361.80	1507.00	-	-	1507.00	-	-	1576.00	-	-

जिला सेक्टर योजनाओं का परिव्यय/व्यय

34- पुष्टाहार | समाज कल्याण | जी0एन0-2 | हजार रु0 में |

योजना संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1980-85 वास्तविक व्यय	वर्ष 85-86 का वास्तविक व्यय	वर्ष 86-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 86-87 का अनुमानित परिव्यय			वर्ष 87-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0आ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम	-	2600·00	2674·00	2674·00	-	2674·00	-	-	2685·30	-	2685·30
	योग चालू योजना	-	2600·00	2674·00	2674·00	-	2674·00	-	-	2685·30	-	2685·30
	योग नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	2600·00	2674·00	2674·00	-	2674·00	-	-	2685·30	-	2685·30

विकेन्द्रित जिला योजना

वर्ष 1987-88

जी० यन०-3

जनपद - फतेहपुर

विभाग का नाम-कृषि

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

जनपद-फतेहपुर

क्र0 सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 का वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क-उ0प्र0 में उन्नतिशील बीज के सम्वर्द्धन एवं संग्रहण की योजना	कुन्टल	-	-	2200	-	2250	2250	2300
	1-कृषि बीज गोदाम का निर्माण	सं0	-	-	-	-	-	-	4
2	दलहन विकास योजना	हेक्टर	-	-	150	-	500	500	600
3	गेहूँ की फसल में गेरुआ खरपतवार नियंत्रण की योजना	हे0	350	350	15	122	110	100	125
4	प्रदेश मे कृषि ... इकाई का सुदृढ़ीकरण की योजना	सं0	92	92	56	30	1	1	2
5	केन्द्र पोषित तिलहन विकास की योजना	हे0	-	-	-	-	-	-	50

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

विभाग का नाम-उद्यान एवं फल संरक्षण

जनपद-फतेहपुर

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-राजकीय औद्यानिक प्रक्षेत्र ववई रकबा 17-10 है0								
	-राजकीय पौधशाला गौरी रकबा 3-10 है0								
	-फलदार/शोभाकार पौधों का उत्पादन	सं0	309000	216513	134547	11,12000	335000	400000	500000
	-शाकभाजी पौधा का उत्पादन	लाख	20.0	21-5	[illegible]	6,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	-प्याज पौधा का उत्पादन	कु0	30	32.	[illegible]	35,[illegible]	2	5	5
	-जायद शाकभाजी बीज का उत्पादन	है0	-	-	3	14 [illegible]	3	2-5	3
	-खरीफ शाकभाजी बीज का उत्पादन	है0	29-2	34,1	3,25	14,[illegible]	2	2	2
	-रबी शाकभाजी बीज उत्पादन	है0	-	-	-	60 [illegible]	12	12	12
	राजकीय औद्योगिक प्रक्षेत्र बुदवन रकबा 6-90 है0								
	-फलदार पौधों का उत्पादन	सं0	-	-	-	1200000	225000	10000	300000
	-शाकभाजी पौधा उत्पादन	(लाख)	-	-	-	5	10[illegible]	[illegible]	15
	-प्याज पौधा उत्पादन	कु0	-	-	-	40	8	8	10
	-जायद शाकभाजी उत्पादन	है0	-	-	-	20	5	5	5
	-खरीफ शाकभाजी बीज उत्पादन	है0	-	-	-	15	3	3	3
	-रबी शाकभाजी बीज उत्पादन	है0	-	-	-	25	5	5	5
	मैदान कम्पोनेन्ट								
	-फलदार पौधों का वितरण	सं0	-	-	-	-	6000	6000	7000
	-शाकभाजी एवं फलों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि	है0	-	-	-	-	30	30	30

जी0एन0-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-	अनुदान का वितरण	रु0	-	-	-	-	-	-	-
4-	आलू के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि	हे0	-	-	-	-	-	-	-
5-	अनुदान का वितरण	रु0	-	-	-	-	24	24	25
6-	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	सं0	-	-	-	-	58000	58000	80000
7-	मानदेय का वितरण	सं0	-	-	-	-	150	150	200
					-	-	-	-	-
1-	सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना								
1-	सामुदायिक फल संरक्षण कार्य (कि0ग्रा0 में)		6500	6500	3500	1784	3500	3500	7000 से लक्ष्य तीनों योजनाओं के सापेक्ष हैं।
2-	प्रशिक्षण कार्य	सं0	250	106	150	158 मात्र एक केन्द्र बिन्दकी की स्थापना हुई है। तथा देर से स्थापना होने के कारण लक्ष्य पूर्ति नहीं हो सकी	150	150	350

विभाग -3 गन्ना

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रमसं0	मद का नाम	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 85-90 के प्रारम्भिक स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	गन्ना रक्षा यंत्र उपलब्ध करानें की योजना	संख्या	-	-	-	-	17	16	16
2-	गन्ना बीज यातायात पर अनुदान देनें की योजना	कुन्टल		-		-	-	गन्नाशोध बीज उपलब्धता के अनुसार	गन्नाशोधकेन्द्र सेबीजउपलब्धताके अनुसार
3-	आधार गन्ना बीज उत्पादन की योजना ।								
	आधार पौधा शाला	हेक्टेयर		-	-	-	0-60	-	1-00
	प्राथमिक पौधशाला	" "		-	-	-	4-50	3-50	5-00
	माध्यमिक पौधशाला	" "		-	-	-	30-00	17-00	30-00
4-	उ0प्र0 में गन्ना विकास की योजना	"		-	-	-	9-50	8-50	21-00

ाग का नाम-5- भूमि सुधार

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

ं0	पद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भिक स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ीलिंग भूमि विकास (सेन्ट्रल सेक्टर नाके अन्तर्गत आर्थिक सहायता	सं0	3351	3351	150	150	200	200	300

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

विभाग का नाम- 6-निजी लघु सिंचाई

जनपद- फतेहपुर

क्रमसं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	1985-86की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88का प्रस्तावितलक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	सिंचाई कूप	संख्या		308	-	496	-	-	-
2-	रहट	संख्या		2,545	-	2,560	-	-	-
3-	भूस्तरीय पम्प सेट	सं0		1,948	352	2955	270	270	250
4-	बोरिंग पम्प सेट	सं0		3047	1305	4905	1692	1692	1700
5-	निजी नलकूप	"		6112	606	14316	300	300	300
6-	विभागीय बोरिंग	"		3308	1155	18465	1375	1375	900
	अ-अन्य कृषकों की	"			200	16490	275	16	150
	ब-लघु /सीमान्त कृषकों की	"			955	1975	1100	340	750
7-	अर्जित सिंचन क्षमता	हे0		55004	10,270	1,16,661	10500	10500	10,500

राजकीय लघु सिंचाई

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

जनपद-फतेहपुर

क्रमसं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	राजकीय नलकूप (लघु सिंचाई)	सं0	—	—	छिद्रण 4	1-नवीन नलकूपों का छिद्रण =80	1-छिद्रण 3	3	छिद्रण 6 नम्बर
					पम्पगृह/डिलेवरी टैंक 13 पम्पसेट- 34	2-अधूरे राजकीय नलकूपों को पूर्ण करना	2-पम्पगृह/डि0 टैंक 10	10	पम्पगृह डि0टै0 1 नम्बर
					वी0एण्डएलफार्म- 34		3-पम्पसेट 22		पम्पसेट 1 नं0
							4-वी0एण्डएल फार्म 32	32	उर्जीकरण 1 नम्बर
					उर्जीकरण 28	1-पम्पसेट 19	5-उर्जीकरण 33		पक्की गूल 36 कि0मी0
					पक्की कूल 48-45 कि मी0	2-वी0एण्ड एल0फार्म 21	6-पक्की कूल 26 कि0मी0	26	
					कच्ची गूल 14 कि0मी0	3-उर्जीकरण 21	7-कच्ची गूल कि0मी0 206		पुन: निर्माण 7 नं0 हो चुका
					पुन: निर्माण 7 नं0	4-पक्की कूल/300 गाइड 7 कि0मी0 लाइन	8-पुन: 3 नम्बर निर्माण		[illegible]

विभाग का नाम- 8भूमि एवं जल संरक्षण

भौतिक /उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रम0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 86-87 लक्ष्य	वर्ष 86-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	चालू योजना								
	[illegible]								
	1-प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य /अनुदान								
	1-क्षेत्रफल	[illegible]			449	449	-	-	350
	2-लाभान्वित कृषक	[illegible]			450	450	-	-	150
	3-अनुसूचित जाति के कृषक	[illegible]			159	159	-	-	90
	4-लाभान्वित श्रमिक रोजगार सृजन	[illegible]			6600	6600	-	-	17300
	5-अनुसूचित जाति के श्रमिक रोजगार सृजन				3500	3500	-	-	9000
	2-भू आवंटियों की ऊसर भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाने की योजना ।								
	1-क्षेत्रफल	हे0	250	635	197	197	-	-	105
	2-लाभान्वित कृषक	सं0	250	860	200	200			100
	3-लाभान्वित श्रमिक रोजगार सृजन	सं0	7000	6010	6500	6500			17500
	4-अनुसूचित जाति के श्रमिक	सं0	180	665	144	144	-	-	6000
	5-अनु0जाति के श्रमिक रोजगार सृजन	सं0	4900	4210	2500	2500	-	-	6000
	3-उत्तर प्रदेश में खड्ड भूमि के पुन: र्वासन की योजना								
	1-क्षेत्रफल	हे0		-	-	-	-	-	800
	2-लाभान्वित कृषक	[illegible]		-	-	-	-	-	800
	3-अनुसूचित जाति के कृषक	[illegible]		-	-	-	-	-	350
	4-लाभान्वित श्रमिक रोजगार सृजन	[illegible]		-	-	-	-	-	113000
	5-अनु0जाति के श्रमिक रोजगार सृजन	[illegible]	-	-	-	-	-	-	40000

विभाग का नाम-9-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रमांक मद	इकाई	छठी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य	छठी पंचवर्षीय योजना उपलब्धि	वर्ष 85-86 की वास्तविक उप0	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भिक स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
* 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण	ला0सं0	39000	44006	8330 प्र0क्षे0 3652 द्वितीय 4678	44246	9636 प्र0क्षे0 3255 द्वितीय 6381	9636 प्र0क्षे0 3255 द्वितीय 6381	9636 प्र0क्षे0 3255 द्वितीय 6381
2-लघु/सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढानें हेतु सहायता								
1-मिनी किट वितरण	पै0सं0	-	28903	22894	20905	-	धनराशि का शतप्रति0 उपभोग	धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग किया जायेगा।
2-आ0सि0/बिन-श्रु क्रापोरिंग	सं0सं0	-	666	90	666+65	1100	1100	1100
3-भूमि विकास	...सं0		65	13	-	-	धनराशि का शतप्रति0 उपभोग	धनराशि का शतप्रतिशत उपभोग
4 फल/ईधन पौध	ला0सं0		10-93	6-90	10-93	-	योजना समाप्त होगई	योजना समाप्त हो गई।

विभाग का नाम-10 पशुपालन

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रमसं0 मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य								
पशुचिकित्सालय की स्थापना	सं0	4	4	2	24	-	-	1
"द" श्रेणी औषधालय	सं0	-	-	1	1	-	-	2
पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	सं0	6	6	1	6	-	-	-
पशु चिकित्सालय भवनका निर्माण (आवासीय)	सं0	7	1	-	-	1	-	-
पशु चिकित्सालय आवासीय भवननिर्माण		5	2	-	3	-	-	2
पशु सेवा केन्द्रो का निर्माण	सं0	35	2	-	33	2	-	2
2- स्थानीय निकाय द्वारा चलित पशु चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण	सं0	3	-	1	-	2	2	-
पशु विकास								
3 उन्नतिशील नस्ल के सांडों के क्रयवितरण की योजना	सं0	12	5	1	5	6	-	3
4- [illegible]								
4 बकरा क्रय एवं वितरण की योजना	सं0	-	-	15	-	20	20	20
5- भेड एवं ऊन विकास								
भेड एवं ऊन विकास केन्द्र भवननिर्माण	सं0	6	-	-	-	1	-	2
6- सूकर विकास								
सूकर सांड क्रय एवं वितरण की योजना	सं0	-	-	2	-	2	2	2
7- अन्य पशुधन विकास								
1- पशु प्रदर्शिनी	सं0	1	1	1	1	3	-	1
2- छुट्टा तथा जंगली पशुओं के उत्पात पर नियंत्रण	सं0	50		32	-	-	-	-

810

विभाग का नाम - 11 मत्स्य

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धियाँ
पी0एन0-3

जनपद-फतेहपुर

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 की प्रारम्भिक स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	मत्स्य पालक विकास अभिकरण								
	अ-तालाब सुधार हेतु अनुदान-क्षेत्र	हे0	370-0	172-23	100-20	750-00	175-00	175-00	175-00
	ब-इनपुट हेतु अनुदान क्षेत्रफल	हे0	370-0	172-23	100-20	750-00	175-00	175-00	175-00
	स-मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण	सं0	300	257	54	500	400	100	100
	द-अंगुलिका वितरण लाख में	सं0	33-0	36-199	14-079	65-00	16-00	16-00	16-00
	य-प्रचार प्रसार तथा वाहन	सं0	-	2880	1380	-	-	1500	1550

विभाग का नाम-12वन

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रम0	मद	इकाई	छठी योजना		1985-86 वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 85-86 तक के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
			लक्ष्य	उप0			लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नागालिक वानिकी									
	वृक्षारोपण	हे0	1823	1844	225	1844	-	-	22-50
	अग्रिम भू उपचार	हे0	1768	1789	-	-	22-5	-	
	शहरी क्षेत्र में सा0वा0योजना		-	-	-	-		-	4000

विभाग का नाम-13-पंचायतराज

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रमां0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85		वर्ष 1985-86 की वास्तविक उप0	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु अपनी आय में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन	सं0	15	15	3	18	3	3	3
2-	ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता हेतु अनुदान	सं0	174	174	63	237	58	58	133
3-	पंचायतो भवनों का निर्माण	सं0	22	22	17	39	10	10	10
4-	नए बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार	"	20	20	9	29	-	-	10
5-	शौचालय निर्माण	"	-	-	59	59	500	500	500

विभाग का नाम-14ग्रादेशिक विकास दल

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रम सं0	मद	इकाई	छठी योजना		वर्ष 85-86की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भास्तर	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88का लक्ष्य
			लक्ष्य	उप0			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	चालू योजना								
1-	युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	सं0	111	111	40		50	50	91
2-	युवक मंगलदलों का सेमीनार (ब्लाक स्तर एवंजनपदस्तर)	सं0	32	32	1		1	1	14
3-	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता (वि0खण्ड स्तर जिलास्तरराज्यस्तर	सं0	81	81	14		14	14	14
4-	स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण								
ख-	स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण एवं वर्दी की योजना	सं0	-	-	85		99	99	100
5-	ग्रामीण युवकों को व्यवसायिक मा0दि0 रोजगार	सं0	-	-	-		333	333	-
6-	समाज सेवा कार्य दुर्दशानी मेला तीर्थ यात्रा	सं0	-	-	200मानवदिवस		-	-	500

विभाग का नाम-15 ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास)

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रम सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	वर्ष 86-87 लक्ष्य	वर्ष 86-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	विकास खण्ड में आवासीय भवनों का निर्माण एवं विद्युती करण की योजना								
	1-स0वि0अ0टाइप क्वार्टर	सं0	-	-	-	-	-	-	35
	2-ग्रामविकासअधिकारीटाइपक्वार्टर	सं0	-	-	-	-	-	-	3
	3-सर्वेन्ट टाइप क्वार्टर	सं0	-	-	-	-	-	-	3
	विकास खण्ड रैरापा, असौली, देवसई धाता तथा तेलियानी								

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

16-

विभाग का नाम-सहकारिता

क्रमसं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उप0	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उप0	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-ऋण एवं अधिकोषण योजना									
1-	जिला सहकारी बैंकों की नवीन शाखाओं संस्थाओं हेतु प्रबन्धकीय सहायता	सं0	6	6	5	6	6	6	4
2-	जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं को नवीनीकरण हेतु ऋण	सं0	2	2	8	7	7	7	6
3-	निर्बल वर्ग के अनुसूचितजाति/अनु0जनजाति लोगों अंश क्रय हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण		250	250	250	250	250	250	500
2-क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना									
1-	क्रय विक्रय समितियों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	सं0	1	1	2	2	2	2	—
2-	कृषक सेवा सहकारी समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	सं0 -	-	-	-	-	-	-	7
3-	प्रा0 कृषि ऋण समितियों को कैश एण्ड कैरी के आधार पर उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन		10	5	8	108	20	20	20
3-विधायन योजना									
1-	निर्बल एवं पुरानी प्रक्रिया इकाईयों को सुदृढ़ीकरण हेतु		-	-	-	-	-	-	2
उपभोक्ता योजना									
1-	सा0वि0यो0 के अन्तर्गत प्रा0 कृषि ऋण समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	7	4	4	-	4	8	8	16
2-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	सं0	1	1	1	1	1	1	1

विभाग का नाम :- विद्युत   भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   जनपद - फतेहपुर

जी० एन० - 3

क्रमसं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उप०	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 86-87 लक्ष्य	वर्ष 86-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य सामान्य योजना								
1-	ग्रामीण विद्युतीकरण	सं०							
	(अ) के० वि० प्रा० की परिभाषा द्वारा	,,	50	94	3	829	-	-	-
	(ब) एल० टी० लाइन बिछाकर	,,	40	33	17	311	25	10	13
2-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	,,	40	50	16	475	25	10	13
3-	निजी नलकूपों का उर्जन	,,	466	355	3	8408	150	100	100

17

विभाग का नाम - 18 उद्योग

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि
जी0 एन0 - 3

जनपद - फतेहपुर

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	लघु /लघुत्तर इकाइयों की स्थापना ।	संख्या	950	830	251	1332	285	285	285
2-	दस्तकारी इकाइयों	संख्या	-	-	603	-	600	600	600
3-	रोजगार सृजन	संख्या	-	5550	1056	5191	2025	2025	2025
4-	जिला उद्योग केन्द्र के मा0xx ऋण	संख्या	-	-	-	-	10	10	10
5-	एकीकृत मा0 मनि ऋण	संख्या	-	-	-	-	6	6	2
6-	हस्तकला स0मि0	संख्या	-	-	-		-	-	-
अ-	अंश पूंजी ऋण	संख्या	-	-	-	-	-	-	1
ब-	प्रबन्धकीय सहायता	,,	-	-	-	-	-	-	2
7-	हथकरघा उद्योग:-								
अ-	प्रबन्धकीय सहायता	संख्या	-	-	-	-	-	-	9
ब-	अंश पूंजी ऋण	संख्या	-	-	-	-	-	-	15
स-	हथकरघा आधुनीकीकरण	संख्या	-	-	-	-	-	-	190

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ कास्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	देवमई रुसी मार्ग	[illegible]	-	-	-	मिटटीस्तर	क3.00 कि0मी0	-	-
2-	नोनारा से कलाना	,,	-	-	-	-	क4.00 ,,	-	लाईविलिटी
3-	फतेहपुर आदमपुर खा0यो0नं0-2	,,	क1.30	क1.30	प0.70	-	प0.50 ,,	-	प0.25 कि0मी0
4-	सकूरा देवमई	,,	प6.70	प6.70	प1.00	-	प1.30 ,,	-	लाईविलिटी
5-	बिन्दकी मुनीरमार्ग	,,	-	-	प2.00	-	प1.00 ,,	-	प1.00 कि0मी0
6-	नोनारा से जहानाबाद गढी	,,	-	-	-	-	प3.00 ,,	-	लाईविलिटी
7-	मलवां कुटिया	,,	क1.00	क1.00	प3.00	-	-	-	लाईविलिटी
8-	बिन्दकी लखौली सेडीघा	,,	प0.50	प0.50	-	-	-	-	प2.50 कि0मी0
9-	फतेहपुर जुनिहा से कांधी	,,	प0.50	प0.50	-	-	-	-	प1.50 किमी0
10-	फतेहपुर आदमपुर:खा0यो0 नं0-4	,,	-	-	-	-	प1.00 ,,	-	प2.00 किमी0
11-	अमौली कोरियां मार्ग	,,	प1.00 क5.50	प1.00 क5.50	- -	- -	प2.00 ,,	-	प4.50 किमी0
12-	चांदपुर लहुरी मऊ मार्ग	,,	क9.00 प3.00	क9.00 प3.00	- -	- -	प3.00,,	-	प6.50 किमी0
13-	भोगनीपुरघाटमपुर का पुन: निर्माण		-	-	-	-	प3.00	-	प3.00 किमी0
14-	बिन्दकी मुनीर मार्ग	,,	-	-	-	-	प1.00,,	-	प1.40 किमी0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छठी योजना के कार्य									
1- धाता आम मार्ग									
क- कच्चा		किमी0	6.00	6.00	-	-	-	-	-
ख- पक्का		,,	5.50	5.50	0.50	6.00	6.00	6.00	-
2- तातो नरैनी मार्ग									
क- कच्चा		,,	5.00	5.00	-	2.50	-	-	-
ख- पक्का		,,	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	-
3-कुसुम्भी अन्दौली मार्ग									
क- कच्चा		,,	4.70	4.70	-	0.70	0.70	0.75	-
ख- पक्का		,,	2.50	2.50	3.70	3.70	0.50	0.50	-
4- खागा किशुनपुर से गुदौरा मार्ग कच्चा		,,	1.50	1.50	-	1.50	-	-	-
पक्का		,,	-	-	-	-	1.50	1.50	-
5- खखारेरु [illegible] मार्ग									
क- कच्चा		,,	8.00	8.00	-	-	-	-	-
ख- पक्का		,,	8.00	8.00	8.00	8.00	-	-	-
6- छिउलहा कोटला मार्ग									
क- कच्चा		,,	-	-	-	-	2.00	2.00	-
ख- पक्का		,,	-	-	-	-	2.00	2.00	-
7- गाजीपुर औगासी से देवलान									
क- कच्चा		,,	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50	-
ख- पक्का		,,	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50	-
8- कंधिया लिंक मार्ग		,,							
क- कच्चा			3.50	3.50	-	-	-	-	0.50
ख- पक्का		,,	3.25	2.25	-	-	-	-	0.75
9- पटटी शाह हथगांव मार्ग (कच्चा)		,,	9.00	9.00	2.00	5.00	-	-	-
पक्का			3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-	पटटीशाह सिठौरा मार्ग	कि0मी0							
क-	कच्चा	,,	3.50	3.50	-	3.50	0.50	0.50	-
ख-	पक्का	,,	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00
11-	खाखारेरू विछिया मार्ग	,,							
क-	कच्चा	,,	10.00	10.00	-	1.00	-	-	-
ख-	पक्का	,,	8.00	8.00	1.00	9.00	1.00	1.00	-
12	जी0 टी0 मार्ग से बुधावनवरुकतपुर	कच्चा	5.00	5.00	-	-	-	-	-
	पक्का	,,	2.00	2.00	-	2.00	3.00	3.00	-
छठी योजना के कार्य									
1-	किशनपुर पहाडपुर मार्ग	,,							
	कच्चा	,,	2.40	2.40	-	2.40	-	-	2.40
2-	सोनारी हिनौता मार्ग								
	कच्चा	,,	7.50	7.50	-	-	-	-	-
	पक्का	,,	7.50	7.50	-	7.50	-	-	-
3-	खागा दामपुर मार्ग								
	पक्का	,,	-	-	-	2.00	-	-	2.00
2000	कि0मी0 खारंजा के टेगरी "ए"								
1-	रैरायां अलीपुर जीता मार्ग	पक्का ,,	-	-	3.00	3.00	1.00	1.00	-
2-	पटटी शाह से सिठौरा मार्ग	,, ,,	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00
3-	औराई लिंक मार्ग	पक्का ,,	-	-	-	-	2.00	2.00	-
4-	विजयीपुर धाता से धारवासीपुर	,,							
	पक्की	,,	-	-	2.00	2.00	-	-	-
5-	ईटगांव उकाथू मार्ग								
क-	पक्का	,,	-	-	2.50	2.50	1.50	1.50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	तोलिंग स्तर से लेपन स्तर तक								
1-	खागा से टमापुर मार्ग (पक्का)	कि0मी0	-	-	-	-	-	-	4.00
2-	हथगांव से पटटी शाह मार्ग	,,	-	-	-	-	-	-	4.00
3-	बहराइच बांदा मार्ग केशहरी भाग से आवश्यक हिस्से में नाली का निर्माण (किमी0248से251 तक)	,,	-	-	-	-	-	-	4.00
	सेतु कार्य								
	कोट दरियाबाद मार्ग पर ससुर खादेरी नदी पर लघु सेतु का निर्माण (30 मी0 एक लघु सेतु)	सं0	-	-	-	-	-	-	1 लघु सेतु

विभाग का नाम-21 सामान्यशिक्षा

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रमसं0 मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उप0	वर्ष 1985-86की वास्तविक उप0	सातवीं योजना 1985-90के प्रारम्भकास्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88का लक्ष्य
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित जू0वे0स्कूलों के भवन निर्माणहेतु अनुदान		35	22	08	122	07	-	5
2-अशासकीय मान्यता प्राप्त वि0को अनुदान सूची पर लानें हेतु	17	17	11	04	22	-	-	04
3-ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में सी0वे0 स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	12	12	07	-	12	02	-	05
4-जू0वे0स्कूलों के विज्ञान शिक्षण सुधार हेतु अनुदान		225	116	43	400	-	-	100
5-ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रसंख्यावृद्धि तथा स्थिरता लानें हेतु पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु अनुदान		4550	3[illegible]3	1393	14036	-	-	100
6-प्रत्येक जिले में जि0वे0शि0अ0कार्यालय का सुदृढीकरण		01	01	01	[illegible]	[illegible]	-	2सी0लिंगकैन
7-प्रत्येक जिले में 15/=प्रति छात्रकीदर योग्यता छात्रवृत्ति	100	100	100	100	125	425	-	125
8-दक्षता पुरस्कार		40	20	10	100	10	-	10
9-निःशुल्कपाठ्यपुस्तकउपलब्धकरानें हेतु अनुदान (सी0वे0स्कूल)		20	14	04	40	-	-	10
10-ग्रामीणक्षेत्रों में सी0वे0स्कूलोहेतुसाजसज्जा		100	36	12	49	13	-	2
11-ग्रामीणक्षेत्रों में मिश्रितस्कूलखोलनें हेतु अनुदान		35	14	04	85	-	-	10
(2)सी0वे0स्कूल खोलनें हेतुअनुदान		25	06	-	42	-	-	04

823

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

विभाग का नाम- शिक्षा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13-खेलकूद तथा माध्यमिक विद्यालयों के बाहर पौष्टिक कार्यकलापों तथा युवाकल्याण हेतु अनुदान	सं0	2	2	2	2	2	2	2
	14-संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान	-	-	-	-	17	1	1	2
	15-सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	-	-	-	-	6	3	3	-
	16-वर्तमान रा0 जिला पुस्तकालय का विकास तथा नये पुस्तकालय की स्था0		-	-	-	1	1	1	1
	17-उ0मा0वि0 के भवनों का निर्माण विस्तार तथा विद्युतीकरण तथा फिनीश	-	-	-	-	2	2	-	1
	18-उ0मा0 विज्ञान के अध्ययन के लिये सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	-	-	-	-	-	1	1	-
	19-रा0इ0का0 में वत व्यवस्था	-	-	-	-	-	-	-	3
	20-रा0इ0का0 में								
	21-जि0वि0नि0 कार्यालय का सुदृढ़ीकरण-		-	-	-	-	-	-	1

विभाग का नाम-22 खेलकूद

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0एन0-3

क्रमांक0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय/अशासकीय खेलकूद स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्था0 पर व्यय	-	1	1	1	-	2	2	[illegible] 2
2-	क्रीडा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन पर व्यय	-	6	6	3	-	3	3	राष्ट्रीय पर्वों एवं जिला स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन 3
3-	खेलकूद उपकरणों की संपूर्ति पर व्यय।		-	-	-	-	-	-	-
4-	क्रीडा प्रतिष्ठानों के निर्माण पर व्यय	-	1	-	-	-	स्टेडियम निर्माण-कार्य प्रारम्भ होना	स्टेडियम निर्माण के प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ	स्टेडियम निर्माण से सम्बन्धित प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होना

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम-प्रौढ शिक्षा

जी0एन0-3

क्रम सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उप0	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उप0	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिकास्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उप0	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार	प्रौ0शि0	900	900	300	1500	300	300	300

विभाग का नाम-2 प्राविधिक शिक्षा

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जी०एन०-3

क्र०सं०	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उप०	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	राजकीय पालीटेकनिक का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	रु०							
1-	प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश		60	40	प्रथम वर्ष-62 द्वितीय वर्ष-39	101	प्रथम वर्ष, 60 द्वितीय वर्ष 60 अन्तिम वर्ष 39	60 60 39	प्रथम वर्ष-60 द्वितीय वर्ष 60 अन्तिम वर्ष 60
2-	भवन निर्माण		भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय तथा निर्माण प्रारम्भ किया	भूमि क्रय किया गया- तथा नि० कार्य प्रारम्भ किया गया	प्रशासनिक भवन का भूतल भाग स्लैब स्तर तक पूर्ण हुआ तथा कार्य प्रगति पर	प्रशासनिक भवन का निर्माण [illegible]	प्रशासनिक भवन तथा कर्मशाला भवन का निर्माण पूर्ण किया जाना	प्रशासनिक भवन का भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण पूर्ण हो जाने का अनुमान है	अनावासी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना
3-	प्रशिक्षण		प्रथम वर्ष में प्रवेश	प्रथम वर्ष में प्रवेश किये गये	प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश किये गये तथा प्रशि० प्रारम्भ किया गया	तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया।	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तथा अन्तिम वर्ष की छात्रों को प्रवेश	सभी कक्षाओं में प्रवेश सम्पन्न कराये गये तथा पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जायेंगे	सभी कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश कर संस्था के नये भवन में ही नियमित पाठ्य कक्षायें चलाया जाना तथा सभी प्रयोगशालायें व्यवस्थित किया
4-	साज सज्जा		प्रशिक्षण हेतु साजसज्जा का क्रय किया जाना	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत साजसज्जा का क्रय किया जाना	प्रयोगात्मक प्रशि० के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित साजसज्जा का क्रय किया गया	स्वीकृत प्रावि० के अन्तर्गत आवश्यक साजसज्जा को क्रय किया गया	स्वीकृत प्रावि० का पूर्ण उपयोग में कर के शेष साजसज्जा का क्रय किया जाना	स्वीकृत धनराशि में साजसज्जा का लगभग 50 प्रति० साजसज्जा क्रय कर लिया जायेगा	साजसज्जा के शेष सामानों के क्रय हेतु शासन से धनराशि स्वीकृत के प्रावि० के लिये प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं।

विभाग का नाम - 24 चिकित्सा एंव स्वास्थ्य　　　　भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धि　　　　जनपद - फतेहपुर

जी0 एन0 - 3

क्र0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना 1980-85 उपलब्धि	वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	1987-88का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	नये प्रा0 स्वा0 के0 की स्थापना	संख्या			8	53	13	-	13
2-	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	,,			1	5	4	2	1
3-	सव्सी0 हेल्थ सेन्टर	,,			2	3	1	1	-
4-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्था0	,,			-	13	-	-	5
5-	,, निर्माण	,,			-	13	2	1	4
6-	वर्तमान प्रा0स्वा0 के0 का नवीनी0	,,			-	4	-	-	4
7-	उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण	,,			4	1 19	2	-	4
8-	राज0चिक0/औष0 में रोगी शैयाओ की व्य0	,,			-	38	-	-	38
9-	अस्पतालों में साज सज्जा तथा अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, जनरेटर/आपरेटर	,,			-	1	-	-	1
10-	रोगी वाहन के स्टाफ की व्यवस्था	,,			-	1	-	-	1
11-	अस्पतालों में विशिष्ट उपचार सेवाओं की व्यवस्था								
	क- बाल रुजालय	,,			-	13	-	-	[illegible]
	ख- रुजालय दन्त	,,			-	13	-	-	5
13-	उपचारिका आवास गृह का निर्माण	,,			-	1	1	-	1
14-	पुरुष तथा एलो0 अस्पतालो का निर्माण	,,			-	4	-	-	4
15-	जिला अस्पताल/औष0 में सुविधाएं, क-जल सम्पूर्ति., पानी की टंकी का निर्माण, ख- विद्युतापूर्ति	,,			-	1	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-	होम्यो- राज0 होम्यो0 चिक0 की स्थापना	सं0			-	2	2	2	2
19-	राज0 होम्यो चिकि0 में अति0 दवाअें तथा आकस्मिक का प्रावधान	सं0			-	6	-	-	6
	आयुर्वेदिक / युनानी औषधालय								
1-	आयुर्वेदिक/युनानी औषधालयों की स्थापना	सं0	4	4	1	13	1	1	5
2-	प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 25/15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक युनानी चिकित्सालयों की स्था	सं0	-	-	1	-	1	1	1
3-	वर्तमान आयुर्वेदिक/युनानी चिकि0 औषधालयों का प्रोन्नयन	सं0	9	9	-	9	3	3	6
4-	आयुर्वेदिक/युनानी अधिकारियों के कार्यालयों का विस्तार	सं0	-	-	-	-	1	1	1
5-	आयुर्वेदिक /युनानी अस्पतालों एंव डिस्पेन्सरियों का भवन निर्माण तथा बिजली पानी की व्यवस्था		-	-	-	-	-	-	1

विभाग का नाम:- 25-जल सम्पूर्ति (जल निगम) भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जनपद- फतेहपुर

जी0 एन0 - - 3

क्रम सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980 - 85 लक्ष्य	छठी योजना 1980 - 85 उपलब्धि	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 86-87 लक्ष्य	वर्ष 86-87 उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) चालू योजनायें									
1.	खजुहा ग्राम समूह पेयजल योजना	ग्राम	16	16	-	16	-	-	-
2.	ललौली ग्राम समूह पेयजल योजना	,,	4	4	-	4	-	-	-
3.	असोथर ग्राम समूह पेयजल योजना	,,	3	3	-	3	-	-	-
4.	धाता ग्राम समूह पेयजल योजना	,,	9	9	2	9	1	1	-
5.	गढ़ा ग्राम समूह पेयजल योजना	,,	2	2	-	2	-	-	-
6.	चांदपुर ग्राम समूह पेयजल योजना	,,	6	6	7	6	2	2	-
7.	अहमदपुर कुसुम्भा ग्राम समूह पेय जल योजना	,,	9	9	1	9	6	6	3
8-	जाफरगंज ग्राम समूह पेयजल यो0	,,	5	5	7	5	5	5	-
9-	दपसौरा ग्राम समूह पेयजल यो0	,,	6	6	1	6	6	6	2
	योग	,,	60	60	18	60	20	20	5

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग-26-ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास)

जी0एन0-3

क्रमसं0	मद	इकाई	छठी योजना लक्ष्य	छठी योजना उपलब्धि	वर्ष 85-86की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90के प्रारम्भकास्तर	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	हरिजन पेयजल योजना	सं0	236	274	31	43	10	10	50

831

भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियाँ
जी0एन0-3

विभाग का नाम-27 ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)

क्रमांक	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	उप0	वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धियां	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उप0	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	निर्बल वर्ग आवास योजना	सं0	1155	1250	255	255	50	50	100

विभाग :- उ0 शिल्पकार प्रशिक्षण | भौतिक लक्ष्य /उपलब्धि | जनपद - फतेहपुर

जी0 एन0 -3

क्रम0सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980-85 लक्ष्य	उप0	वर्ष85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 86-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षार्थियो की सं0	सं0	200	200	46	1200	23	23	240

औचित्य :- 1- ब्रांच आई0 टी0 आई0 का खोला जाना, शीटों में वृध्दि नये व्यवसायो का खोला जाना:-

वर्तमान समय में जनपद में स्थापित हो रहे प्रतिष्ठानों को मांग को दृष्टिगत रखते हुए ब्रांच आई0 टी0 आई, खोले जाने, शीटों में वृध्दि, नये व्यवसायों के खोले जाने का प्रस्ताव किया जाना आवश्यक हो गया है: क्योकि जनपद में चल रहे संस्थान में भवन की कमी के कारण अधिक प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रवेश हेतु हजारों की संख्या में अभ्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने से वांचित रह जाते है। बहुत से निर्बल वर्ग के अभ्यार्थी अधिक कठिनाइयों के कारण जनपद में रहकर प्रशिक्षण व्यय वहनन करपाने के भय से प्रशिक्षण नहीं कर पाते हैं। उक्त प्रस्तावित संस्थान जो तहसील स्तर पर खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है, यदि खोले जाते हैं तो वे अपने घर से प्रतिदिन संस्थान आकर प्राप्त कर सकते हैं।

विभाग:- अनु0जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति कल्याण | भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी0 एन0 - 3 | जनपद फतेहपुर ।

क्रम सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980 - 85		वर्ष 1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 86 -87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनु0उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला योजना								
	छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तक अनुदान								
क-	जूनियर हाई स्कूल स्तर 6 से 8								
1-	निर्धनता के आधार पर	संख्या							
2-	योग्यता के आधार पर	,,	-	-	1500	-	2396	2396	2750
ख-	प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5								
1-	निर्धनता के आधार पर								
2-	योग्यता के आधार पर	,,	-	-	380	-	2566	2566	2333
(2)	दशम पूर्व दशमोत्तर कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार	,,	-	-	22	-	10	10	40
(3)	सहायता प्राप्त छात्रावासों एवं पुस्तकालयों एवं प्राइमरी पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	,,	-	-	7	-	5	5	5
(4)	आर्थिक उत्थान गृह निर्माण एवं ऋण की अदायगी	,,	-	-	50	-	..	-	..

विभाग - अनु0 जाति /जनजाति तथा पिछड़ी जाति कल्याण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विमुक्त जातियों का कल्याण									
1- शिक्षा									
(अ) छात्रवृत्ति पुस्तकीय, एवं अपकरण हेतु अनावर्तक अनुदान		संख्या	-	-	150	-	125	125	180
1- निर्धनता के आधार पर प्राइमरी [illegible] स्तर तक (1 से 5)		संख्या	-	-	75	-	-	-	-
2- निर्धनता के आधार पर									
क-कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु अनुदान		संख्या	-	-	20	-	20	20	20
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ख- लघु कुटीर उद्योग धन्धों के विकास हेतु अनुदान			-	-	13	-	13	13	40
3- विमुक्त जातियों का पुनर्वासन		संख्या	-	-	10	-	4	4	8
अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण									
1- शिक्षा :-			-	-	-	-	-	-	1 7
(1) जूनियर हाई स्कूल स्तर तक									
(2) निर्धनता के आधार पर			-	-	-	-	-	-	1670
(3) योग्यता के आधार पर प्राइमरी स्तर (1 से 5) निर्धनता के आधार पर			-	-	-	-	-	-	1666
योग			-	-	5649	-	5739	5739	7732

विभाग का नाम:- 33 समाज कल्याण

भौहितक लक्ष्य/उपलब्धि
जी0 एन0 - 3

जनपद- फतेहपुर

क्रम सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980 - 85 लक्ष्य	छठी योजना 1980 - 85 उपलब्धि	वर्ष 85- 86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 86-87 लक्ष्य	वर्ष 86-87 अनु0 उपलब्धि	वर्ष 87-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति	संख्या	-	-	50	-	50	50	60
2-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति	संख्या	-	-	30	-	25	25	15
3-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग सहायता इत्यादि खरीदने हेतु अनुदान	संख्या	-	-	20	-	30	30	40
4-	नेत्रहीन एवं मूक बधिर एवं शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग व्यक्तियों को अनु0	संख्या	-	-	350	-	348	348	400
5-	मेहतरों/स्वीपर्स कालोनी में शिशुशाला केन्द्रों को खोलना	संख्या	-	-	5	-	5	5	25
6-	महिला कल्याण :-								
1-	निराश्रित विधवाओं को निराश्रित अनुदान	संख्या	-	-	1567	-	1587	1587	1600
	योग		-	-	2022	-	2045	2045	2140

विभाग का नाम : पुष्टाहार कार्यक्रम (समाज कल्याण) भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धि जनपद - फतेहपुर ।

जी0 एन0 - 3

क्रम सं0	मद	इकाई	छठी योजना 1980 - 85		वर्ष 85-86 की वास्तविक उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	वर्ष 86-87		वर्ष 87-88 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनु0उप0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पुष्टाहार कार्यक्रम (समाज कल्याण)								
1-	मूरक पुष्टाहार कार्यक्रम	संख्या	-	-	8000	-	16000	16000	40000
	योग		-	-	8000	-	16000	16000	40000

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

वर्ष 87 - 88

जनपद- फतेहपुर जी0एन0- 4 (हजार रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	वर्ष 86-87 का स्वीकृत परिव्यय	वर्ष 87-88का प्रस्तावितपरि0
1.	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसल के उत्पादन की योजना	52-00	237-00
2.	केन्द्र पोषित सघन तिलहन विकास कार्यक्रम की योजना	-	30-00
3.	गेहूँ की फसल पर गेहुआ एवं खर-पतवार नियंत्रण की योजना (केन्द्र पोषित)	31-00	3-00
4.	सीलिंग भू आवंटियों को आर्थिक सहायता	200-00	100-00
5.	भूमि आवंटियों की ऊसर भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाने की योजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	-	50-00
6.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	7800-00	7800-00
7.	लघु/सीमांत कृषकों को उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता	3250-00	3250-00
8.	खुरपका,मुँहपका रोग की रोकथाम की योजना	7-50	7-50
9.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना	200-00	250-00
10.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु पैक्स को सीमांत धन	60-00	120-00
11.	जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिन मनी	100-00	100-00
12.	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षाएं खोलने के लिए अनुदान	792-00	-
	योग	12492-50	11947-50

विकेन्द्रित जिला योजना

वर्ष 1987-88

आधारभूत आकड़ें

जनपद - फ़तेहपुर

परिशिष्ट -1

जनपद-फतेहपुर आधार भूत आँकड़े वर्ष 1985-86

क्रमांक	मद	इकाई	आँकड़े	अवधि
1	2	3	4	5
1-	कुल ग्रामों की संख्या	संख्या	1531	1981 की जनगणनानुसार
2-	कुल गैर आवाद ग्रामों की संख्या	" "	182	" " "
3-	विकास खण्डों की संख्या (नाम सहित)	संख्या	13 1-अमौली 2-खजुहा 3-देवमई 4-मलवाँ 5-तेलियानी 6-बहुआ 7-भिटौरा 8-हस्वा 9-असोथर 10-हथगाँव 11-ऐरायाँ 12-विजईपुर 13-धाता	1985-86
4-	तहसील (नाम सहित)	संख्या	3 1-खिन्दकी 2-फतेहपुर 3-खागा	1985-86
5-	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	ह0हे0	वर्ष 1983-84 415-200	
6-	भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्र	ह0हे0	420-887	
7-	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	ह0हे0	4-864	
8-	कृषि के उपयोग में लाई गई भूमि	ह0हे0	298-375	
9-	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि	ह0हे0	43-179	

विकेन्द्रित जिला योजना

वर्ष 1987-88

आधारभूत आकड़ें

जनपद - फ़तेहपुर

परिशिष्ट -1

जनपद-फतेहपुर आधार भूत आँकडे वर्ष 1985-86

क्रमांक	मद	इकाई	आँकडे	अवधि
1	2	3	4	5
1-	कुल ग्रामों की संख्या	संख्या	1531	1981 की जनगणनानुसार
2-	कुल गैर आवाद ग्रामों की संख्या	" "	182	" " "
3-	विकास खण्डों की संख्या (नाम सहित)	संख्या	13 1-अमौली 2-खजुहा 3-देवमई 4-मलवाँ 5-तेलियानी 6-बहुआ 7-भिटौरा 8-हस्वा 9-असोथर 10-हथगाँव 11-ऐरायाँ 12-विजईपुर 13-धाता	1985-86
4-	तहसील (नाम सहित)	संख्या	3 1-खिन्दकी 2-फतेहपुर 3-खागा	1985-86
5-	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	ह0हे0	415-200	वर्ष 1983-84
6-	भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्र	ह0हे0	420-887	
7-	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	ह0हे0	4-864	
8-	कृषि के उपयोग में लाई गई भूमि	ह0हे0	298-375	
9-	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि	ह0हे0	43-179	

1	2	3	4
10-	बंजर भूमि का क्षेत्र	ह0हे0	15-632
11-	कृषि योग्य बंजर भूमि	ह0हे0	15-962
12-	स्थाई चरागाह	ह0हे0	3-176
13-	अन्य उद्यानों/वृक्षों का क्षेत्र	" "	5-970
14-	वर्तमान परती भूमि	" "	19-318
15-	अन्य परती भूमि	" "	14-411
16-	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	ह0हे0	298-375
17-	सकल बोया गया क्षेत्रफल	" "	413-771
18-	मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल ह0हे0 एवं उत्पादन ह0मे0टन		

क्रमसं0	फसल	क्षेत्रफल ह0हे0 1983-84	उत्पादन ह0मे0टन 1983-84
1	2	3	4
1-	धान	97-628	136-062
2-	गेहूँ	124-227	248-155
3-	ज्वार	34-292	27-022
4-	बाजरा	12-791	8-839
5-	मक्का	0-236	0-305
6-	चना	59-016	57-406
7-	जौ	22-869	29-996
8-	अरहर	15-535	39-785
9-	उर्द	5-806	1-345
10-	मूँग	2-781	0-314
11-	मटर	1-908	2-620
12-	मूँगफली	0-094	0-055
13-	लाही	7-313	6-205

फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल ह0हे0

क्रम सं0	मद/फसल	इकाई	1983-84
1	2	3	4
19-	खारीफ फसलों के अन्तर्गत	ह0हे0	188-312
20-	रवी फसलों के अन्तर्गत	ह0हे0	221-061
21-	जायद फसलों के अन्तर्गत	ह0हे0	4-375

22- जोतों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल
(कोष्ठक में प्रतिशत)

क्रमसं0	मद/जोत	इकाई	1977-78		1980-81	
			संख्या	क्षेत्रह0हे0	संख्या	क्षेत्रह0हे0
1	2	3	4	5	6	7
1-	1 हेक्टेयर तक	संख्या	168322	64-588	182458	79-517
			(65-0)	(21-0)	(66-5)	(25-0)
2-	1 से 3 हेक्टेयर के बीच		65271	109-562	67804	115-112
			(25-0)	(35-5)	(24-7)	(36-1)
3-	3 से 5 हे0के बीच		16004	60-670	15500	57-805
			(6-2)	(19-6)	(5-6)	(18-2)
4-	5 हे0 एवं उससे ऊपर		9424	73-789	8868	66-303
			(3-8)	(23-9)	(3-2)	(20-7)
	योग		259021	308-566	274630	318-739
			(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)

23- जनसंख्या (हजार संख्या में)

क्रमसं0	मद	1971 की जनगणना केअनुसार			1981 की जनगणना के अनुसार		
		नगर	ग्रामीण	योग	नगर	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	पुरूष	38-455	634-036	672-491	75-379	754-010	829-389
2-	स्त्री	33-453	572-310	605-763	65-913	677-119	743-032
3-	योग	71-908	1206-346	1278-254	141-292	1431-129	1572-421

24- पिछड़े समुदाय की जनसंख्या (हजार सं0 में)

1-अनुसूचितजाति	9-710	292-185	301-895	21-627	551-450	373-077
2-अनुसूचितजनजाति	-	-	-	-	0-009	0-009
3-योग	9-710	292-185	301-895	21-627	551-459	373-086

25-सतत प्रवाह शील नदियाँ कि0मी0
४नाम सहित४

1-गंगा. नदी	94-50
2-यमुना नदी	150-00

26-मौसमी नदिया/नालों कि0मी0नामसहित

1-रिन्द नदी	44-10
2-ससुर खारेदी न0-1	66-78
3-ससुर खारेदी न0-2	22-76

27-वार्षिक वर्षा मि0मीटर	वर्ष 1983	वर्ष 1984
	951	666

28-महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन के नाम

1-स्टील पाइप एवं ट्यूब

2-चावल दाल खाड़सारी

3-कृषि यंत्र

वर्ष 1982-83	संख्या	लगे हुयेव्यक्तिसं0	उत्पादनकामूल्य हजार रु0 में
1-कुल पंजीकृत कारखानें वर्ष 82-83	36	1123	182500
अ- " " " खागा	7		
ब- " " " बिन्दकी	16		
स- " " " फतेहपुर	13		

29-पुलों के नाम ४1-4-86 की स्थिति४=6

1-खागा किशुनपुर मार्ग ससुर खारेदी पर लोहे का पुल

2-खागा नौवस्ता मार्ग ससुर खारेदी पर लोहे का पुल

3-भोगनी धार्मपुर बिन्दकी मार्ग पर रिन्द नदी पर पुल

4-भारतपुर मार्ग रिन्द नदी पर आर0सी0सी0 का पुल

5-असवनी में गंगा नदी पर पुल

6-दतौती में यमुना नदी पर पुल

30-सड़कों की लम्बाई कि0मी0	1983-84 की स्थिति
1-राष्ट्रीय मार्ग	90-00
2-राजकीय मार्ग	60-00
3-समतल मार्ग	613-00
4-असमतल मार्ग	-

31-विद्युत	1985-86
§क§ हाईटेन्शन लाइन	[illegible]
1-11 के0वी0 कि0मी0	2423-031
2-33 के0वी0 कि0मी0	339-637
32-(अ) नगरों की संख्या जिसमें बिजली है §नाम सहित§ =6	1-बिन्दकी 2-फतेहपुर 3-खागा 4-किशुनपुर 5-बहुआ 6-जहानाबाद
ब-नगरों की संख्या जिसमें बिजली नहीं है §नाम सहित§	-

33-ग्रामों की संख्या	
1-जिसमें बिजली है	896
2-जिसमें बिजली नहीं है	453

34-1-नगरों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है	1-बिन्दकी, 2-फतेहपुर, खागा किशुनपुर, जहानाबाद, बहुआ
2-नगरों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है ।	-
3-ग्रामों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है।	88

विकास खण्ड का नाम	लाभान्वित ग्रामों के नाम
खजुहा	1-खजुहा 2-नन्दापुर 3-सेलावन 4-तारादान 5-हुसेपुर 6-नरैचा 7-बहरौली 8-चकमाधवपुर 9-बरेठा बुजुर्ग 10-बरेठा खुर्द 11-चक्कापुर मौलवी 12-लखनाखेडा 13-चकहाफिजपुर 14-अरईपुर 15-हाफिजपुर हस्कन 16-सराय हौली खुर्द 17-बहादुर पुर 18-जाफरगंज 19-मौहारी, सहस्लपुर 20-सैदसी 21-डाडा

विकास खण्ड का नाम	लाभान्वित ग्रामों के नाम
अमौली	1-अमौली, 2-वड़नपुर, 3-वेइटाखुर्द, 4-भदनी 5-विरनई, 6-सरहन वुजुर्ग, 7-मकरन्दपुर, 8-सरहनखुर्द, 9-देपली, 10-विजौली, 11-कुल खेड़ा, 12-मैदां पाटी, 13-चांदपुर, 14- पहाड़पुर वरिगवां, 15-सहिगवां, 16-रामपुर कुर्मी, 17-सांल्हेपुर, 18-इब्राहिम नवावाद, 19-दपसौरा, 20-सिकन्दर पुर, 21-चकलाल, 22-जमरौली, 23-कौंह, 24-पाराधनई, 25-गांगपुर, 26-गौरा, 27-घघौरा वुरहान्ड, 28-रामपुर, 29-वहादुरपुर, 30-भारतपुर, 31-जारा, 32-रनमस्तपुर, 33-महदिया, 34-गोपालपुर
असोथर	1-ललौली, 2-अढ़ावल, 3-असोथर, 4-दसौली 5-अरौली, 6-प्रेममऊकटरा
धाता	1-मोहम्मदपुर कुसुम्भा, 2-सरसौली, 3-रसूलपुर 4-भसचुनी, 5-हरदवा 6-कारीकान §धाता§ 7-फूलापुर, 8-टारा 9-नरसिंहपुर कवरहा, 10-कल्यानपुरकवरौली, 11-टेनी-पुर, 12-गोकुल पुर, 13- गोपालपुर, 14-खर सेण्डवा, 15-वैलावां, 16-उरई, 17-चकशाहजहांपुर, 18-रानीपुर, 19-मखरवा 20-टेलाई, 21-मदियापुर, 22-घोसी, 23-शाहपुर चककी, 24-पल्लाना, 25-26-अजरौली, 265 टेनीपुर
विजईपुर	1- गढ़ा §रघूपुर§

4- ग्रामों की संख्या जिनमें पाइप
लाइन द्वारा जल-सम्पूर्तिनहीं होती
है । 1261

35- शिक्षा	वर्ष 1984-85		85-86	
	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण
(क) बेसिक/जूनियर स्कूल सं०	81	925	अप्राप्त	अप्राप्त
(ख) सीनियर बेसिक स्कूल सं०	30	224	,,	,,
(ग) हायर स्कूल सं०	18	56	18	57
(घ) डिग्री कालेज सं०	1	1	1	1
(ङ) विश्व विद्यालय	-	-	-	-
(च) प्राविधिक शिक्षा संस्थायें सं०	3	-	3	-
(नामसहित)	1-आई०टी०आई, फतेहपुर ।		1-आई०टी०आई० फतेहपुर ।	
	2- चर्म विद्यालय, फतेहपुर ।		2- चर्म विद्यालय, फतेहपुर ।	
	3- पालीटेक्नीक, फतेहपुर।		3-पालीटेक्नीक, फतेहपुर ।	

6- ग्रामों की संख्या जिनमें प्राइमरी
स्कूल नहीं हैं 639

ज- बेसिक/प्राइमरी स्कूलों की संख्या
जिनके लिये भवन निर्मित नहीं हैं । 145

36-अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की सं०
(1-4-1986 की स्थिति)

नाम एवं प्रखण्ड वार (नाम सहित)	नगरीय
	1-भारतीय स्टेट बैंक, फतेहपुर ।
	2-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा राधानगर, फतेहपुर।
	3-भारतीय स्टेट बैंक (कृषि) शाखा, फतेहपुर ।
	4-भारतीय स्टेट बैंक, बिन्दकी ।
	5-भारतीय स्टेट बैंक, खागा ।

6-भारतीय स्टेट बैंक, जहानाबाद ।

7-सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, जहानाबाद ।

8- पंजाब नेशनल बैंक, फतेहपुर ।

9- इलाहाबाद बैंक, हरिहर गंज, फतेहपुर ।

10- इलाहाबाद बैंक, खिन्दकी ।

11- इलाहाबाद बैंक, बहुआ ।

12- बैंक आफ बड़ौदा, फतेहपुर ।

13- बैंक आफ बड़ौदा, खिन्दकी ।

14- बैंक आफ बड़ौदा, खागा ।

15- बैंक आफ बड़ौदा, जहानाबाद ।

16- बैंक आफ बड़ौदा, किशनपुर ।

ग्रामीण

बैंक आफ बड़ौदा:

1-देवमई, 2-मलवां, 3-बकेवर, 4-भिटौरा, 5-हुसेन गंज, 6-जमरावां, 7-हस्वा, 8-असोथर 9-ललौली, 10-हथगांव, 11-विजईपुर, 12-धाता ।

भारतीय स्टेट बैंक:

1-चौडगरा, 2-थरियांव, 3-गाजीपुर, 4-धाता 5-खजुहा (कृषि शाखा)

इलाहाबाद बैंक:

1- जुन्निहा, 2- छिउलहा

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया:

1- अमौली

§1§

<u>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</u>

§ नगरीय §

1- मुख्य शाखा, फतेहपुर ।

2- ,, ,, बिन्दकी ।,

3- ,, ,, खागा ।

विकास खण्ड का नाम	§ ग्रामीण §
1- अमौली	1-सालहेपुर, 2-देवरी बुजुर्ग, 3- बुढ़वां, 4-अमौली ।
2- खजुहा	1-जाफर गंज, 2-अजमतपुर, 3-दरोटा लालपुर 4-सुल्तान गढ़, 5-मिस्सी, 6-खजुहा ।
3- देवमई	1-भैसौली, 2-दिलावलपुर, 3-सकूरा ।
4- मलवां	1-कल्यानपुर, 2-औंग, 3-शाहजहांपुर, 4-शिवराजपुर, 5-
5- तेलियानी	1-बिलन्दा, 2-अल्लीपुर, 3-दमापुर, 4-भदवा
6- वहुआ	1-शाह, 2-याखा, 3-चुरियानी, 4- सुकेती
7- भिटौरा	1-गनेशपुर मवई, 2-असनी, 3-वेरागढ़ीवा
8-हस्वा	1-नरैनी, 2-खेसहन, 3-मुरांव, 4-अमरैना, 5-टीकर
9- असोथर	1- कंधिया, 2-गुत्तौर
10- हथगांव	1-सिठौरा, 2- संवत
11- एरांयां	1-मोहम्मदपुर गौती, 2-कटोघन, 3-अल्लीपुर वहेरा
12- विजईपुर	1-खखरेडू, 2- टेसाही वुजुर्ग
13- धाता	1-पौली, 2-घरवासीपुर, 3-पचमई

§अ§ व्यावसायिक बैंकों का सारांश	नगरीय	ग्रामीण	योग
1- भारतीय स्टेट बैंक	6	5	11
2- बैंक आफ बड़ौदा	5	12	17
3- इलाहाबाद बैंक	3	2	5
4- सेण्ट्रल बैंक	1	1	2

5- पंजाब नेशनल बैंक	1	-	1
6- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	45	48
योग	19	65	84

(ब) अन्य बैंक	नगरीय	ग्रामीण	योग
1- सहकारी बैंक	10	17	27
2- भूमि विकास बैंक	3	-	3
कुल विकास बैंकों का योग	32	82	114

37- सहकारी बैंकों के नाम (1-4-86 की स्थिति)

नगरीय

1- जिला सहकारी बैंक, हेडआफिस, फतेहपुर
2- ,, ,, ,, चौक शाखा, ,,
3- ,, ,, ,, प्रात: एवं सायंशखा चौक, फतेहपुर ।
4- ,, ,, ,, बिन्दकी
5- ,, ,, ,, प्रात: एवं सायं शाखा बिन्दकी
6- ,, ,, ,, खागा
7- ,, ,, ,, जहानाबाद
8- ,, ,, ,, बहुआ
9- ,, ,, ,, किशनुपुर
10- ,, ,, ,, प्रात: एवं सायं शाखा हरिहर गंज

(ग्रामीण)

1- जिला सहकारी बैंक शाखा अमौली
2- ,, ,, ,, ,, बकेवर
3- ,, ,, ,, ,, हस्वा
4- ,, ,, ,, ,, मलवां

5- जिला सहकारी बैंक शाखा चौडगरा (बिन्दकी रोड)

6- ,, ,, ,, छिउलहा

7- ,, ,, ,, हुसैन गंज

8- ,, ,, ,, थरियांव

9- ,, ,, ,, असोथर

10- ,, ,, ,, हथगांव

11- ,, ,, ,, सुल्तानपुर घोष

12- ,, ,, ,, खखरेडू

13- ,, ,, ,, धाता

14- ,, ,, ,, गाजीपुर

15- ,, ,, ,, जोनिहां

16- ,, ,, ,, जाफर गंज

17- ,, ,, ,, अल्लीपुर

भूमि विकास बैंक	नगरीय
	1- भूमि विकास बैंक, फतेहपुर ।
	2- ,, ,, ,, बिन्दकी ।
	3- ,, ,, ,, खागा ।

38- गोदामों की संख्या (खाद्यान्न)		वर्ष 84-85	85-86
1- नगर क्षेत्र में	संख्या	4	4 एफ०सी० आई० फतेहपुर
		1	1 राज्य भण्डारागार निगम जहानाबाद
2- ग्रामीण क्षेत्र में	संख्या	-	-
3- शीत गृहों की (नाम सहित)	संख्या	4	4

1- चौडगरा (बिन्दकी रोड) सहकारी

2- गोपाल नउवाबाग कोल्ड स्टोरेज (व्यक्तिगत)

3- सुन्दर कोल्ड स्टोरेज विलन्दा
(व्यक्तिगत)
4- राधानगर कोल्ड स्टोरेज
फतेहपुर ।

39- उर्वरक डिपो

	वर्ष 84-85		वर्ष 85-86	
	संख्या	क्षमता ह0मे0ट0	संख्या	क्षमता ह0मे0ट0
(क) कृषि विभाग के	28	2·969	28	2·969
(ख) सहकारी विभाग के	102	5·100	137	27·000

40- राजकीय पशु चिकित्सालय/औषधालय की संख्या
(1-4-86 की स्थिति) 28

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- अमौली	1-अमौली, 2-चाँदपुर, 3-देवरी बुजुर्ग
2- खजुहा	1-जोनिहा, 2-खजुहा, 3-बिन्दकी (नगरीय)
3- देवमई	1- देवमई, 2-बकेवर, 3-जहानाबाद (नगरीय)
4- मलवाँ	1-गोपालगंज, 2-मलवाँ, 3-डीघ
5- तेलियानी	1-भदवा, 2-फतेहपुर सदर (नगरीय)
6- बहुआ	1-बहुआ, 2- गाजीपुर, 3-शाह
7- भिटौरा	1-भिटौरा, 2-हुसेनगंज
8- हस्वा	1- हस्वा, 2-थरियाँव
9- असोथर	1-असोथर
10- हथगाँव	1- हथगाँव
11- एरायाँ	1- ऐरायाँ (द श्रेणी), 2- खागा (नगरीय)
12-बिजईपुर	1- बिजईपुर 2- खखरेडू
13- धाता	1- धाता

41- राजकीय पशुपालन केन्द्रों की संख्या
§1-4-1986 की स्थिति § --- 40

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- अमौली	1- देवरी बुजुर्ग 2- दपसौरा 3-बुढवा
2- खाजुहा	4- कुसारा 5- अजमतपुर 6-जाफरगंज
3- देवमई	7-मधावापुर 8- घोरहा
4- मलवां	9- रेवाडी बुजुर्ग 10-शाहजहांपुर 11-रेवाडी 12-साईं 13-शिवराजपुर 14- औंग 15- पहुर 16-गाजीखेडा 17-कुवरपुर 18- महरहा 19- अलियाबाद
5-तेलियानी	20- बिलन्दा 21- दमापुर 22-दुगरेई
6- बहुआ	23-सांखा
7- भिटौरा	24- जमरांवा 25- मवई
8- हस्वा	26- बहरामपुर 27- पूरे बुजुर्ग
9- असोधार	28- भौली 29- ललौली 30- दतौली
10- हंथगांव	31- संवत 32- छिवलहा 33- इटैली
11- ऐराया	34-कटोघन 35- गौती
12- विजईपुर	36-खाखारेडू 37- रारी बुजुर्ग
13- धाता	38- रतनपुर 39- पौली 40- अढौली

42- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय /औषधालय की संख्या §1-4-1986 की स्थिति § -- 30

1- नगरीय क्षेत्र में 15
2- ग्रामीण क्षेत्र में 15

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय § नगरीय§

केन्द्र का नाम

1-पुरुष अस्पताल फतेहपुर
2- महिला अस्पताल फतेहपुर
3- नेत्र चिकित्सालय फतेहपुर

4- क्षय चिकित्सालय फतेहपुर

5- पुलिस ,, ,,

6- पी0ए0सी0,, ,,

7- जेल ,, ,,

8- रेलवे ,, ,,

9- व्राडवेल मसीही मिसन अस्पतालफतेहपुर ।

10-महिला चिकित्सालय खागा

11- पुरुष अस्पताल बिन्दकी

12- महिला ,, ,,

13- एलोपैथिक चिकित्सालय किशुनपुर

14- पुरुष चिकित्सालय जहानाबाद

15- महिला ,, ,,

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय (ग्रामीण)

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- अमौली	1- चांदपुर 2- डिघारुवा 3- जजमोइया 4- अमौली (महिला)
2- खजुहा	5- जाफरगंज
3- देवमई	6- भौसौली
4- मलवां	--
5- तेबियानी	7- भादबा
6- बहुआ	8- गाजीपुर
7- भिटौरा	9- मवई 10- हुसैनगंज
8- हसवा	11- कुसुम्भी 12- छिछनी
9- असोथर	--
10- हंथागांव	13- संवत
11- ऐरायां	--
12- विजईपुर	14- गढा.
13- धाता	15- कोट

43- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालयों में शैय्याओं की संख्या ॥1-4-1986 की स्थिति॥

1- नगर क्षेत्र में	349
2- ग्रामीण क्षेत्र में	104
योग	453

44- राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालयों की संख्या ॥1-4-1986 की स्थिति॥ ---- 6

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- देवमई	1- जहानाबाद ॥नगरीय॥
2- मलवां	2- शिवराजपुर
3- तेलियानी	3- फतेहपुर ॥नगरीय॥
4- बहुआ	4- शाह 5- साखा
5- भिटौरा	6- असनी

45- राजकीय होम्यो पैथिक चिकित्सालय/औषधालयों में शैय्याओं की संख्या ॥1-4-1986 की स्थिति॥ -----

46- आयुर्वेदिक चिकित्सालयों /औषधालयों की संख्या ॥1-4-1986 की स्थिति॥ ---- 17

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- अमौली	1- नरैचा 2- दपसौरा 3- अमौली
2- देवमई	4- बरिगवां
3- खाजुहा	5- जुनिहा 6- सुल्तानगढ़
4- मलवां	7- मलवां 8- दावतपुर 9- मौहार
5- तेलियानी	10- कांधी 11- मेवली बुजुर्ग
6- बहुआ	12- शाह
7- भिटौरा	13- हुसेनगंज
8- असोथर	14- कोरौकनक
9- हस्वा	15- हस्वा
10- हंथागांव	16- छिउलहा
11- विजईपुर	17- सरौली
12- ऐराया	--
13- धाता	--

47- आयुर्वेदिक चिकित्सालयो में शैय्याओं की संख्या
(1-4-1986 की स्थिति) -- 24

48- यूनानी चिकित्सालय/औषधालयों की संख्या
(1-4-1986 की स्थिति) --- 4

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- असोथार	1- ललौली (4 शैय्या युक्त)
2- विजईपुर	2- खखारेडू
3- ऐराया	3- मोहम्मदपुर गौती
4- धाता	4- पौली (4 शैय्या युक्त)

49- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम एवं शैय्यायें -

विकास खण्ड	स्थान	शैय्यायें
1- अमौली	अमौली	4
2- खजुहा	खजुहा	4
3- देवमई	देवमई	4
4- मलवां	गोपालगंज	4
5- तेलियानी	तेलियानी	4
6- बहुआ	बहुआ	4
7- भिटौरा	भिटौरा	4
8- हस्वा	हस्वा	4
9- असोथार	असोथार	4
10- हंथागांव	हंथागांव	4
11- ऐराया	खागा	4
12- विजईपुर	विजईपुर	4
13- धाता	धाता	4

1- कृषि की सूचनायें (हजार हे0में)

क्रमसं0	मद	वर्ष 1983-84	
1-	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	298.375	
2-	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	115.396	
3-	सकल बोया गया क्षेत्रफल	413.771	
4-	कुल खाद्यान्न फसलें	~~377.998~~	377.998
5-	कुल अखाद्यान्न फसलें	35.773	
6-	खरीफ फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल	188.312	
7-	रबी फसलो के ,, ,,	221.061	
8-	जायद फसलो के ,, ,,	4.375	
9-	फसल सघनता (प्रतिशत)	138.680	
10-	खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	51.417	
11-	रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	127.185	
12-	जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	4.055	
13-	सकल सिंचित क्षेत्रफल	182.657	
14-	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	139.961	
15-	सिंचाई की सघनता		
	1- शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	46.91	
	2- कुल सिंचित क्षेत्र में कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	44.14	
16-	कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	82.83	
17-	शुद्ध बोये गये क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	71.86	
18-	विभिन्न श्रोतों व्दारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हे0)		
	1- नहर	72.495	
	2- नलकूप	48.381	

3- कूप	14.453
4- अन्य	
अ- तालाब झील आदि	4.023
ब- अन्य साधन	0.609
योग:-	139.961

19- उन्नतिशील एकजातिक किस्मों के बीजों का वितरण {कुन्टल में}

1- कृषि विभाग द्वारा	698	2217
2- सहकारिता विभाग द्वारा	215	433

20- मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र हजार हेक्टेयर/उत्पादन हजार मै0टन में

खाद्यान्न	1983-84	
	क्षेत्र	उत्पादन
खरीफ		
1- धान	97.628	136.062
2- ज्वार	34.292	27.022
3- बाजरा	12.791	8.839
4- मक्का	0.233	0.302
5- खरीफ दालें {उर्द, मूग, मोठ}	6.496	1.408
6- अन्य		
1- मडुवा	0.222	0.151
2- कोदों	0.004	0.002
3- सांवा	0.364	0.152
4- काकुन	0.051	0.029
5- कुटकी	0.001	--
खरीफ खाद्यान्न	152.082	173.967

ख- रबी

खाद्यान्न	1983-84 क्षेत्र	उत्पादन
1- गेहूँ	124.227	248.155
2- जौ	22.869	29.996
3- चना	59.016	57.406
4- मटर	1.908	2.620
5- मसूर	0.247	0.158
6- अरहर	15.535	39.785
योग:-	223.802	378.120

ग- वाणिज्य फसलें -

1- मूंगफली	0.094	0.055
2- लाही, सरसों	7.313	6.205
3- सूरजमुखी	--	--
4- सोयाबीन	0.021	0.027
5- तिल	1.626	0.395
6- अलसी	0.365	0.149
7- रेडी	0.005	0.002
8- गन्ना	8.755	356.851
9- आलू	2.983	65.655
10- तम्बाकू	0.029	0.032
11- कपास	0.054	0.004
12- सनई	0.938	0.491
योग	22.183	429.866

उत्पादन दर कि0ग्राम हेक्टेयर	वर्ष 1983-84
1- धान	1394
2- गेहूं	1998
3- ज्वार	788
4- बाजरा	691
5- मक्का	1298
6- जौ	1312
7- चना	973
8- मटर	1373
9- अरहर	2561
10- मसूर	641
11- गन्ना	40760
12- मूंगफली	583

22- रासायनिक उर्वरक का वितरण ।हजार मैं0टन में

	वर्ष 1984-85	वर्ष 1985-86 (Q.P.R के आधार पर)
क- कृषि विभाग द्वारा		
1- नत्रजन	6.990	0.539
2- फास्फेटिक	0.342	0.278
3- पोटास	0.121	0.710
ख- सहकारिता विभाग द्वारा		
1- नत्रजन	2.374	29.570
2- फास्फेटिक	0.784	0.517
3- पोटाश	0.293	0.165

ग-कृषि औधोगिक विकास निगम	वर्ष 84-85	वर्ष 85-86
1- नत्रेजन	0.945	0.352
2- फास्फेटिक	0.314	0.500
3- पोटास	0.97	0.110
घ- गन्ना विकास व्दारा		
1- नत्रजन	-	-
2- फास्फेटिक	-	-
3- पोटास	-	-
ड.-व्यक्तिगत साधनो से		
1- नत्रजन	11.296	5.600
2- फास्फेटिक	2.603	1.376
3- पोटास	1.058	0.354
च- कुल वितरण		
1- नत्रजन	16.214	9.448
2- फास्फेटिक	4.043	2.221
3- पोटास	1.569	0.601

23- उर्वरक डिपो [1-4-86 को स्थिति]	संख्या	क्षमता हजार मै0ट 0
1- कृषि विभाग	28	2.959
2- सहकारिता विभाग	137	27.000
3- पी0सी0एफ0	2	1.000
4- कृषि औधोगिक विकास निगम	4	0.610
5- निजी	244	20.985
24-शीतगृह [1-4-1986 की स्थिति]		
1- कृषि विभाग	--	
2- सहकारिता विभाग	1	
3- व्यक्तिगत	3	
योग	4	

	82-83	83-84	84-85	85-86
25- कम्पोस्ट खाद का उत्पादन ह0मै0टन	107.512	113.043	अप्राप्त	अप्राप्त
26-हरीखाद के अन्तर्गत क्षेत्र ह0हे0 में	4.012	4.915	,,	,,
27- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना संख्या	107	293	387	449

2- फलोपयोगी एवं औद्यानिकी

1-फलो /उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र ह0हे0	0.502	0.555	0.622	0.597
2-सागभाजी के अन्तर्गत क्षेत्र हे0हे0 में	9.912	0.075	-	1.142
3- आलू का उत्पादन ह0मै0टन	48.417	--	--	230.500
4- पौधा सुरक्षा कार्य हजार हे0	113.104	106.005	151.116	133.178
5- पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	0.405	0.355	0.447	0.410

3- गन्ना विकास

1- गन्ना का क्षेत्रफल ह0हे0	9.443	8.755	अप्राप्त	अप्राप्त
2- गन्ना का उत्पादन ह0मै0टन	396.363	356.851	,,	,,

4- सिचाई

अ- निजी लघु सिचाई

1- पक्के कुये की संख्या	--	15542	15550	--
2- रहट	--	158	158	--
3- नलकूप	--	13710	14321	--
4- पम्पसेट	--	6203	7748	--
5- कुल सिचित क्षेत्र ह0हे0	169.190	182.657	-	-
6- सकल बोये गये क्षेत्र से सकल सिचित क्षेत्रफलका प्रतिशत	43.56	44.14	-	-
7-शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से शुद्ध सिचित का प्रतिशत	46.99	-	-	-

विकास खण्ड वार अल्प सिचाई कार्यों की स्थिति (31-3-86 तक)

क्रमसं0	विकास खण्ड का नाम	विवरण			
		कूप	रहट	पम्पसेट	नलकूप
1-	अमौली	323	3	373	1412
2-	खाजुहा	91	12	515	1273
3-	देवमई	546	--	368	1422
4-	मलवां	356	115	650	2087
5-	तेलियानी	1321	3	384	1046
6-	बहुआ	388	17	470	921
7-	भिटौरा	2003	2	482	1067
8-	हस्वा	2566	3	431	1267
9-	असोथर	319	1	279	267
10-	हथगांव	3205	-	648	945
11-	ऐरायां	2528	-	1034	587
12-	विजईपुर	1176	2	959	868
13-	धाता	728	-	1155	1159
	योग:-	15550	158	7748	14321

2- बृहद एवं मध्यम सिचाई

	1- राजकीय लघु सिचाई	1983-84	1984-85	1985-86
क-	नलकूप संख्या	294	353	391
ख-	नलकूप व्दारा सिंचनक्षामता का सृजन ह0हे0	28·2	33·2	39·1
2-	कुल उपलब्ध शुध्द सिचन क्षामता ह0हे0	28·2	33·2	39·1
3-	वृहद एवं मध्यम सिचाईव्दारा सिचंन क्षामता का सृजन ह0हे0	176·5	154·89	--

4- सिंचाई क्षमता का वास्तविक उपभोग:

(क) राजकीय लघु सिंचाई द्वारा	ह0हे0	0·94	5·00	5·30
(ख) वृहद एवं मध्यम सिंचाई	ह0हे0	72·495	73·737	-

6- वन :

1- वन विभाग के अंतर्गत	क्षेत्रफल	ह0हे0 7·10
2- आर्थिक महत्व के वृक्षो का	क्षेत्रफल	,,0·40
3- जल्दी उगने वाले वृक्षो का	क्षेत्रफल	,, -
4- सामाजिक वानिकी के अंतर्गत		,,2·66
5- उत्पादित लकड़ी का मूल्य		ह0 रू0183·50
6- विक्रय की गई लकड़ी का मूल्य		रू0183·50

7- पशुपालन :	1-4-85 की स्थिति	1-4-86 की स्थिति
1- पशु चिकित्सालय/औषधालय सं0	25	28
2- स्टाक मैन सेन्टर/पशु सेवा केन्द्र	38	40
3- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	12	12

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- भिटौरा	1- भिटौरा
2- बहुआ	2- बहुआ
3- असोथर	3- असोथर
4- खजुहा	4- खिन्दकी (नगरीय)
5- देवमई	5- देवमई 6- बकेवर
6- अमौली	7- अमौली
7- मलवां	8-गोपाल गंज
8- ऐरायां	9- खागा (नगरीय)
9- धाता	10- धाता
10- हथगांव	11- हथगांव
11- तेलियानी	12- फतेहपुर सदर अस्पताल नगरीय

4- कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र :

विकास खण्ड का नाम	उप केन्द्र का नाम
1- तेलियानी	1- बिलन्दा 2- दमापुर 3- कोराई 4- तेलियानी
2- भिटौरा	5- हुसेन गंज 6- मवई
3- हस्वा	7- हस्वा 8- बहराम पुर 9- थरियांव 10- अन्दौली
4-बहुआ	11-रेशखा 12- गाजीपुर 13-शाह 14- चुरियानी
5- असोथर	15-ललौली
6- खजुहा	16- अजमत पुर 17- जोनिहा
7- देवमई	18- जहानाबाद नगरीय 19- माधोपुर 20-शाहजहांपुर 21- घोरहा
8- अमौली	22-देवरी बुजुर्ग
9- मलवां	23- महरहा 24- औंग 25- पहुर 26- साई 27- कुँवरपुर 28- शिवराजपुर 29- अलिहाबाद 30- रेवाड़ी 31.गाजी खेड़ा
10- ऐरांया	32- एरांया 33- गौती
11- धाता	34- रतनपुर 35- पौली
12- हथगांव	36- इटैली 37- छिवलहा
13- बिजईपुर	38- बिजईपुर

5- भेड़ तथा विकास केन्द्र

1-4-86 की स्थिति

विकास खण्ड का नाम	केन्द्र का नाम
1- तेलियानी	1- अलीपुर
2- मलवां	2- गोपाल गंज
3- बहुआ	3- शाह
4- ऐरायां	4- खागा नगरीय
5- धाता	5- रतन पुर 6- धाता

6- खजुहा	7- जोनिहा
7- विजईपुर	8- विजईपुर
8- हथगांव	9- हथगांव
9- असोथर	10- देव गांव
6- चारे के अंतर्गत फसलों के अंतर्गत क्षेत्र (ह0हे0)	6.959

7- विभिन्न प्रकार के जानवरों की सं0

1982 की पशु गणना के अनुसार

1- देजातीय (देशी)

1- तीन वर्ष से अधिक नर	183524
2- तीन वर्ष से अधिक मादा	91187
3- बछड़े एवंबछिया	82690
4- कुल	357401

2- गोजातीय क्रास ब्रीड (दोगला)

1-ढाई वर्ष से अधिक के नर	6647
2- ढाई वर्ष से अधिक मादा	1775
3- बछड़े एवं बछिया	1542
4- योग	9964
5- कुल योग गो वंशीय	367365

3- महिला जातीय

1- तीन वर्ष से अधिक नर	39996
2- तीन वर्ष से अधिक मादा	139015
3- पड़वा एवं पड़िया	103047
4- कुल	282058
5- बकरा एवं बकरिया	169945
6- कुल भेड़ें	79918
7- घोड़े एवं टट्टू	3058
8- कुल सूकर	57580
9- अन्य पशु	3666
10- कुल पशु	953590
11- कुल कुक्कुट	72513

11- दुग्ध एवं दुग्ध सम्पूर्ति (ग्रामीण क्षेत्र में)	1985-86 की स्थिति
1- दुग्ध उपार्जन (लाख लीटर में)	56·6
2- ग्रामीण क्षेत्रों में समितियों की सं0	200
3- समितियों के सदस्यों की सं0	10743
4- दुग्ध एकत्र करने के केन्द्र	200

12- मत्स्य	84-85	85-86
1- श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों की संख्या	11	13
2- अंगुलिकाओं का वितरण (लाख में)	14·08	13·61
13- सहकारिता		
(क) जिला सहकारी बैंक शाखायें सं0	25	27
(ख) जमा धनराशि हजार रू0 में	2153	1295
(ग) ऋण वितरण हजार रू0 में		
1- अल्पकालीन	27556	25494
2- मध्य [illegible] कालीन	9791	7720
(घ) भूमि [illegible] बैंक शाखायें सं0	3	3
1- दीर्घकालीन ऋण वितरण हजार रू0 में	7410	10328

2- प्राथमिकि ऋण समितियां 31-3-86 की स्थिति

विकास खण्ड का नाम	संख्या	सदस्यता	हजार रू0 में अंशपूंजी	जमाधन	ऋण वितरण अल्प कालीन	मध्य कालीन	दीर्घ कालीन
1	2	3	4	5	6	7	8
1- अमौली	8	14840	616	364	2822	650	621
2- खजुहा	8	17915	995	268	2591	1092	586
3- देवमई	7	17327	768	331	2642	502	193
4- मलवां	5	19447	1292	771	2371	516	656
5- तेलियानी	8	14783	750	251	2113	349	350
6- वहुआ	9	17829	1029	499	2371	435	437
7- भिटौरा	5	20447	1247	270	2725	286	46
8- हस्वा	10	18305	818	301	2704	348	238
9- असोथर	7	13199	550	120	1106	1006	629
10- हथगांव	14	21720	942	371	1916	477	2068
11- ऐंरायां	12	15481	642	562	2371	788	1959
12- विजईपुर	10	17977	747	102	2543	887	1731
13- धाता	9	15145	651	152	2280	384	814
योग जनपद	112	[illegible] 224415	[illegible] 11047	4362	[illegible] 30555	7720	10328

3-कृश चिकृश यमितिश्स' 31-3-86 कर रिूथसति

विकास खण्ड	समितियों की संख्या	सदस्यता संख्या	अंशपूंजी (ह0रू0 में)
1- अमौली	–	–	–
2- खाजुहा	1	8401	623
3- देवमई	1	161	111
4- मलवां	–	–	–
5- तेलियानी	1	9846	395
6- वहुआ	–	–	–
7- भिटौरा	–	–	–
8- हस्वा	–	–	–
9- असोथार	–	–	–
10- हथागांव	–	–	–
11- ऐरायां	1	2656	354
12- विजईपुर	–	–	–
13- धाता	–	–	–
योग	4	21064	1483

3- विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य (हजार रु0 में)

विकास खण्ड का नाम	उर्वरक	खाद्यान्न	अन्य
1- अमौली	2002	-	-
2- खजुहा	2136	-	-
3- देवमई	2229	-	-
4- मलवां	2325	-	-
5- तेलियानी	1641	-	-
6- बहुआ	1891	-	-
7- भिटौरा	2429	-	-
8- हस्वा	2410	-	-
9- असोथर	860	-	-
10- हथगांव	1702	-	-
11- ऐरायां	1888	66	-
12- विजईपुर	1766	-	-
13- धाता	2216	-	-
योग	25495	66	-

4- सहकारी विधायन समितियां — 3

(क) खजुहा — 1

(ख) तेलियानी — 1

(ग) ऐरायां — 1

नोट:- सभी विधायन समितियाँ क्रय विक्रय समितियों से सम्बन्धित हैं।

5- उपभोक्ता सहकारी समितियां — संख्या 3 (खागा, बिजईपुर, फतेहपुर)

(1) सदस्यता संख्या	85
(2) अंश पूंजी (हजार रुपये में)	13
(3) विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य	अप्राप्त

6- विद्युत उपभोग (हजार किलोवाट)	1984-85	1985-86
(1) विद्युत का उपयोग (कि0वाट घन्टे)	64777	64386
(2) विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपयोग		
(क) घरेलू प्रकाश, लघु विद्युत शक्ति एवं वाणिज्य	7852	6860
(ख) औद्योगिक	8525	12890
(ग) कृषि, सिचाई कार्यों को सम्मिलित करते हुये	44810	43304
(घ) अन्य	3590	1332
(3) उपरोक्त [illegible] मदों (क) से (घ) में प्रति व्यक्ति उपयोग	41.20	40.95

[illegible]

	1984-85	1985-86
(4) वितरण लाइनों की लम्बाई		
1- हाईटेंशन लाइन		
(क) 11 के0 वी0 (कि0 मी0)	2364-533	2423-031
(ख) 33 के0 वी0 (कि0 मी0)	339-633	339-637
(ग) अन्य	-	-
2- लोटेंशन लाइन (कि0मी0)	2764-116	2870-009
(5) विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	829	896
1- कुल ग्रामों से प्रतिशत	61.45	66.42
6- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण सं0	465	597
7- औद्योगिक कनेक्शन		
(1) ग्रामीण क्षेत्रों में	1134	1140
(2) नगरीय क्षेत्र में	56	60
8- विद्युतीकृत नलकूप /पम्पसेट		
(1) राजकीय	353	391
(2) निजी	8458	8605

15- उद्योग विकास

1- ग्रामीण एवं लघु उद्योग

(अ) लघु उद्योग इकाइयों की संख्या	518	666
(ब) उपरोक्त लघु उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या	3906	4733
2- औद्योगिक संस्थान संख्या	1	1
(क) अधिग्रहित भूमि का विकास (हे0)	6-92	219-74
(ख) शेडो का निर्माण संख्या	10	10

3- हथकरघा वस्त्र उद्योग

(1) सहकारी क्षेत्र में लाये गये हथकरघो की संख्या	1400	1500
(2) बुनकर सहकारी समितियों का गठन	30	30
(3) हथकरघा वस्त्र का उत्पादन (लाख मी0)	23-53	23-10

4-वृहद एवं मध्यम उद्योग

(क) उद्योगो की संख्या	1 (मेसर्स क्वालिटी ट्यूब्स लि0 चौडगरा, विन्दकीरोड)	2
(ख) उपरोक्त में लगे व्यक्तियो की सं0	300	335
16-समस्त ऋतुओं में सड़क से जुड़े हुये ग्रामों की संख्या	249	278

17- शिक्षा :	1984-85	1985-86
1- विद्यालय संख्या		
1- प्राइमरी स्कूलों का सं०	1006	अप्राप्त
2- सीनियर बेसिक स्कूलों की सं०	254	,,
3- हायर सेकेण्डरी स्कूलों की सं०	74	75
4- डिग्री कालेजों की सं०	2	2
5- विश्व विद्यालयों की सं०	-	-
2- भर्ती :		
1- प्राइमरीस्कूलों में अप्राप्त	10602	अप्राप्त
2- सीनियर बेसिक स्कूलों में	74353	,,
3- हायर सेकेण्डरी स्कूलों में	24846	29804
4- डिग्री कालेजों में	949	अप्राप्त
5- विश्व विद्यालयों में	-	-
3- ग्रामों की संख्या		
1- जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है	639	
2- जिनमें सीनियर बेसिक स्कूल बालक नहीं है	1189	
3- जिनमें सीनियर बेसिक स्कूल बालिका नहीं है	122	
4- ग्रामों की संख्या :		
1- जिनमें प्राइमरी स्कूल भवन नहीं है	145	
2- जिनमें सीनियर स्कूल भवन नहीं है	29	
5-अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थी संख्या :		
1- प्राइमरी स्कूलों में	34721	अप्राप्त
2- सीनियर बेसिक स्कूलों में	8248	,,
3- हायर सेकेण्डरी स्कूलों में	3626	3617
4- डिग्री कालेजों में	281	अप्राप्त
5- विश्वविद्यालयों में	-	,,

6- विकास खण्डवार विद्यालयों का विवरण वर्ष 1984-85

विकास खण्ड का नाम	प्राइमरी स्कूलों की संख्या	सी०वे० स्कूलों की संख्या	हायर से० स्कूलों की संख्या	डिग्रीकालेज
1	2	3	4	5
1- अमौली	86	28	5	-
2- खजुहा	78	21	4	-
3- देवमई	65	15	4	-
4- मलवां	94	22	5	-
5- तेलियानी	58	15	5	-
6- बहुआ	69	16	3	-
7- भिटौरा	71	13	6	-
8- हस्वा	78	22	2	-
9- असोथर	68	15	4	-
10- हथगांव	66	13	4	1
11- ऐरायां	60	12	3	-
12- विजईपुर	65	12	4	-
133- धाता	67	20	7	-
14- नगरीय	81	30	18	1
योग	1006	254	74	2

18- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवायें :	1984-85	85-86
1- एलोपैथिक अस्पता ल संख्या	16	16
2- ऐलोपैथिक औषधालय संख्या	14	14
3- होम्योपैथिक अस्पताल संख्या	-	-
4- होम्योपैथिक औषधालय संख्या	6	6
5- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की संख्या	21	21

विकास खण्ड	केन्द्र
1- अमौली	1- नरैचा 2- दपसौरा 3- अमौली
2- खजुहा	1- जोनिहा 2- सुल्तान गढ़

3- देवमई	6- बरगवां
4- मलवां	7- दाउतपुर 8- मलवां 9- मौहार
5- तेलियानी	10- कांधी 11- मेउली दुर्जुर्ग
6- बहुआ	12- शाह
7- भिटौरा	13- हुसेन गंज
8- हस्वा	14- हस्वा
9- असोथर	15- कोरंकिनक 16 ——ो लालौली
10- हथगांव	17- छिउलाहा
11- ऐरायां	18- गौती
12- विजईपुर	19- खखरेडू 20- सरौली
13- धाता	21- पौली

6- शैयायें :

1- एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालयों में शयाओं की सं0 :

क- ग्रामीण	60
ख- नगरीय	341
ग- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शैयाओं की सं0	52

2- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित चिकित्सालयों/औषधालयों की सं0

	84-85	85-86
क- टी0बी0	1	1
ख- कुष्ठ रोग	1	1
ग- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	13	13

परिवार कल्याण :

(क) परिवार कल्याण केन्द्र सं0	15	15 (ग्रामीण चिकित्सालयों, एक एक तथा नगर क्षेत्रों)
(ख) बन्ध्याकरण		
1- पुरूष	149	1410
2- महिला	3675	5840
3- आई0 यू0सी0डी	6125	11489

19- प्राविधिक शिक्षा :

1- सार्टीफिकेट स्तर की	2	2
2- प्रवेश क्षमता	380	428
3- भर्ती	377	346
4- पालीटेक्नीक	1	1

20- जल सम्पूर्ति एवं जल निस्तारण :

1- नगरीय जल सम्पूर्ति एवं जल निस्ता0

क- पाइप लाइन से लाभान्वित नगर	6	6
ख- पाइप लाइन से लाभान्वित जनसंख्या (हजार में)	100.134	116.521
ग- हैण्ड पम्प द्वारा लाभान्वित जनसंख्या (ह0 में)	66.871	124.500
घ- जल निस्तारण	-	-
ङ- शुष्क शौचालय को स्वच्छ ... शौचालय मेंपरिवर्तन	-	-

2- ग्रामीण जल सम्पूर्ति :	विकास खण्ड	ग्रामयों की संख्या
क- पाइप द्वारा	खजुहा	21
	अमौली	34
	असोथर	6
	धाता	26
	विजईपुर	1
	योग	88
लाभान्वित जन संख्या हजार में	100.134	116.521

3- नगरीय जन संख्या जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है		-
4- ग्रामों की संख्या जिनमें पानी पीने की सुविधा नहीं है		-
5- ग्रामों की संख्या जिनमें पिछड़ी जाति अनुसचित जाति/जनजाति के लिये पानी सुविधा है	1349	
6- ग्रामों की संख्या जिसमें पिछड़ी जाति, अनु0 जातिएवं जनजाति के लिये पानी की सुविधा नहीं है		-

21- पिछड़ी जाति,अनु० जाति एवं जनजातियों का कल्याण

मद	1984-85		1985-86	
	संख्या	रूपये	संख्या	रूपये
1	2	3	4	5
1पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां				
§अ§ सामान्य कोर्स				
1- पिछड़ी जातियां	1768	745000	2295	700000
2- अनुसूचित जातियां	1796	700000	2206	900000
§ब§ प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स				
1-पिछड़ी जातियां	72	4000	-	-
2- अनुसूचित जातियां	27	5500	11	3000
§स§ दशम पूर्व				
1- पिछड़ी जातियां	1921	240000	476	75000
2- अनुसूचित जातियां	2751	343900	5408	373000

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC, No. 37799
Date 4/6/87

NIEPA DC
D03799